सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

arch, 2021 (We
0:00 AM to 01:30 P

Sushma Swaraj Bhawan
Chanakyapuri, New Delhi

राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

राष्ट्रीय महिला आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया-110025, नई दिल्ली

http://www.ncw.nic.in

अनुक्रमणिका

अध्याय		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v-vii
अध्याय–1	पृष्ठभूमि	1-4
अध्याय–2	शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ	5-13
अध्याय–3	अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे	14-15
अध्याय–4	घटनाओं/मामलों का स्वतः संज्ञान	16-21
अध्याय–5	नीति, निगरानी एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ	22-25
अध्याय–6	महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	26-31
अध्याय–7	पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयास	32
अध्याय–8	महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ	33-38
अध्याय–9	कानूनी समीक्षा एवं विधिक जागरूकता	39-41
अध्याय–10	जेल, हिरासत गृहों और मनोरोग संस्थानों का निरीक्षण	42-45
अध्याय–11	सूचना का अधिकार	46-47
अध्याय–12	यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र	48
अध्याय–13	मीडिया और आउटरीच कार्यक्रम	49-52
अध्याय–14	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग	53-54
अध्याय–15	सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	55
अध्याय–16	वार्षिक लेखा 2020–21	56-100
अध्याय–17	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	101-105

उपाबंध

उपाबंध–I	आयोग की संरचना	107
उपाबंध–II	आयोग का संगठनात्मक चार्ट	108
उपाबंध–III	2020–21 के दौरान आयोग के प्रमुख निर्णय/मामले	109-117
उपाबंध–IV	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वित्त पोषित वेबिनार	118-125
उपाबंध–V	वित्तपोषित अनुसंधान अध्ययन 2020–21	126-127
	फोटो संग्रह	128-150

Rekha Sharma
Chairperson

Tel. : 011-26944808
Fax : 011-26944771

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ.सी.–33, नई दिल्ली–110 025
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
PLOT NO. 21, FC-33, JASOLA
INSTITUTIONAL AREA, NEW DELHI-110 025
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

प्रस्तावना

राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 की प्रस्तुति के समय मुझे अपार गर्व है कि आयोग ने पिछले प्रयासों को और भी सुदृढ़ एवं बेहतर किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयोग ने नई चुनौतियों का सामना किया और महिलाओं को सशक्त बनाने के नवीन प्रयासों में सबसे अग्रणी रहा है।

विभिन्न कार्य–क्षेत्रों में लैंगिक समानता में उत्साहवर्धक सुधार होने के बावजूद इस क्षेत्र में फिलहाल और अधिक प्रगति की अत्यधिक संभावनाएं हैं। देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग समर्पित रूप से काम कर रहा है और महिलाओं की मदद कर रहा है। आयोग हमेशा महिलाओं की समानता के लिए तैनात है और समाज के साथ कार्यस्थल में भी प्रगति को तेज करने और लैंगिक अंतर को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष के दौरान,आयोग ने विभिन्न कानूनों की समीक्षा की,घरेलू हिंसा पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए व्हाटसेप नं. की शुरूआत की, महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य,महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, स्तनपान एवं दुग्धपान, महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि विभिन्न विषयों पर वेबिनार आयोजित किए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कई शोध विषयों जैसे प्रवासी महिला श्रमिकों, महिलाओं के समक्ष आने वाली मानसिक–स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, घरेलू हिंसा आदि को भी वित्त–पोषित किया है।

आयोग ने महिलाओं की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों के साथ ई–बैठकें भी आयोजित की और महामारी के दौरान महिलाओं की समस्याओं से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर मान्य राज्य महिला आयोगों से चर्चा की।

समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार और हिंसा मुक्त घर ही हिंसा मुक्त समाज की कुंजी है। आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है महिला सुरक्षा, इसीलिए कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए आयोग ने एक आपातकालीन व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7217735372 शुरू किया।

महामारी की शुरुआत में लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश भर में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी प्रवासी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। अपने अधिदेश के अनुरूप,आयोग की एडवाइजरी का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान प्रवासी महिलाओं की अन्य जरूरतों के साथ–साथ उनके लिए भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को पूरा करना था।

महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा तरीका महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ताकि वे स्वयं अपनी मशाल वाहक बन सकें। कानूनी जागरूकता महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देती है। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से महिला संबंधित कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदत्त विभिन्न बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपचारों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया।

आयोग को देश भर से पीड़ित महिलाओं की ओर से बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित राज्यों और अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाती है। एक मजबूत शिकायत पंजीकरण प्रणाली के अलावा, आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और उनके खिलाफ हुए अपराधों के मामलों की कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेना जारी रखा है। आयोग विदेश मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशनों, राज्य पुलिस प्राधिकरणों आदि के समन्वय से अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मामलों को हल करने के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है।

देश भर में महिलाओं तक पहुंचने के रा.म.आ के संकल्प के अनुरूप, आयोग ने जम्मू और कश्मीर के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जम्मू में पहली बार 'महिला जन सुनवाई' का आयोजन किया, जहां शिकायतकर्ताओं के मामलों की सुनवाई की गई और मौके पर ही उनका निपटारा किया गया।

महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण को प्रबल करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है ताकि उन्हें वित्तीय कौशलों के प्रभावी प्रयोग के लिए शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जा सकें। महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के आयोग के संकल्प के अनुरूप भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु और भारत लघु एवं मध्यम उद्योग(एसएमई) फोरम की सहभागिता से रा.म.आ. 5000 महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण में सहायक एवं प्रायोजक रहा।

आयोग ने अपने पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के माध्यम से वेबिनार और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करके पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं के समावेश और विकास के लिए लगातार काम किया है। आयोग ने उत्तर पूर्व की महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में एक मेगा वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें महानगरीय शहरों में इन महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें सशक्त बनाया गया।

आयोग ने 18 घंटे की वर्चुअल चर्चा की, जो 'शारीरिक या व्यावहारिक' रूप से महिलाओं और बालिकाओं के सामने आने वाली वास्तविक एवं आभासी चुनौतियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर 6 समर्पित घंटों की चर्चा के साथ 3 दिन तक चली। इसमें महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए दृष्टिकोण, धारणा और तरीकों पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने के लिए सरकार, कानून प्रवर्तन

एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिष्ठित पदाधिकारी और विद्वान, व्यवसायी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।

आयोग इंटरनेट की शक्ति के अनुरूप सफलतापूर्वक तेजी से कार्य करता रहा और कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेबिनार, ट्वीट चैट और सोशल मीडिया जैसे नए मीडिया टूल की ओर रुख किया। आयोग ने महिला केंद्रित मुद्दों जैसे मातृ स्वास्थ्य और बाल पोषण, सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य आदि पर फेसबुक लाइव कार्यक्रमों और वेबिनार का आयोजन किया है। विशेष फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा आयोग व्यापक पहुंच के लिए फेसबुक पर अपने वेबिनार का जीवंत प्रसारण (लाइव स्ट्रीम) भी करता है।

महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जांच और सुरक्षा के लिए राष्टीय महिला आयोग निहित शक्तियों के साथ कानूनों की समीक्षा कर रहा है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनमें आवश्यक रूप से अद्यतन परिवर्तन की सिफारिश कर रहा है। महिलाओं के सामने आने वाली नई चुनौतियों का समाधान करने और लैंगिक समानता लाने के लिए आयोग ने वर्तमान में ''भारत में महिलाओं और अंतर–राज्यीय महिला प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ साइबर अपराध'' की समीक्षा की।

रा.म.आ. महिलाओं के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रा.म.आ. अपने कार्यक्रम – 'वी थिंक डिजिटल' के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, जो फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से एक वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। कार्यक्रम का तीसरा चरण 4 मार्च, 2021 को लेह में शुरू किया गया था।

आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने में एक लंबा सफर तय किया है और दृढ़ता से विश्वस्त है कि महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करना एक सामूहिक दायित्व है और हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हर महिला एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन–यापन नहीं कर पाती। आयोग के कार्य–विस्तार का श्रेय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों से प्राप्त सहयोग को जाता है।

आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने हमें हर साल नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रत्येक मील का पत्थर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की दृढ़ता और कड़ी मेहनत का परिणाम है। मैं इस आयोग को हर साल नए मील के पत्थर स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उन सभी को धन्यवाद देती हूं और मुझे आशा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भविष्य में भी महिलाओं के लिए और अधिक उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगा।

(रेखा शर्मा)

अध्याय 1

पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय संविधान चाहता है कि देश के सभी नागरिक अपनी क्षमता की पहचान कर सशक्त बनें। यह इस ओर ध्यान देता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया जाए ताकि वे सभी गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लें। अन्य सभी के बीच, यह लैंगिक समानता तथा लिंग आधारित मतभेदों के बावजूद सभी को समानता के अवसर का आश्वासन देता है।

1.2 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालनार्थ महिलाओं के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने और उनमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह सांविधिक निकाय के रूप में कार्यरत है। आयोग को अधिदेश है कि संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों की पहचान एवं जांच करे तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश सरकार से करे।

1.3 आयोग को संविधान में दिए गए वर्तमान प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करने और ऐसे कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करने का अधिदेश प्राप्त है। आयोग को अधिदेश है कि वह महिलाओं की शिकायतों पर गौर करे, उनके लिए बनाए गए अधिकारों की अवहेलना आदि से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान ले और मुद्दों के अनुरूप उचित अधिकारियों के साथ संपर्क कर उनका समाधान करे। महिलाओं के सामयिक/प्रासंगिक मुद्दों पर शोध अध्ययन, पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण, महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए बन रही योजनाओं की प्रक्रिया में सहभागिता और परामर्श, महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन, जेल, रिमांड होम आदि का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई आदि जैसे कार्य आयोग को सौंपे गए है। महिला सशक्तिकरण के लिए कानून, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की परेशानियों का हल निकालने का दायित्व एवं गतिविधियों की रूपरेखा बनाने तथा उनके कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य में मदद करने का प्रभार आयोग को दिया गया है।

1.4 किसी देश के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक होती है। असमानता की स्थिति में देश की प्रगति का रास्ता संकीर्ण हो जाता है, इस वास्तविकता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम 31.01.1992 को लागू हुआ और तदनुसार आयोग की स्थापना की गई। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के अतर्गत आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संक्षेप में निम्न कार्यों का दायित्व आयोग को सौंपा गया है:–

i. महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी

ii. मौजूदा विधानों की समीक्षा करना और जहाँ आवश्यक हो, संशोधन का सुझाव देना।

iii. असहाय महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना के मामलों में उन्हें कानूनी सहायता देने या अन्य किसी प्रकार से सहायता देने के लिए उन मामलों का स्वतः संज्ञान लेना।

iv. जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता हासिल करने और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी के लिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी तथा

v. महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना बनाने में प्रचार और शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसमें भाग लेना और सलाह देना।

1.5 आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव के पद शामिल हैं। आयोग की संरचना उपाबंध–I में दी गई है। अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है। आयोग की सहायता के लिए एक सचिवालय है। इसके अलावा, आयोग में समन्वयन, सूचना का अधिकार(आरटीआई) से संबंधित मुद्दों, सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी), राजभाषा, जनसंपर्क आदि प्रशासनिक मामलों से संबंधित दिन–प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए अनुभाग/इकाईयों/प्रकोष्ठों की स्थापना की गई हैं जो निम्नवत हैं:–

i. शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

ii. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

iii. नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ

iv. क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

v. महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

vi. स्वतः संज्ञान प्रकोष्ठ

vii. पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

viii. मनोरोग गृह/संरक्षण सुधार गृह प्रकोष्ठ

ix. विधिक प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ

x. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

xi. राजभाषा प्रकोष्ठ

1.6 वर्तमान में, प्रकोष्ठों के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी संविदात्मक आधार पर और बाहरी माध्यम (आउटसोर्स) से लिए गए है, इनमें कुछ अधिकारिया/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध–II में रखा गया है।

1.7 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा की गई बैठकों के विचाराधीन मामलों और लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण उपाबंध–III में दिया गया है।

1.8 आयोग ने 31 जनवरी, 2021 को अपनी संस्था के 29 वर्ष ऐसे समय में पूरे किए जब राष्ट्र कोविड महामारी के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से उभर रहा था जिसने विश्व को नुकसान के असहनीय बोझ से पीड़ित कर दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्थापना दिवस में उन महिला कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए 'कोविड वुमन योद्धा रियल हीरोज' कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया, जिन्होंने महामारी के दौरान असाधारण और सराहनीय कार्य किया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को प्रशस्ति–प्राप्ति के लिए महिला अधिकारियों को नामित करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नामांकन आमंत्रित करने के लिए जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय निकायों को पत्र लिखा था। इसकी प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अवसर पर इन विस्मृत महिलाओं के अमूल्य योगदान को मान्यता दी, जो निस्वार्थता, वीरता और समर्पण की प्रतिमूर्ति थीं। ये महिलाएं असली हीरो थीं और आयोग ने उनके प्रति आभार व्यक्त करने में गर्व महसूस किया, जिन्होंने देश को सुरक्षित और भयमुक्त बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई।

1.9 आयोग ने 15 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए 'कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' शुरू किया। पायलट परियोजना में 8 राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम) के सभी जिलों को शामिल किया गया।

अगस्त से दिसंबर, 2020 की समयावधि में 34,631 प्रतिभागियों के साथ कुल 675 शिविरों का आयोजन किया गया था। कुल शिविरों में से 627 शिविर गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में और 48 शिविर पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य (यानी असम) में आयोजित किए गए थे।

1.10 'पोषण अभियान' के तहत तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह (सितंबर 2020) के उत्सव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित गतिविधियां कीं:–

i. 22 सितंबर, 2020 को 'कोविड–19 युग में स्तनपान और दुग्धपान' पर टॉक शो

ii. 'मातृ एवं शिशु पोषण' के महत्व पर ऑनलाइन चर्चा

iii. सुश्री रुजुता दिवेकर के साथ महिलाओं के बीच 'स्वास्थ्य और पोषण' के प्रभाव और प्रचार पर लघु सत्र

1.11 आयोग ने 25–27 नवंबर 2020 तक ''महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ भारत'' (IAAW)

पर तीन दिवसीय समर्पित विचार–विमर्श का आयोजन किया। यह विचार–विमर्श 18 घंटे की वर्चुअल चर्चा थी, जो महिलाओं और बालिकाओं के सामने आने वाली वास्तविक एवं आभासी चुनौतियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर 6 समर्पित घंटों की चर्चा के साथ 3 दिन तक चली।

आयोग ने महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने के तरीकों, धारणाओं और तरीकों पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने के लिए सरकार, विधिक प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायिकों और कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों और विद्वानों को एकत्रित किया।

विचार–विमर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई:

i. बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविकता।

ii. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा – यह पुरुषों का मामला है।

iii. यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर बातचीत।

iv. महिलाओं के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार कैसे नियंत्रण से बाहर हो गया है।

v. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लांछन को समाप्त करें।

vi. लैंगिक हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं

1.12 'महिलाओं के लिए पुरुष' विषयवस्तु पर महिला दिवस उत्सव – 2021 का मनाया जाना–

आयोग ने 10 मार्च, 2021 (बुधवार) को 'महिलाओं के लिए पुरुष' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में प्रतिभागिता द्वारा लैंगिक–समानता को प्रोत्साहित कर नकारात्मक रूढ़ियों और व्यवहारों के खिलाफ कार्रवाई करना था।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी–माननीय मंत्री–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हंस राज हंस–संसद सदस्य–उत्तर पश्चिम दिल्ली, श्री राम मोहन मिश्रा– सचिव–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रीमती रेखा शर्मा–माननीय अध्यक्षा–राष्ट्रीय महिला आयोग उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद अनुष्ठान थिएटर ग्रुप द्वारा विषयवस्तु आधृत नाटक और महिलाओं के लिए पुरुषों की भावना पर केंद्रित एक पैनल चर्चा की गई और सभी पैनलिस्टों को प्रेरक महिलाओं के जीवन में उनकी भूमिका के लिए नमन किया गया।

इस प्रकार के आयोजन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम और हरियाणा के राज्य महिला आयोगों के सहयोग से दोहराये गए।

1.13 कुल मिलाकर, आयोग द्वारा वर्ष 2020–2021 के दौरान अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

अध्याय 2

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

2.1 आयोग, देश में महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के गैर–अनुपालन तथा महिला अधिकारों से उन्हें वंचित करने सें संबंधित शिकायतों एवं परेशानियों के निवारण–कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है। यह कार्य आयोग के अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों तक वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयोग जमीनी स्तर पर अथक प्रयास करता है क्योंकि कानून, अधिकार, हक, योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं तब ही प्रभावी होती है, जब इनको बेहतर रूप में लागू किया जाता है। पीड़ा का निवारण तथा शिकायतों/मामलों का शीघ्र निपटान आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की शिकायतों में कमी लाना हमारी प्राथमिकता है।

2.2 शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ पूरे देश से प्राप्त ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करता है जो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने/कानूनों के गैर–कार्यान्वयन से संबंधित होती हैं। यह प्रकोष्ठ शिकायतों को लिखित या ऑनलाइन, www.ncw.nic.in माध्यम से प्राप्त करता है। कुछ शिकायतें मौखिक रूप से भी की जाती हैं। शिकायतों के निवारण के लिए आयोग संबंधित क्षेत्रों के व्यवसायिकों एवं विशेषज्ञों जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कानूनी परामर्शदाता आदि की सहायता लेता है।

2.3 आयोग, शिकायतों के निराकरण/संसाधन के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों आदि के साथ अपनी सहभागिता का लाभ उठाता है तथा आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अन्य आयोगों की सहभागिता से गतिविधियों का संचालन करता है।

2.4 आयोग शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के माध्यम से आयोग ने शिकायतों के शीघ्र और सरल पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली की शुरूआत की। इस सॉफ्टवेयर में निरन्तर सुधार किया जा रहा है जिससे कि वह बदलती हुई जरूरतों को पूरा कर सके और उपयोक्ता के अनुकूल हो। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप शिकायतों के तुरंत पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। जिस भी व्यक्ति को कोई शिकायत है वह कहीं से भी उक्त साइट पर लॉगइन करके अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता है। उक्त शिकायत को पंजीकरण संख्या दी जाती है। उसके बाद उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की तरह ही किया जाता है। इस प्रणाली से शिकायत के पंजीकरण के समय उन्हें दी गई विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति की जानकारी ले सकता है।

2.5 आयोग ने विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निवारण पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करने के लिए इनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसके अंतर्गत शिकायतों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है एक श्रेणी में आयोग के अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर के मामले "गैर–अधिदेशात्मक" और दूसरी श्रेणी में आयोग के अधिकार–क्षेत्र से जुड़े "अधिदेशात्मक" मामले हैं। आयोग के अनुभव के आधार पर, आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:–

i. पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता संबंधी शिकायतें ऐसी शिकायतें संबंधित प्राधिकारियों को मामले की समय पर और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है। उनसे शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ए.टी.आर.) ली जाती है और उसकी जांच की जाती है। आयोग वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ फोन पर या लिखित रूप में संपर्क बनाए रखता है और व्यक्तिगत शिकायतों की प्रगति की तब तक देखरेख करता है, जब तक उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता है।

ii. पारिवारिक/वैवाहिक विवाद, जहां तक संभव हो, परामर्श के माध्यम से हल किए जाते हैं। आयोग विवाद का समाधान करने के लिए पक्षकारों के साथ कम से कम एक बार उन्हें परामर्श देने का प्रयास करता है। विदेशी दम्पतियों/परिवारों के मामले में स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य महिला आयोगों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/संरक्षण अधिकारियों से भी सहायता ली जाती है। शीघ्रतापूर्वक मामलों का समाधान करने की दृष्टि से किसी राज्य से संबंधित मामलों को महिला जन सुनवाई के दौरान भी उठाया जाता है जहां महानिदेशक/पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, संबंधित जांच अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं।

iii. गंभीर अपराधों के मामले में आयोग जांच समिति गठित करता है। ऐसी समिति घटनास्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्ष्यों की जांच करती है, साक्ष्य एकत्रित करती है और आयोग को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच से हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तुरन्त राहत और न्याय दिलाने में सहायता मिलती है। आयोग जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और न्यायालय में आरोपपत्र फाइल होने तक राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों में अनुकरण करता रहता है, जहां शिकायत किए गए आरोप जांच के पश्चात् साबित नहीं होते हैं वहां मामले को बंद कर दिया जाता है।

iv. कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की बाबत आयोग संबंधित संगठन/विभाग/प्राधिकरण को ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक समिति गठित करने की सलाह देता है। ऐसे सभी संगठनों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति अवलोकनार्थ आयोग को प्रस्तुत करें। आयोग मीडिया/कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाता है।

v. ऐसी शिकायतें जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना से संबंधित नहीं हैं वे समुचित कार्रवाई के लिए आयोग द्वारा राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा उससे संबंधित राज्य आयोगों को प्रेषित की जाती हैं। अन्य मामलों में शिकायतें यथोचित रूप में मामले के अनुरूप कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं।

2.6 जिन मामलों में आयोग मानता है कि अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ऐसे मामले कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भिजवाए जाते हैं। हालाँकि, निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाता है।

i. अपठनीय या अस्पष्ट, बेनामी या छद्म नाम वाली शिकायतें।

ii. जब उठाया गया मुद्दा पक्षकारों के बीच संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं आदि जैसे सिविल विवादों से संबंधित हो।

iii. जब उठाए गए मामले उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों।

iv. जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक मुद्दे से जुड़ा हो।

v. जब मामला न्यायाधीन हो।

vi. ऐसे मामले जो किसी राज्य आयोग या किसी कानून के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हों।

vii. जब आयोग ने मामले में निर्णय पहले ही कर दिया हो।

viii. जब मामला किसी अन्य कारण से आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो।

ix. संपत्ति विवाद से संबंधित मुद्दे।

2.7 शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में पंजीकृत अनिवार्य अधिदेशात्मक शिकायतें निम्नलिखित 23 श्रेणियों में दर्ज की गई हैं:

i. बलात्कार/बलात्कार का प्रयास

ii. एसिड हमला

iii. अवैध यौन हमला

iv. यौन– उत्पीड़न

v. पीछा करना/बुरी नजर से देखना

vi. महिलाओं की तस्करी/वेश्यावृत्ति

vii. महिलाओं का शील भंग करना/छेड़–छाड़ करना

viii. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध

ix. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता

x. विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न

xi. दहेज मृत्यु

xii. द्विविवाह/बहुविवाह

xiii. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

xiv. महिलाओं को संतान–संरक्षण/विवाह–विच्छेद का अधिकार

xv. अपनी पसंद से विवाह का अधिकार/प्रतिष्ठा हेतु अपराध

xvi. गरिमा के साथ जीने का अधिकार

xvii. महिलाओं का कार्यस्थल में यौन– उत्पीड़न

xviii. महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से इन्कार करना

xix. लिंग भेदभाव, जिसमें शिक्षा एवं कार्य में समान अधिकार शामिल है।

xx. महिला का अश्लील रूपण चित्रण

xxi. लिंग चयनित गर्भपात/मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच

xxii. महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा और विच हंटिग

xxiii. महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता

2.8 वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग के शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली 26,513 शिकायतें/मामले दर्ज किए। वर्ष 2020–2021 के दौरान आयोग द्वारा दर्ज शिकायतों का राज्य–वार और प्रकृति–वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2020–2021 के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्र प्रदेश	179
3	अरुणाचल प्रदेश	7
4	असम	85
5	बिहार	1242
6	चंडीगढ़	55
7	छत्तीसगढ़	177
8	दादर नागर हवेली	11

क्रमांक	राज्य	कुल
9	दमन एवं दीव	1
10	दमन एवं दीव	4
11	दिल्ली	2971
12	गोवा	13
13	गुजरात	232
14	हरियाणा	1402
15	हिमाचल प्रदेश	113
16	जम्मू एवं कश्मीर	103
17	झारखंड	406
18	कर्नाटक	511
19	केरल	177
20	लक्षद्वीप	1
21	मध्य प्रदेश	985
22	महाराष्ट्र	1431
23	मणिपुर	7
24	मेघालय	9
25	मिजोरम	2
26	नागालैंड	1
27	उड़ीसा	156
28	पांडिचेरी	9
29	पंजाब	468
30	राजस्थान	1012
31	सिक्किम	3
32	तमिलनाडु	511
33	तेलंगाना	222
34	त्रिपुरा	9
35	उत्तर प्रदेश	13058
36	उत्तराखंड	431
37	पश्चिम बंगाल	507
	कुल	**26513**

वर्ष 2020–2021 के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार सूची

क्र.	प्रकृति	कुल
1	एसिड अटैक	9
2	द्विविवाह/बहुविवाह	181
3	महिलाओं के प्रति होने वाले साइबर अपराध	797
4	महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना	87
5	दहेज हत्या	327
6	महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता	56
7	शिक्षा और काम के समान अधिकार में लिंग भेदभाव	17
8	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	4209
9	महिलाओं का अशोभनीय चित्रण	33
10	महिलाओं के शील का हनन/छेड़छाड़	1802
11	महिलाओं के खिलाफ पुलिस उदासीनता	1460
12	घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा	6049
13	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	1293
14	विवाह में चयन का अधिकार/मान–प्रतिष्ठा हेतु अपराध	479
15	गरिमा के साथ जीने का अधिकार	8688
16	लिंग चयनात्मक गर्भपात/कन्या भ्रूण हत्या/गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय की जांच	17
17	यौन अपराध	93
18	यौन उत्पीड़न	480
19	कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न	216
20	पीछा करना/ताक–झांक	164
21	महिला अधिकारों के लिए पारंपरिक अपमानजनक प्रथा जैसे सती–प्रथा, देवदासी–प्रथा, चुडैल प्रथा	6
22	महिलाओं की तस्करी/वेश्यावृत्ति	42
23	तलाक की स्थिति में संतान के संरक्षण में महिलाओं का अधिकार	8
	कुल	**26513**

2.9 उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश शिकायतों का संबंध सम्मान के साथ जीने के अधिकार, विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता से है। मामलों के पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप सर्वाधिक

मामले निम्न तालिका में प्रदर्शित शीर्षस्थ दस श्रेणियों में आते हैं।

मुख्य दस वर्ग जिनमें शिकायतें दर्ज की गईं

क्र.	वर्ग	शिकायतों की संख्या
1	गरिमा के साथ जीवन यापन	8688
2	घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा	6049
3	दहेज उत्पीड़न/विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता	4209
4	महिलाओं के शील का हनन/छेड़छाड़	1802
5	महिलाओं के प्रति पुलिस उदासीनता	1460
6	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	1293
7	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	797
8	यौन उत्पीड़न	480
9	विवाह में चयन का अधिकार/मान–सम्मान के लिए अपराध	479
10	दहेज हत्या	327

2.10 प्राप्त शिकायतों के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तरी राज्यों में शिकायतों की संख्या अधिक है। अधितकतम शिकायतों वाले दस राज्यों के नाम नीचे दिखाए गए हैं:

दस मुख्य राज्य जहां से सबसे अधिक शिकायतें पंजीकृत की गईं

क्र.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	13058
2	दिल्ली	2971
3	महाराष्ट्र	1431
4	हरियाणा	1402
5	बिहार	1242
6	राजस्थान	1012
7	मध्यप्रदेश	985
8	कर्नाटक	511
9	तमिलनाडु	511
10	पश्चिम बंगाल	507

2.11 कोविड–19 महामारी/लॉकडाउन के दौरान विशेष प्रयासः–

10 अप्रैल से 20 सितंबर, 2020 तक व्हाट्सएप नंबर (7217735372) शुरू होने के बाद से, घरेलू हिंसा की 1443 शिकायतें रिपोर्ट की गई और आयोग द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से शिकायतकर्ताओं/

पीड़ितों, पुलिस और अन्य अधिकारियों के समन्वय से पंजीकृत किए बिना ही निपटाया गया। इस व्हाट्सएप नंबर को घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें औपचारिक रूप से दर्ज करने के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में जारी रखा गया।

2.12 सोशल मीडिया के जरिए मिली शिकायतें

सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित किसी भी शिकायत का मामला आयोग के शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ के संज्ञान में आने पर, उन शिकायतों पर भी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ितों/अधिकारियों के साथ समन्वय करके कार्रवाई की जाती है। ये शिकायतें विभिन्न प्रकृति की हैं जैसे साइबर अपराध, पुलिस की उदासीनता, घरेलू हिंसा, महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता आदि।

2.13 बुजुर्गों की मदद के लिए कार्य दल

देश में लॉकडाउन के कारण समस्याओं का सामना कर रहे बुजुर्गों (पुरुषों और महिलाओं दोनों) की सहायता के लिए आयोग ने एक विशेष कार्य बल का गठन किया जो बुजुर्गों की आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता, किराने की डिलीवरी, आवश्यक वस्तुएं या दवाएं उनके निवास स्थान में समय पर पहुँचा सकें। इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेष रूप से समर्पित एक ईमेल helpatncw/gmail.com भी शुरु की। इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस भी प्रदर्शित किया गया। इसके लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित कार्य दल ने दिन–रात काम किया और जरूरतमंद बुजुर्ग लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों, प्रशासन, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ समन्वय किया। सहायता प्रदान करने के लिए कार्यदल ने ऑनलाइन किराना और मेडिकल स्टोर की एक सूची तैयार कर अपने पास रखी। 4 अप्रैल, 2020 को अपनी स्थापना के बाद से देश में अनलॉक 1 तक, कार्यदल ने पूरे देश में अपने समन्वय से इस प्रकार के लगभग 140 मामलों में सहायता प्रदान की।

2.14 राज्य के पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस प्रमुखों के साथ ई–बैठक

देश में महामारी की स्थिति और लॉकडाउन के दौरान अधिक प्रभावी और तत्काल तरीके से काम करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 29 मई, 2020 को राज्य के पुलिस महा निरीक्षक/पुलिस प्रमुखों के साथ एक बैठक की गई। बैठक माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में हुई जिसमें 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महा निरीक्षक/वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, विभिन्न राज्य पुलिस अधिकारियों ने देश में कोविड–19 की महामारी और तालाबंदी के दौरान उनके द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से आयोग को अवगत कराया, विशेष रूप से निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया:

(i) घरेलू हिंसा/दुर्व्यवहार पीड़ितों को तत्काल और समय पर राहत और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ii) महिलाओं के प्रति साइबर अपराध के बढ़ते मामलों से निपटने के तरीके निकाले गए।

(iii) कोविड–19 महामारी के कारण चिंता के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाओं को बढ़ा सकते थे जैसे अंतर–राज्यीय प्रवास आदि।

2.15 महिला जन सुनवाई

शिकायतों की संख्या में वृद्धि और उनके त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए, अगस्त 2016 में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से एक पायलट परियोजना 'महिला जन सुनवाई' शुरू की। हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण महिला जन सुनवाई पर टिके रहना वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मुश्किल हो गया। अतः अब इस परियोजना में संशोधन किया गया है और आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों के समन्वय से ये महिला जनसुनवाई भी वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान शिकायतों के निवारण में तेजी लाने के लिए 8 ऑनलाइन महिला जन सुनवाईयों का आयोजन किया गया है।

2.16 आयोग ने 15 जनवरी, 2021 को बलात्कार पीड़ितों के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा करने के लिए परामर्श का आयोजन किया। परामर्श मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर विचारों और सुझावों के लिए आयोजित किया गया था। परामर्श में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), दिल्ली पुलिस, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष इकाई (SPUWAC) के वरिष्ठ अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अध्याय 3

अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे

3.1 अनिवासी भारतीय शिकायतों का निवारण

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से पति और ससुराल वालों द्वारा पासपोर्ट की जब्ती, बच्चों की अभिरक्षा के मामलों, उत्तरदाताओं के देश छोड़ने की आशंका की शिकायतों, परित्याग, दहेज की मांग, विदेश मंत्रालय की योजना के तहत वित्तीय और कानूनी सहायता, विदेश में दस्तावेजों हेतु सहायता, पति के बारे में संबंधित जानकारी का अभाव और विदेश में पत्नी की उससे मिल पाने में असमर्थता से संबंधित है।

3.2 राष्ट्रीय महिला आयोग अप्रवासी भारतीय वैवाहिक मुद्दों के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच एकीकृत/संसृत दृष्टिकोण अपनाता है। ऐसे मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। एक निर्दिष्ट दिन पर आयोग के समक्ष अपने मामले पेश करने के लिए पार्टियों को बुलाकर तथ्यों का पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां मामला जांच के लिए लंबित है या शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विफलता है तो कार्रवाई की गई रिपोर्ट की मांग के लिए मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो समाधान खोजने में मदद करने के लिए संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों को भी शिकायतें भेजी जाती हैं। पीड़ित को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों से संपर्क किया जाता है।

3.3 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ को 487 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अवधि के दौरान आयोग ने बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं को अप्रवासी भारतीय विवाह से संबंधित मामलों में न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की है। उदाहरणार्थ, इस प्रकार के एक मामले में शिकायतकर्ता ने अपने पति के साथ सुलह के लिए आयोग की सहायता मांगी थी, वह शिकायतकर्ता को भारत में छोड़कर यूएसए चला गया था। शिकायतकर्ता को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए आयोग ने वर्तमान मामले को भारत के महावाणिज्य दूतावास, सैन फ्रांसिस्को के समक्ष उठाया था। विभिन्न प्रयासों के बाद आयोग को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने पति के साथ सुलह कर ली है।

अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ को अप्रवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दों पर महिलाओं की शिकायतें देश भर से और विदेश में रहने वाले लोगों से भी प्राप्त होती हैं।

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ के साथ पंजीकृत शिकायतों के राज्य–वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं –

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान पंजीकृत अनिवासी भारतीय मामले

राज्य	शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	30
असम	01
बिहार	11
चंडीगढ़	08
छत्तीसगढ़	01
दिल्ली	54
गुजरात	21
हरियाणा	38
हिमाचल प्रदेश	05
जम्मू एवं कश्मीर	04
झारखंड	03
कर्नाटक	27
केरल	23
मध्य प्रदेश	04
महाराष्ट्र	42
मेघालय	01
उड़ीसा	06
पांडिचेरी	03
पंजाब	66
राजस्थान	10
तमिलनाडु	31
तेलंगाना	45
उत्तर प्रदेश	43
उत्तराखंड	06
पश्चिम बंगाल	05
कुल	487

अध्याय 4

घटनाओं/मामलों का स्वतः संज्ञान

4.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1)(एफ) के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर निम्न मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है;

i महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन;

ii महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों के गैर–कार्यान्वयन की ओर ध्यान देना और समानता और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना

iii महिलाओं की कठिनाईयों को दूर करने एवं उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए नीति निर्णयों, मार्गनिर्देशों या अनुदेशों के गैर–कार्यान्वयन के मामले :

स्वतःसंज्ञान में लिए गए मामलों की संख्या
252

4.2. अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 तक रा.म.आ. द्वारा लिए गए प्रमुख स्वतः संज्ञान मामलों का संक्षिप्त विवरण :–

- फेसबुक पोस्ट जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि गोवा के पोरवोरिम में कुछ पूर्वोत्तर लड़कियों पर एक महिला द्वारा बेरहमी से हमला किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आयोग ने गोवा पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने सूचित किया है कि मामला एफआईआर संख्या 57/2020, धारा 188, 323, 324, 504, 506 (ii), भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार, 24/04/2020 को दर्ज किया गया और मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

- फेसबुक पोस्ट जिसमें यह कहा गया था कि मुंबई के कलिना बाजार इलाके में एक मणिपुरी लड़की के साथ कुछ बदमाशों ने अशिष्ट व्यवहार किया।

  मामले की सूचना वकोला पुलिस स्टेशन को दी गई और शिकायत पर, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सीआर संख्या 149/2020 धारा 210, 352 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज और जमीनी खुफिया जानकारी की जांच के बाद आरोपी को 17 अप्रैल, 2020 को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया।

- मीडिया रिपोर्ट शीर्षक "एम्स के डॉक्टर ने जातिवादी, लिंगवादी उत्पीड़न पर आत्महत्या का प्रयास किया, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन(आरडीए) ने निष्क्रियता पर स्वास्थ्य मंत्री

को लिखा" जिसमें यह बताया गया था कि एम्स, दिल्ली में एक डेंटल सर्जन ने वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा लिंग और जाति–आधारित उत्पीड़न के कारण कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि निदेशक, एम्स ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो इस घटना की समग्रता से जांच करेगी और 18.04.2020 को डॉक्टर द्वारा अवसाद का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा की ओवरडोज़ द्वारा जीवन को समाप्त करने के प्रयास से संबंधित रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी।

- एक ट्वीट के साथ जुड़े वीडियो में देखा गया कि सिविल अस्पताल, सूरत में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर को एक आदमी परेशान कर रहा और गाली दे रहा है जो उसका पड़ोसी भी है। आयोग ने इस मामले को सूरत पुलिस के सामने उठाया था, इसके बाद पुलिस डॉक्टर के पास गई और शिकायत दर्ज कराने के लिए उसकी काउंसलिंग की। हालांकि, उसने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया लेकिन घटना की सूचना देते हुए एक आवेदन दिया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के तहत कार्रवाई की। उसने प्रतिवादियों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया था और पुलिस सुरक्षा के लिए मना कर दिया था।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली थी जिसका शीर्षक था "लॉकडाउन के बीच भोपाल में 53 वर्षीय बैंक प्रबंधक के साथ कथित तौर पर बलात्कार" जिसमें यह बताया गया था कि भोपाल के पॉश शाहपुरा इलाके में शुक्रवार तड़के एक अज्ञात व्यक्ति ने एक राज्य संचालित बैंक की 53 वर्षीय दृष्टिबाधित प्रबंधक के साथ उसके फ्लैट के अंदर कथित तौर पर बलात्कार किया। मामले को रा.म.आ द्वारा आगे बढ़ाया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर पर एक ट्वीट का संज्ञान लिया जिसमें वीडियो भी संलग्न था। वीडियो में यह देखा गया कि बिहार की मूल निवासी एक महिला मदद के लिए रो रही थी क्योंकि उस पर और उसकी मां पर हमला किया गया था और कुछ उपद्रवियों ने उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया था।सिलीगुड़ी–पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि मीडिया रिपोर्ट आरोप झूठा था और पड़ोसी के बीच कचरा डंपिंग के मुद्दे पर विवाद था।

- एक मीडिया रिपोर्ट शीर्षक "बिहार सामूहिक बलात्कार का मामलाः बयान दर्ज करते समय महिला ने 'दुर्व्यवहार' के लिए मामला दर्ज किया" और आयोग ने पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के हस्तक्षेप का अनुरोध किया। आयोग को महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय से जवाब मिला कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, और अब मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक सीसीटीवी फुटेज के साथ एक ट्विटर पोस्ट मिली है जिसमें यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के एक उप प्रबंधक द्वारा एक

दिव्यांग महिला को बेरहमी से पीटा गया। बताया गया कि पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करते हुए उचित जांच की और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324/355/354/509/506 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 (ए) और 92 (बी) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है।

- गुजरात के बड़ौदा के शुभम मिश्रा के वीडियो के संबंध में कई ट्विटर पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग किया गया था, जिसमें उन्हें एक महिला कॉमेडियन को गालियां देते और खुले तौर पर बलात्कार की धमकी देते हुए सुना गया था। आयोग ने इस मामले को गुजरात पुलिस के सामने उठाया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और अपराधी ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी.

- मीडिया रिपोर्ट का शीर्षक "मुंबईः नौ महीने की गर्भवती, नालासोपारा महिला, जो कोरोना वायरस से मर गई को चार अस्पतालों में ले जाया गया था" एक गर्भवती महिला के बारे में जिसका पति उसे नालासोपारा और मुंबई के बीच 70 किलोमीटर की दूरी पर चार अस्पतालों में ले गया परन्तु अस्पतालों ने कथित तौर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। अन्ततः सांस नहीं ले पाने के कारण वह मर गई थी।

- तत्पश्चात्, आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से गैर–कोविड–19 एम्बुलेंस सेवाओं को सुनिश्चित करने, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग बिस्तरों के आबंटन और महिलाओं एवं उनके नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ट्विटर पोस्ट में टैग किया गया था, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर का टिकटॉक वीडियो था और वह बदला लेने के लिए लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब हमले को बढ़ावा देता नजर आया था। आयोग ने इस मामले को महाराष्ट्र पुलिस और टिकटॉक इंडिया के समक्ष उठाया। जवाब में, टिकटोक इंडिया ने सूचित किया था कि रा.म.आ. द्वारा चिह्नित सभी सामग्री पर कार्रवाई की गई और उसे उनके मंच से हटा दिया गया है। अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है।

  आयोग ने भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी.ओ. पत्र दिनांक 22/05/2020 द्वारा अनुशंसा की है कि भारत में टिकटॉक पर रोक(बैन) लगाया जाए क्योंकि आयोग को भी ट्विटर पर रोक के लिए कई अनुरोध/टिप्पणियाँ मिली हैं।

- महाराष्ट्र के बीड जिले की एक 30 वर्षीय महिला, जिसके साथ 2015 में सामूहिक बलात्कार हुआ था, ने आरोप लगाया है कि उसकी ग्राम पंचायत ने उसे भगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और निवासियों द्वारा उसे जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र को अपने पत्र दिनांक 04.01.2021 द्वारा मामले की जांच करने और कानून के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान की, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत जांच शुरू की गई।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को अशोक एक्सप्रेस का पत्र दिनांकित 23/01/2020 तथा समदर्शन हिंदी समाचार पत्र के साथ मीडिया रिपोर्ट "नांगलोई पुलिस से पीडित महिला की कमिश्नर से गुहार" प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक कपड़े की दुकान चला रही एक महिला पर इमारत के मालिक ने हमला किया। महिला ने 100 नम्बर पर डायल किया परन्तु सब इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने इस संबंध में उच्च पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को "यूपी के शाहजहाँपुर में अधजली हालत में मिली छात्रा" शीर्षक वाली एक मीडिया रिपोर्ट मिली थी, जो 24/02/2021 को नवभारत टाइम्स में छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि कॉलेज से लापता एक लड़की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, हाईवे पर गंभीर रूप से जली हुई पाई गई। आयोग ने उप महानिदेशक, उ.प्र को मामले में तत्काल कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराने के लिए सूचित किया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ट्विटर पोस्ट में टैग किया गया था जिसमें एक महिला का वीडियो संलग्न है जिसमें बिहार के दरभंगा जिले में भीड़ को उसके घर से घसीटते और उसका सिर मुंडवाते देखा गया था, जब उसके बेटे ने भागकर एक लड़की से शादी कर ली। महिला की सुरक्षा हेतु सुरक्षा– निकाय होने के नाते आयोग परेशान हुआ और महिला के खिलाफ किए गए अस्वीकार्य दुर्व्यवहार के प्रति कानून के अनुरूप मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली थी जिसका शीर्षक था "यूपी में परिवार द्वारा महिला को अलग धर्म के पुरुष से प्यार करने के लिए जिंदा जला दिया गया" जो मिलेनियम पोस्ट दिनांक 16/02/2020 में छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि मान–सम्मान के लिए अपराध (ऑनर किलिंग) के एक संदिग्ध मामले में एक महिला को उसके परिवार के सदस्यों ने आपसी प्रेम संबंध के मामले में उसे जिंदा जला दिया था। आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों के प्रति आवश्यक कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली जिसका शीर्षक था "बंधक बना कर किया दुष्कर्म" जो राजस्थान पत्रिका दिनांक 16/02/2021 में छपी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किया गया था। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पीड़िता को ब्लैक मेल किया और उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था। आयोग ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और तदनुसार संबंधित पुलिस को मामले में कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को ट्विटर पोस्ट में एक वीडियो के साथ टैग किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक आदिवासी महिला को उसके पति के परिवार के सदस्यों में से एक को अपने कंधों पर उठाकर तीन किलोमीटर तक चलने के लिए परेशान किया गया था। इसके अलावा, कई दृश्यों में महिला को लाठी और क्रिकेट के बल्ले चलाते हुए ग्रामीणों के साथ उसके पीछे चलते हुए दिखाया गया है। आयोग ने तुरंत राज्य की संबंधित पुलिस को मामले में उचित कार्रवाई करने और आयोग को इसके बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ट्विटर पोस्ट में टैग किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला, उसके बेटे रणबीर और उसकी पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बहस के दौरान, रणबीर ने गुस्से में आकर अपनी बुजुर्ग मां को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आयोग ने राज्य के संबंधित पुलिस महानिरीक्षक को पोस्ट की जानकारी दी और आरोपित को गिरफ्तार कर समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया।

- रा.म.आ. को श्री संतोष कुमार मौर्य, निवासी के 67, 57 ईश्वर गंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश की एक ऑनलाइन शिकायत याचिका प्राप्त हुई, जिसमें एक मीडिया रिपोर्ट संलग्न थी। कैप्शन दिया गया था "पंजाब में बंधक बनाकर युवती से नौ माह तक सामूहिक दुष्कर्म, शिअद नेता व तीन पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप" जो जागरण डॉट कॉम में प्रकाशित थी, आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और तदनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक बलात्कार पीड़िता के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जांच अधिकारी ने पहले रिश्वत की मांग की, बाद में उसे परेशान करना और शारीरिक संबंधों की मांग करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात्, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अधिकारी को गिरफ्तार किया। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और तदनुसार संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली थी जिसका शीर्षक था "झारखंडः: नर्सिंग छात्राओं से बंद कमरे में गंदा काम... प्राइवेट पार्ट छूकर किया सहनशक्ति टेस्ट. .."जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक निदेशक, गैर सरकारी संगठन जो नर्स ट्रेनिंग सेंटर चलाता है ने टॉलरेंस टेस्ट के बहाने लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। आयोग के हस्तक्षेप के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली जिसका शीर्षक था "एएसआई ने रिपोर्ट दर्ज़ करवाने आई महिला से थाने में किया रेप" जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक महिला 2 मार्च, 2021 को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई थी, तब अलवर में पुलिस थाने के परिसर के अंदर कथित तौर पर उसे एक कमरे में

बंद कर बार–बार बलात्कार किया गया। आयोग ने पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं के साथ कथित अपराध की कड़ी निंदा की और इस मामले के आरोपी पुलिस अधिकारी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट के साथ एक ट्विटर पोस्ट में टैग किया गया है जिसका शीर्षक है "कैमरे से पकड़ी गई नैतिक नीतियों की निगरानीः लड़की को परेशान किया गया, एक सुनसान जगह पर पुरुष मित्र के साथ बैठने के लिए दुर्व्यवहार किया गया" एक लड़की के बारे में जिसे बिहार में पुरुषों के आरोपी समूह ने कथित तौर पर लड़की को शर्मसार किया और जबरन उसका वीडियो बनाया। उसके दोस्त को गाली दी गई क्योंकि उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि लड़की को जाने दिया जाए। आयोग ने बिहार पुलिस को इस मामले में उचित कार्रवाई करने और आयोग को इसके बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ट्विटर पोस्ट मिली, जिसमें मध्य प्रदेश के देवास शहर के बारे में यूट्यूब पर आईबीसी 24 चैनल की खबर को एक वीडियो के साथ संलग्न किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलित परिवार के पुरुषों और महिलाओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। आयोग ने राज्य के संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले में आवश्यक और तत्काल कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20/02/2021 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित "खरगोनः गार्ड ने महिला को अस्पताल से घसीटकर निकाला, कहा मानसिक रोगी है" शीर्षक वाली एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया कि कथित रूप से एक महिला को खरगोन में जिला अस्पताल के गेट से करीब 300 मीटर तक घसीटा गया।

अध्याय 5

नीति, निगरानी एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ

5.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिदेश के अनुपालन हेतु आयोग, प्रत्येक वर्ष, वर्तमान मुद्दों से संबंधित लिंग आधृत विषयों पर सेमिनार, वेबिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं और अनुसंधान अध्ययन के लिए सरकार, अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों आदि की सहभागिता से कार्य करता है।

5.2 अधिदेश के अनुपालनार्थ, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ऑनलाइन अनुसंधान और वेबिनार प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए मई–जून, 2020 के महीने के दौरान सार्वजनिक नोटिस जारी किया। ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2020 रखा गया। आयोग को शोध अध्ययन के लिए 251 प्रस्ताव और वेबिनार के लिए 1225 प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों की जांच के बाद वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग ने वित्त पोषण के लिए 18 शोध अध्ययन और 98 वेबिनार को मंजूरी दी।

5.3 आयोग द्वारा प्रायोजित वेबिनार एवं शोध–अध्ययनों की सूची (संलग्नक IV एवं V) संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत विषय हैं:

i. प्रवासी महिला मजदूर

ii. महिलाओं के सामने आने वाली मानसिक–स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं

iii. घरेलू हिंसा

iv. साइबर सुरक्षा और साइबर स्पेस में महिलाओं के सामने आने वाले खतरे

5.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पूरे किए गए शोध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष और सिफारिशों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

I. जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन अध्ययन विभाग, राजीव गांधी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु और पांडिचेरी में निजी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन पर अध्ययन

- केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार, संगठनों और व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं जैसे सभी स्तरों पर अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करे।
- देश में जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला चलाने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि निधि का अंशदान करे। अभियान–श्रृंखला, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, संदेश, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषयक जानकारी सार्वजनिक कर पाने में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है।

- कर्मचारियों, नियोक्ताओं और समिति के सदस्यों को यौन उत्पीड़न के व्यवहार और उससे जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं को भी कानून के नियमों और उनके कानूनी अधिकारों की सीमा के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उच्च शक्ति सतर्कता और निगरानी समिति का गठन करे, जो राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।
- कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है।
- राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए सरकार इस मुद्दे पर अधिक प्रशिक्षण, संगोष्ठी और व्यापक शोध गतिविधियों के लिए राशि दे सकती है।
- राज्य को चाहिए कि आंतरिक समिति की वार्षिक रिपोर्ट एकत्र करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए संगठन की जांच करने के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकरण का निर्माण करे।
- राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस गतिविधि के लिए जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति का गठन किया जा सकता है। समीक्षा निकाय और निगरानी निकाय को अधिक शक्तियों, उचित स्थिति एवं वित्तीय और कर्मचारी सहायता से मजबूत किया जाना चाहिए।

II. क्रिश्चियन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट (CARD) द्वारा वायनाड जिले में पुलपल्ली ग्रामपंचायत के विशेष संदर्भ में आदिवासी महिलाओं के बीच पोषण संबंधी मुद्दों का आकलन।

- स्व–उद्यमशीलता, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि आदि के लिए आदिवासी महिलाओं के आजीविका विकास जैसे विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र सरकार को और अधिक सहायता देनी चाहिए।
- स्कूल छोड़ने से बचाने, समय पर पौष्टिक भोजन प्राप्त करने और आदिवासी महिलाओं के बीच सामान्य स्तर का मनोसामाजिक विकास करने के लिए अधिक आदिवासी छात्रावासों की स्थापना या क्षेत्र में इसके विस्तार के लिए राज्य सरकार का समर्थन करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा वितरित विभिन्न रियायती खाद्य सामग्री की खपत सुनिश्चित करें। आदिवासी बच्चों/महिलाओं को स्कूलों और आईसीडीसी के मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कुपोषण या कम वजन, प्रजनन और मासिक धर्म स्वास्थ्य, इलाज योग्य और लाइलाज बीमारियों आदि पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन और अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।
- बच्चों की संसद, क्लब, सांस्कृतिक विकास केंद्र और वृद्ध महिलाओं के लिए डे केयर जैसे

अधिक मनो–सामाजिक अनुकूल कार्यक्रमों की स्थापना।

- पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खेती और खपत को बढ़ावा देना जैसे कि बाजरा, फुट याम, विभिन्न सब्जियां आदि।
- अध्ययन क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के बीच पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आशा/जेपीएचएन कार्यकर्ताओं की अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।

III. आर्थिक विकास निगरानी संस्थान द्वारा **"सीमांत समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए केरल में महिलाओं के भूमि–अधिकारों"** पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

- संघ सरकार को उचित नीति बनाने के लिए महिलाओं की भूमि के स्वामित्व पर लिंग–वार डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से एक नीति तैयार करनी चाहिए ए) ग्रामीण क्षेत्रों में रियासती–भूमि के स्वामित्व पर डेटा कैप्चर करना।
- पति और पत्नी के एकल स्वामित्व में संयुक्त स्वामित्व को परिवर्तित करने के मामले में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र सरकार को अधिनियम में संशोधन के लिए कदम उठाने चाहिए।
- जेंडर बजटिंग को अपनाना और ग्रामीण निवेश मॉडल के लिए आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान करना।
- सरकारें नीतिगत बदलावों के लिए प्रतिबद्ध हो सकती हैं जो जल–संग्रहण खेती के तरीकों और अन्य छोटे पैमाने पर जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे पैमाने पर खेती को अनुकूलित किया जा सके।
- महिलाओं को आधुनिक कृषि पद्धतियों और उत्पादकता में सुधार के तरीकों (राज्य कृषि विभाग) में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कृषि और संबंधित गतिविधियों में महिला उद्यमियों को अवार्ड देने की व्यवस्था की जा सकती है। (राज्य कृषि विभाग)।
- नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों को उनके उत्थान के लिए ग्रामीण महिलाओं और उनके प्रतिनिधि संगठनों (राज्य मानवाधिकार संगठन) के साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्थानीय सरकारों को महिला कृषकों और भूमिहीन महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर सतर्क रहना चाहिए।
- ग्रामीण बैंकों को निर्देश दिया जाए कि वे महिला कृषकों को भूमि पर उनके अधिकारों पर ध्यान दिए बिना ब्याज मुक्त/रियायती ब्याज ऋण प्रदान करें। (बैंकों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति)।
- सरकार द्वारा आबंटित सभी भूमि और आवास विवाहित जोड़ों या व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के संयुक्त नाम पर दिए जाने की आवश्यकता वाले कानून को अपनाएं।

- वैवाहिक संपत्ति के सह–स्वामित्व की अवधारणा को अपनाने पर विचार करें, जो दोनों पति–पत्नी को विवाह के दौरान अर्जित संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान करेगा।
- विवाह में प्राप्त सभी उपहार और नकद विवाहित जोड़े के संयुक्त स्वामित्व के रूप में माने जाएं, भले ही नकद या उपहार विशेष रूप से किसी एक को दिया गया हो।

IV. केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजराज, गांधीनगर द्वारा प्रस्तुत "अंडरस्टैंडिंग जेंडर, कास्ट एंड द सिम्बोलिक इकोनॉमिक्स ऑफ वायलेंसः ए स्टडी इन द बुद्ध डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा" रिपोर्टः

- मातृत्व लाभ योजनाओं के माध्यम से गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि की नवजात माताओं को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद सहायता प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को आशा के पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के मानदंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- राज्य को आईसीडीएस परियोजनाओं के माध्यम से विशेष परिपत्र लाने की आवश्यकता है कि आंगनबाड़ियों के सभी बच्चों को उनकी जाति की स्थिति के बावजूद, आंगनवाड़ी केंद्र में ही भोजन परोसा जाना चाहिए। आंगनवाड़ी में जातिगत भेदभाव को किसी भी रूप में प्रोत्साहित या सहन नहीं किया जाना चाहिए।
- ओडिशा राज्य को अंतर–जाति जोड़ों को सम्मानित करने और अंतर–जाति जोड़ों को कुछ टोकन उपहार देने के कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि अंतर–जातीय विवाह से संबंधित कलंक कम से कम हो और बाद में गायब हो जाए।
- भाग जाने के मामले में लड़कों को गिरफ्तार करने से पहले गहन जांच की जानी चाहिए और भाग जाने वाले जोड़ों के मामले में झूठे मामले दर्ज करने से बचना चाहिए।
- राज्य को आश्रय गृह के भीतर इस तरह की जाति प्रथा को रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आश्रय गृह के भीतर जाति आधारित पृथक कमरों के स्थान पर मिश्रित जाति आधारित निवास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- स्थानीय स्तर पर स्कूलों, कॉलेजों, स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा और अन्य संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिंग और जाति संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने में राज्य द्वारा पहल किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 6

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

6.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस परियोजना में जिला मुख्यालय में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मनोचिकित्सकीय–कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति शामिल है। दिल्ली पुलिस जिलों के विभिन्न पुलिस थानों से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ अपराध (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठों में 17 सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इन प्रकोष्ठों के कार्य की प्रगति की निगरानी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) द्वारा की जाती है और आयोग द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है।

6.2 राष्ट्रीय महिला आयोग टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के सहयोग से महिलाओं की सहायता के लिए विशेष प्रकोष्ठ पर आधारित एक अन्य परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है; जिसमें 7 राज्य बिहार, असम, मेघालय, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों के कुल 22 जिले शामिल हैं। यह परियोजना घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सहायता तंत्र को बढ़ावा देती है और पुलिस/आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर एक व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करती है। परियोजना को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पायलट परियोजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

6.2.1 टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान कार्यक्रम के तहत कार्यरत विशेष प्रकोष्ठ के मूल उद्देश्य थे:

1. महिलाओं के आत्म–सम्मान, आत्म–निष्ठा और गरिमा का पुनर्निर्माण करें।
2. निम्न सेवाएं तत्काल प्रदान करें:
   - ✓ मानसिक आघात एवं क्षति में परामर्श देकर सहायता प्रदान करना;
   - ✓ चिकित्सा, मनश्चिकित्सीय, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाओं के लिए रेफरल;
   - ✓ पुलिस सहायता का उपयोग करना;
   - ✓ सहायक/सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों में नियुक्ति;
   - ✓ कानूनी जानकारी, सहायता और उपादान।
3. महिलाओं और बच्चों के लिए पुलिस और संगठनों के बीच संपर्क।
4. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर महिलाओं, व्यावसायिक समूहों और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण जागरूकता पैदा करना।
5. आलोचनात्मक समीक्षा और चिंतन के लिए विशेष प्रकोष्ठ के कार्य का दस्तावेजीकरण, और

6. महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर प्रशिक्षण, कार्यक्रम और नीति के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से सामग्री विकसित करना।

6.2.2 अंतःक्षेप के परिणामः

विशेष प्रकोष्ठ दीर्घकालिक बीच–बचाव प्रदान करता है और हिंसा की व्यापकता को देखते हुए परिणामों को सरल दृष्टिकोण से देखना संभव नहीं है। हालांकि, यह विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों और महिलाओं की अपेक्षाओं का संकेत भी हो सकता है। विशेष प्रकोष्ठ के निगरानी संकेतकों के आधार पर पीड़ित महिलाओं को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान की गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला के लिए सहायक प्रणाली का निर्माण किया है और हितधारकों के साथ उसके जन्म के परिवार, वैवाहिक परिवार और समुदाय में बीच–बचाव कर अहिंसक व्यवहार के लिए बातचीत की है। उन्होंने महिला के स्त्रीधन को वापस देने, संपत्ति तक पहुंच, रखरखाव आदि के लिए बातचीत करके वित्तीय अधिकारों की भी वकालत की है।

6.2.3 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कानूनी जानकारी और मुकदमेबाजी पूर्व परामर्श भी प्रदान किया है। यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जब चाहें कानूनी प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम हैं। इसी तरह समाजसेवियों ने जरूरत पड़ने पर महिला को प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद कर पुलिस की मदद ली।

उपर्युक्त एमओयू के तहत, राज्य पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और संबंधित राज्य महिला आयोग के समन्वय से जून 2016 से महिलाओं के लिए 7 राज्यों में 21 पायलट यूनिट स्पेशल सेल की स्थापना की गई है, जिसमें असम और मेघालय (प्रत्येक में 1), बिहार और मध्य प्रदेश (प्रत्येक में 5), पंजाब (3) और तमिलनाडु (4) और ओडिशा (2) शामिल हैं। एमओयू का उद्देश्य है कि 7 राज्यों के सभी जिलों में स्थित प्रकोष्ठों का विस्तार कर उन्हें संस्था के रूप में परिणत किया जाए,यह प्रस्ताव राज्य कार्यक्रम के रूप में संबंधित राज्य विभागों को प्रस्तुत किया गया।

6.2.4 RCIVAW (महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए संसाधन केंद्र) के समन्वयकों और वरिष्ठ टीम के सदस्यों द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी और आयोग ने इस प्रक्रिया में आवश्यक सहायता की सुविधा प्रदान की और फरवरी 2019 में संबंधित राज्यों के निर्णय निर्माताओं को सिफारिश पत्र भी भेजे। देश भर में कोविड–19 और लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद, पंजाब और बिहार ने स्पेशल सेल का काम अपने हाथ में ले लिया था, जबकि असम और ओडिशा फंडिंग के विकल्प तलाश रहे थे। परियोजना अवधि के दौरान मार्च 2021 तक प्रकोष्ठों ने पंजीकृत आवेदनों के माध्यम से प्राप्त 21,953 (व्यक्तिगत एवं परिवारिक(15,454) और 6499 वन–टाइम हस्तक्षेप) आवेदनों का जवाब दिया।

6.3 इसी तरह, मार्च, 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS), मुंबई के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट "हिंसा मुक्त घरः एक महिला का अधिकार– जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख", के केंद्र शासित प्रदेशों में 12 पायलट स्पेशल सेल" शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो शुरू में 31.03.2023 तक वैध है। (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में हिंसा मुक्त गृह परियोजना की अद्यतन स्थिति)

6.4 दोनों परियोजनाओं "हिंसा मुक्त घरः एक महिला का अधिकार– 7 राज्य और दिल्ली पायलट प्रोजेक्ट की स्थिति और परिणाम की समीक्षा के लिए 18 फरवरी, 2021 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) और सहायक पुलिस आयुक्त, महिला एवं बच्चों के लिए– विशेष पुलिस एकक–, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ एक ई–मीटिंग/वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया।

6.5 आयोग ने एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को सुविधा देने और राहत देने के अपने प्रयास में एसिड अटैक के प्रत्येक मामले में प्रगति की निगरानी अपनी वेबसाइट में बनाई गई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से जारी रखी। एसिड अटैक मामलों के बारे में डेटा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर अद्यतन/अपलोड किया जाता है, जिसका विश्लेषण (i) मामलों के समय पर अद्यतन (ii) मुआवजे के भुगतान और मुआवजे की मात्रा, (iii) पुनः चिकित्सा सहायता की आवश्यकता और चार्जशीट व अभियोजन दायर करने में प्रगति के लिए किया जाता है।

6.6 22 अक्टूबर, 2020 को नोडल अधिकारियों के साथ एक ई–मीटिंग/वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रा.म.आ. की वेबसाइट पर बनाए गए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर एसिड हमले के मामलों की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से दी जा रही है। आयोग ने मुआवजे के समय पर भुगतान, चिकित्सा सहायता और त्वरित चार्जशीट पर जोर दिया। बैठक के कार्यवृत्त और उसमें की गई सिफारिशों को सभी संबंधित नोडल अधिकारियों/राज्य प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया।

6.7 आयोग ने 10–11 मई 2021 को एसिड अटैकः एक जघन्य अपराध– 'रोकथाम, निषेध और निवारण' पर 2 दिवसीय परामर्श का आयोजन किया। विविध क्षेत्रों– सरकारी संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, कानूनी सेवा प्रदाताओं और गैर–सरकारी संगठनों (एसिड अटैक पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए काम करने वाले) से प्रख्यात वक्ताओं/पैनलिस्टों ने भाग लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों और परामर्श के सभी प्रतिभागियों को दो दिवसीय परामर्श के कार्यवृत्त भेजे गए। परामर्श के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें/सुझाव दिए गएः

i. तेजाब हमले की रोकथाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 में तेजाब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंधों पर दिए गए निर्देशों पर निर्भर करती है। इसलिए इसका कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

ii. तेजाब फेंकने की सामाजिक समस्या के प्रति युवाओं को जागरूक करना। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष रूप से जमीनी स्तर पर भी एसिड से संबंधित कानून का उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए एसिड–बिक्री को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

iii. गैर–सरकारी संगठन स्थानीय समुदायों में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लक्ष्य समूह में मुख्य रूप से पुरुषों और लड़कों को शामिल करना चाहिए और पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए।

iv. एसिड के दुरुपयोग और एसिड अटैक पीड़ितों की पीड़ा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एसिड के वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच जागरूकता पैदा करना शायद उचित होगा। इसके परिणामस्वरूप केवल सही ग्राहकों को ही तेजाब की बिक्री होगी और इस प्रकार बदमाशों द्वारा दुरुपयोग की गुंजाइश कम से कम होगी।

v. कानूनों को सही भावना से लागू करने से एसिड हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। अतः एसिड अटैक की घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की जरूरत है।

vi. एसिड बर्न पीड़ित के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री होनी चाहिए, साथ ही वेब पोर्टल और प्राथमिक उपचार के लिए समर्पित हेल्प लाइन की भी आवश्यकता है।

vii. हेल्पलाइन शुरू की जा सकती है और रोगियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयोगी हो सकती है

viii. एसिड हमलों के लिए पोर्टल जो ड्यूटी धारकों को दर्शाता है, जहाँ प्लास्टिक सर्जरी के लिए अस्पतालों के विवरण हैं, परामर्शदाता, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण(डीएलएसए)/ पैरा कानूनी स्वयंसेवकों(पीएलवी) के विवरण उपलब्ध हैं।

ix. तेजाब हमले के पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ मिल सके।

x. बेहतर पुनर्वास सुविधाओं के प्रावधान की आवश्यकता है ताकि कोई भी एसिड अटैक पीड़ित चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल, कानूनी और सामाजिक सेवाओं सहित पुनर्वास सेवाओं का लाभ उठा सके।

xi. एसिड हमलों से संबंधित कानूनों और अधिकारों के संबंध में ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना।

xii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मौजूदा योजना, वन स्टॉप सेंटर को भी एसिड अटैक के मामलों से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ही स्थान पर कई समाधान प्रदान कर सकता है।

xiii अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सहयोग से, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान किया जा सकता है।

xiv. देश में त्वचा बैंक और त्वचा दान का व्यावहारिक रूप से ज्ञान नहीं है, इसलिए विनियमित करने के लिए कुछ प्राधिकरण होना चाहिए।

xv. पीड़ित द्वारा दवाओं की खरीद पर किए खर्च की प्रतिपूर्ति के मामलों की देख–रेख राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority (NALSA)) द्वारा की जाए।

xvi. गैर–सरकारी संगठनों(एनजीओ) की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि वे एसिड हमले के मामले निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

xvii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग के साथ अंतर–मंत्रालयीन चर्चा होनी चाहिए।

xviii. 10 प्रतिशत जलने की स्थिति में भी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्देश राज्यों को दिया जाना चाहिए।

xix. एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास के लिए आवश्यक रूप से उनके मनो–सामाजिक कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। अपराधियों के व्यवहार पैटर्न पर काम किया जा सकता है और तदनुसार परामर्श सहायता प्रदान की जा सकती है और जागरूकता सत्र तैयार किए जा सकते हैं।

xx. पीड़ितों की मानसिक चिंता को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें ही वास्तव में समाज का सामना करना पड़ता है और उन्हें नीचा देखा जाता है। उनमें आत्मविश्वास की भावना जगाने की जरूरत है और उन्हें खुद से प्यार करने में सक्षम होना चाहिए।

xxi. इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सजा बढ़ा दी गई है और इलाज के लिए पीडित को मुआवजा देना होता है, यह तथ्य जानने के बावजूद भी यह देखा गया है कि ऐसे हमलों का पंजीकरण नहीं किया जाता है। इससे प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख हितधारकों पर सामुदायिक स्तर, स्कूल स्तर, परिवार स्तर पर जागरूकता पैदा करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, पुलिस संवेदनशीलता भी महत्वपूर्ण है। यह अनुशंसा की जाती है कि वास्तव में जमीनी स्तर पर काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

xxii. रा.म.आ. फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि एसिड अटैक के मामलों का समय पर निपटारा हो और अपराधी को तुरंत सजा हो।

xxiii. एसिड अटैक सर्वाइवर्स को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिल सके।

6.8 आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत क़ानून के अनुसार आंतरिक समिति के कामकाज के बारे में जानकारी मांगने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रश्नावली भेजी गई है।

6.9 माननीय अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा और डॉ. राजुलबेन एल देसाई, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में दो सदस्यीय टीम ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करने के लिए 20/07/2021 को वृंदावन मथुरा का दौरा किया। बैठक के दौरान, पुलिस अधीक्षक को रा.म.आ. द्वारा अग्रेषित सभी मामलों को देखने और लंबित मामलों में की गई कार्रवाई में तेजी लाने की सलाह दी गई। टीम ने 02 स्वाधार महिला आश्रय सदन, कृष्णा कुटीर और चैतन्य

विहार का निरीक्षण किया, जिसका उद्देश्य विधवा और उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को आश्रय प्रदान करना है। आश्रय सदनों के रख–रखाव, साफ–सफाई और स्वच्छता के लिए विभिन्न सिफारिशें की गईं। उन्हें महामारी कोविड–19 के दौरान जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई।

6.10 जिला मजिस्ट्रेट के साथ बातचीत के दौरान, माननीय अध्यक्षा और सदस्य रा.म.आ. ने वृंदावन में महिलाओं की स्थिति और निवास की स्थिति के उत्थान और सुधार के लिए बहुमूल्य सिफारिशें कीं–

i. इन महिलाओं की उनके परिवारों में वापसी पर जोर दिया जाना चाहिए।

ii. उन्हें उचित पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. घरों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए कारपोरेट सोशल रिसपॉनसिबिलिटी(नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व) निधि के उपयोग का पता लगाया जा सकता है।

iv. अगरबत्ती के साथ–साथ साबुन बनाने के लिए फूलों (मंदिर के प्रसाद से) का पुनः उपयोग भी किया जाना चाहिए।

v. सोशल मीडिया विशेषकर Youtube से वृंदावन में महिलाओं के अनैतिक और अपमानजनक वीडियो को हटाना।

6.11 टीम ने वृंदावन में एक निजी आश्रय गृह का औचक निरीक्षण भी किया और पाया गया कि इस आश्रय गृह में 42 महिलाएं (सभी पश्चिम बंगाल की निवासी) रह रही थीं। टीम ने इन महिलाओं को फिर से घरों से जोड़ने के लिए प्रयास करने और उनके परिवारों की पहचान करने की सिफारिश की।

अध्याय 7

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयास

7.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 29/07/2020 को 'मेट्रो शहरों में उत्तर पूर्वी महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का सामना' विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी (वेबिनार) का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले पूर्वाग्रहों/भेदभाव पर विचार–विमर्श करना था। जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रणनीतियों के लिए मुद्दों और सिफारिशों की व्यापक समझ हो। वेबिनार में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में श्री किरेन रिजिजू (मंत्री,युवा मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय) के साथ–साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विशेष पुलिस इकाई (SPUNER), राज्य समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य महिला आयोग के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। अन्य उल्लेखनीय पैनलिस्टों में अधिवक्ता, शिक्षाविद, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल थे।

7.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24/09/2020 को **"निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारीः उत्तर पूर्वी क्षेत्र"** विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी (वेबिनार) का आयोजन किया, ताकि यह समझा जा सके कि निर्णय लेने की स्थिति में महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता लाने के लिए अधिक महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना महत्वपूर्ण है। वेबिनार में सुश्री अगाथा संगमा (सांसद, लोकसभा), राज्य समाज कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों ने भाग लिया। अन्य उल्लेखनीय पैनलिस्टों में उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल थे।

7.3 वेबिनार एवं शोध प्रस्ताव (2020–2021):

क. वेबिनार

प्रस्ताव	ऑनलाइन प्राप्त	विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत	वित्तीय सहायता आयोग द्वारा अनुशंसित
राउंड 1	47	10	25
राउंड 2	26	15	

ख. अनुसंधान/शोध

प्रस्ताव	ऑनलाइन प्राप्त कुल	विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत कुल	वित्तीय सहायता के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित
शोध	17	9	8

अध्याय 8

महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

8.1 वर्ष 2018 से, आयोग ने सांविधिक लक्ष्यों में सहयोग और प्रभावी रूप से उन्हें पूरा करने के लिए राज्य महिला आयोगों के साथ त्रैमासिक संवादात्मक बैठकों का एक तंत्र स्थापित किया है। बैठकों का उद्देश्य उनके साथ रा.म.आ. की नेटवर्किंग को मजबूत करना है; एक–दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना और देश भर में महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करने वाली एकजुट इकाई के रूप में मिलकर काम करना है। इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 अप्रैल, 26 अगस्त, 2020 और 01 फरवरी, 2021 को राज्य महिला आयोगों के साथ तीन एक दिवसीय इंटरएक्टिव बैठकें आयोजित की हैं।

बैठक में जिन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया उनमें शामिल हैं – राज्य महिला एवं बाल विकास प्रकोष्ठों के साथ समन्वय; वन–स्टॉप सेंटर और 181 हेल्पलाइन एकीकरण को मजबूत करना और 'मानसिक तनाव से निपटने' के लिए क्षमता निर्माण का प्रबंधन, कोविड–19 महामारी के समय में महामारी से जुड़े अन्य विषय।

8.2 **8 मई, 2020 (शुक्रवार) को 'कृषि क्षेत्र में महिलाओं' पर परामर्शः** इस वेबिनार का आयोजन कृषि क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए सुधारात्मक उपायों की तलाश करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि इस क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की पहचान की जाए तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। परामर्श की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा ने की। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और अधिकारी एवं विभिन्न सरकारी निकायों, कृषि विश्वविद्यालय और विभिन्न राज्यों के सिविल सोसायटी के वक्ता/प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

8.3 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 12 जून, 2020 को 'दिव्यांग महिलाओं को मुख्यधारा में लाना– एक बहु–हितधारक परामर्श'('Mainstreaming of Women with Disabilities- A Multi- Stakeholder Consultation') पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें संबंधित मंत्रालयों, अनुसंधान संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और क्षेत्र के शिक्षाविदों/विशेषज्ञों के अधिकारियों ने भाग लिया।

वेबिनार का उद्देश्य बाधा मुक्त वातावरण के लिए सुधारात्मक उपाय तैयार करना; दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना; और सामान्य रूप से देश और दुनिया में विकलांगता के मूलभूत कारणों को पहचानना था।

8.4 'महिलाओं की तस्करीः उभरती चुनौतियाँ, बाधाएं और पुनर्वास प्रावधान' पर वेबिनारः राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) को 'महिलाओं की तस्करीः उभरती चुनौतियाँ, बाधाएं और पुनर्वास प्रावधान' पर एक ऑनलाइन चर्चा (वेबिनार) का भी आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य विशेष रूप से उनके व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं की तस्करी के निम्नलिखित

पहलुओं पर सुझावों और सिफारिशों के साथ निम्न विषयों पर विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान करना था:

i. अवैध व्यापार का बदलता रूप और रोकथाम के नए तरीकों की आवश्यकता; तथा

ii. अवैध तस्करी से छुड़वाई गई महिलाओं के बचाव और पुनर्वास की व्यवस्था।

8.5 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से कानूनी जागरूकता कार्यक्रमः आयोग ने 15 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर एक 'कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' शुरू किया है, जिसमें पहला शिविर उत्तर प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सुल्तानपुर द्वारा अमेठी जिले में आयोजित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट 8 राज्यों (यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम) के जिलों को कवर करेगा।

यह कार्यक्रम इस विश्वास के साथ शुरू किया गया था कि जमीनी स्तर पर बालिकाओं/महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने से समानता, समावेशिता और विविधता के मूल्यों को विकसित करने में सुविधा होगी, जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, महिलाओं से संबंधित कानूनों का ज्ञान न केवल युवा दिमाग के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है; बल्कि यह सही मूल्यों, आत्म–अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के निर्माण में भी मदद करेगा।

i. कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न महिलाओं से संबंधित कानूनों के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपचारों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है, जिससे वे वास्तविक जीवन की स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें।

ii. महिलाओं को उनकी समस्याओं/शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध न्याय प्रदायक प्रणाली की विभिन्न मशीनरी/अंगों से अवगत कराना।

iii. शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों अर्थात पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संपर्क करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया।

iv. महिलाओं और लड़कियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित दहेज निषेध अधिनियम, 1961; महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, 2005 आदि विभिन्न कानूनों के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना;

अगस्त से दिसंबर, 2020 की समयावधि में 34,631 प्रतिभागियों के साथ कुल 675 शिविरों का आयोजन किया गया। कुल शिविरों में से 627 शिविर गैर– पूर्वोत्तर राज्यों में और 48 शिविर पूर्वोत्तर राज्य (अर्थात असम) में आयोजित किए गए।

8.6 आयोग ने 21 अगस्त 2020 को 'भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध' पर एक ऑनलाइन चर्चा (वेबिनार) का आयोजन किया। दो सत्रों में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया:

i. महिला के खिलाफ साइबर अपराध– कानून की अपर्याप्तता या इसका अप्रभावी कार्यान्वयन; तथा

ii. महिलाओं के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना– कानूनी/कानून प्रवर्तन के अलावा अन्य उपाय।

8.7 'पोषण अभियान' के तहत तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह (सितंबर 2020) के उत्सव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं:

i. 22 सितंबर, 2020 को 'कोविड–19 के दौर में स्तनपान' पर वार्ता : आयोग ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से एक घंटे का टॉक शो(वार्ता) आयोजित किया। क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ– डॉ. जेपी दधीच नेशनल समन्वयक और तकनीकी निदेशक, ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई) और डॉ. भारती कुलकर्णी, सीनियर ग्रेड उप निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद ने अपने संबोधन में कोविड–19 संदिग्ध या ग्रसित माताओं द्वारा स्तनपान और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वैश्विक मार्गदर्शन और साक्ष्य के आधार पर व्यावहारिक समर्थन के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया।

ii. आयोग ने 'मातृ और बाल पोषण' के महत्व पर एक समर्पित ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया। वेबिनार में विशेषज्ञ डॉ. सुजीत रंजन (कार्यकारी निदेशक, खाद्य और पोषण सुरक्षा गठबंधन), डॉ. सिला देब (अतिरिक्त आयुक्त, बाल स्वास्थ्य और प्रभारी–पोषण,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) और सुश्री पल्लवी पटेल(निदेशक, चेतना) उपस्थित थे। वेबिनार निम्नलिखित पर केंद्रित थे:

   ए) बदलती दुनिया में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण;

   बी) कोविड–19 युग में स्तनपान और दुग्धपान; तथा

   सी) आहार अभ्यास, भोजन के उपभोग में परिवर्तन;

iii. आयोग ने सुश्री रुजुता दिवेकर के साथ महिलाओं के बीच 'स्वास्थ्य और पोषण' के प्रसार हेतु एक छोटा सत्र आयोजित किया।

8.8 आयोग ने 20 अक्टूबर, 2020 को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति– लिंग संवेदनशीलता और समावेश पर दृष्टि' पर एक चर्चा का आयोजन किया: चर्चा के प्रस्तावित बिंदु में निम्नलिखित शामिल रहे:

i. सभी छात्रों को गुणवत्ता प्रधान शिक्षा तक समान पहुंच के साथ बालिकाओं के बीच सकल नामांकन अनुपात में सुधार लाने के तरीके पर विशेष जोर देना।

ii. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (एनईपी) के तहत लिंग को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान देना; लिंग तटस्थता के साथ प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और 'लिंग–समावेशन कोष' पर ध्यान रखना।

8.9 आयोग ने 25–27 नवंबर 2020 तक "महिलाओं पर दुर्व्यवहार के खिलाफ भारत" (IAAW) पर तीन दिवसीय समर्पित विचार–विमर्श का आयोजन किया। यह विचार–विमर्श 18 घंटे की ऑनलाइन चर्चा थी, जो महिलाओं और बालिकाओं के सामने 'भौतिक या आभासी' चुनौतियाँ जैसे विभिन्न मुद्दों पर 3 दिन 6 समर्पित घंटों की चर्चा के साथ संपन्न हुई।

आयोग, महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने के दृष्टिकोण, धारणाओं और तरीकों पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने के लिए सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, प्रोफेशनल्स और कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों और विद्वानों को एक साथ लाया।

विचार–विमर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई:

i. बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविकता;

ii. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा –– यह पुरुषों का मामला है;

iii. यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर बातचीत;

iv. महिलाओं के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार कैसे नियंत्रण से बाहर हो गया है;

v. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गलत/अपमानजनक कथ्यों को स्वीकार न करें;

vi. लैंगिक हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं।

8.10 23 दिसंबर, 2020 को 'मानसिक स्वास्थ्य के बिना महिलाओं का शारीरिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नहीं' पर वेबिनार, आयोग ने महिलाओं और बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों एवं मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिए 23 दिसंबर, 2020 को 'मानसिक स्वास्थ्य के बिना महिलाओं का शारीरिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नहीं' पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

आयोग, महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने के दृष्टिकोण, धारणाओं और तरीकों पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने के लिए सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों और कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों और विद्वानों को एक साथ लाया।

विचार–विमर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई:

i. मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक विकारों के असंतुलन पर नियंत्रण आवश्यक है;

ii. भारत में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ता है। क्या तनाव किसी भी तरह से पारिवारिक परिस्थितियों से संबंधित हैं?

iii. महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की व्यापकता और कारणों के साथ–साथ मध्यस्थता और सुरक्षात्मक कारकों पर साक्ष्य तैयार करना;

iv. बचपन से लेकर बुढ़ापे तक महिलाओं की जरूरतों और चिंताओं को दरकिनार करने के लिए स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना;

v. विभिन्न टीवी और रेडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से समर्थन और संवेदीकरण द्वारा कलंक या भेदभाव को कम करना और जागरूकता में सुधार करना।

vi. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में अपनी ताकत, कमजोरियों, चुनौतियों और अवसरों को कैसे समझते हैं?

8.11 "लिंग संवेदीकरण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम" पर प्रश्नोत्तरीः आयोग ने 14 नवंबर, 2020 को MyGov पोर्टल के माध्यम से एक ओपन लिंग संवेदीकरण एवं विधिक जागरूकता प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की। प्रश्नोत्तरी की अवधि 14 नवंबर से 31 जनवरी, 2021 तक थी। प्रश्नोत्तरी में प्रतिभागियों की कुल संख्या 64,029 दर्ज की गई।

8.12 कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर बालकों और बालिकाओं के बीच समानता, समावेशिता और विविधता के मूल्यों को विकसित करना है, जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, महिलाओं और लिंग संवेदीकरण से संबंधित कानूनों का ज्ञान न केवल युवा दिमाग के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है; यह छात्रों को भी सही मूल्यों, आत्म–अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के निर्माण में भी मदद करेगा।

8.13 'वित्तीय साक्षरता और शिक्षा– महिलाओं को आर्थिक ज़रूरतें स्वयं उठाने के लिए प्रेरित करनाः

भारत में महिलाओं की वित्तीय स्थिति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आयोग ने 01 मार्च, 2021 को 'वित्तीय साक्षरता और शिक्षा – महिलाओं को आर्थिक ज़रूरतें स्वयं उठाने के लिए प्रेरित करना' पर एक ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया।

आयोग ने प्रख्यात विद्वानों, सरकार के पदधारियों, वित्तीय एजेंसियों और व्यावसायिकों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक और सार्थक बातचीत कीः

क) वित्तीय साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण;

ख) महिलाओं को उपलब्ध सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूकता;

ग) मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता;

घ) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता को समझना;

ग) परिवार नियोजन, बचत और बजट पर ध्यान केंद्रित करके घर के भीतर निर्णय लेने में भागीदारी को प्रोत्साहित करना;

ड़) वित्तीय योजना और धन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

8.14 'महिलाओं के लिए पुरुष' प्रसंग पर महिला दिवस– 2021 का मनाया जाना –

आयोग ने 10 मार्च, 2021 (बुधवार) को 'महिलाओं के लिए पुरुष' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य बदलाव के अभिकर्ता के रूप में सभी लिंगों की सहभागिता और नकारात्मक रूढ़ियों और व्यवहारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करके लैंगिक–समानता प्राप्त करना था।

मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हंस राज हंस, संसद सदस्य, उत्तर पश्चिम दिल्ली, श्री राम मोहन मिश्रा, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रीमती रेखा शर्मा, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद अनुष्ठान थिएटर ग्रुप द्वारा प्रसंगाधृत एक नाटक का आयोजन किया गया।

पैनल चर्चा ने महिलाओं के लिए पुरुषों की भावना पर ध्यान केंद्रित किया गया और सभी पैनलिस्टों को प्रेरणादायक महिलाओं के जीवन में उनकी भूमिका के लिए सलाम किया। पैनल में श्री राकेश पांडे (सांसद, राज्यसभा सुश्री सरोज पांडे के भाई), डॉ. मित्र बसु छिल्लर (पूर्व मिस वर्ल्ड/अभिनेत्री सुश्री मानुषी छिल्लर के पिता), श्री रवि कुमार (एसिड अटैक सर्वाइवर सुश्री सपना के पति), मेजर दीपक राव (भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर सुश्री सीमा राव के पति), श्री मानवेंद्र सिंह और श्री अनिरुद्ध सिंह (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय सुश्री ऐश्वर्या भाटी के पुत्र), श्री हिमांशु कालिया (दिल्ली की पहली महिला एम्बुलेंस चालक सुश्री ट्विंकल कालिया के पति) और श्री रमेश ठाकुर (भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित भारतीय गायिक सुश्री मैथिली ठाकुर के पिता) शामिल रहे।

इसी प्रकार के आयोजन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम और हरियाणा के राज्य महिला आयोगों के सहयोग से पुनः आयोजित किए गए।

अध्याय 9

कानूनी समीक्षा एवं विधिक जागरूकता

9.1 राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 की धारा 10(1)(डी) के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा समीक्षा मंत्रणा के विवरण नीचे दिए गए हैं:

9.2 भारत में महिला श्रमिक बल भागीदारी दर – परामर्श

दिनांक 24/10/2019 को माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा के साथ हुई बैठक के अनुसरण में रा.म.आ. ने महिला श्रमिक बल भागीदारी दर पर प्रचलित कानूनों के प्रभाव की पहचान करने के लिए कामकाजी महिलाओं विशेषतः असंगठित क्षेत्र से संबंधित महिलाओं के मामलों पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने संबंधित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, असम और तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए। "भारत में महिला श्रमिक बल भागीदारी दर" पर परामर्श की रिपोर्ट डीओ नंबर 06–11/91/2019NCW(L) दिनांक 3 फरवरी, 2021 के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई थी।

9.3 "अंतरराज्यीय महिला प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानूनों की समीक्षा" – क्षेत्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अधिदेश के अनुसरण में अंतर–राज्य प्रवासी महिला श्रमिकों से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए पहचाने गए राष्ट्रीय विधि विद्यालयों के सहयोग से पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए। इन परामर्शों के दौरान, हजारों अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिकों,विशेषतः महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं तथा सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और गुणवत्ता पूर्ण जीवन के लिए निर्धारित स्थापित कानूनी ढ़ाचे में सुधार की संभावनाओं पर विचार किया गया। कोविड–19 लॉकडाउन के कारण परामर्श वेब आधारित फार्मेट में किया गया।

परामर्शों की एकत्रित रिपोर्ट डी.ओ. सं. 06–05/02/2020–21रा.म.आ.(विधिक) दिनांकित 06.01.2021 द्वारा महिला एवं बाल मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेज दी गई।

9.4 "महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध– क्या महिलाओं का अशिष्ट रुपण अधिनियम, आईटी अधिनियम और अन्य प्रचलित कानून पर्याप्त हैं " पर परामर्श

आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप के माध्यम से पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिए क्रमशः 31अगस्त,2020, 16 सितंबर,2020, 29 अक्टूबर,2020 और 17 नवंबर, 2020, 2 दिसंबर,2020 को "महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध– क्या महिलाओं का अशिष्ट रुपण अधिनियम, आईटी अधिनियम और अन्य प्रचलित कानून पर्याप्त हैं" पर पांच क्षेत्रीय विधिक समीक्षा

परामर्श आयोजित किए। परामर्श का उद्देश्य महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे से संबंधित नियामक उपकरणों, विधियों, सिफारिशों, दिशानिर्देशों आदि के विकास की समीक्षा और विश्लेषण करना है। मौजूदा कानून में व्यवहार्य संशोधन के लिए समेकित सिफारिशें तैयार करने के प्रयास में या नवीन नियंत्रक साधनों की आवश्यकता के लिए इस कानून की समीक्षा की गई थी। परामर्श में साइबर विधिक विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा व्यवसायियों, शिक्षाविदों, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के अधिकारियों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और राज्य महिला आयोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

परामर्श की समेकित रिपोर्ट महिला और बाल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को डीओ नंबर 06–05/18/2020–21 एनसीडब्ल्यू (एल) दिनांक 01/09/2021 के तहत भेज दी गई थी।

9.5 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' की कानूनी समीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अधिदेश के अनुसरण में 10 फरवरी 2021, 18 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2021 और 12 मार्च, 2021 को क्रमशः पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिए 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' की समीक्षा के लिए पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए। क्षेत्रीय परामर्श का उद्देश्य घरेलू हिंसा की रोकथाम से संबंधित कानून में व्यापक बदलाव का सुझाव देने की प्रक्रिया में आवश्यक क्षेत्र–विशिष्ट या राज्य–विशिष्ट मुद्दों के समाधान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल करना है। यह कार्य कानून को अधिक समावेशी बनाने और एक सामाजिक समूह के रूप में महिलाओं के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में है।

9.6 17 जुलाई, 2020 को भारत में विवाह की कानूनी आयु की समीक्षा करने के लिए परामर्श

आयोग ने 17 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप के माध्यम से 'भारत में विवाह और मातृत्व की उम्र पर समीक्षा' पर एक दिवसीय परामर्श आयोजित किया। परामर्श का उद्देश्य भारत में बालिकाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने की संभावना का पता लगाना था। इस परामर्श में, आयोग ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों की जांच करने का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार–विमर्श के आधार पर रिपोर्ट डीओ नंबर 06–14/14/2020–एनसीडब्ल्यू (एल) दिनांक 10 अगस्त, 2020 के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।

9.7 कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान भारत में आंतरिक महिला प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेश

देश में महिला सशक्तिकरण के कार्य हेतु सर्वोच्च वैधानिक निकाय होने के नाते राष्ट्रीय महिला आयोग ने महामारी कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आंतरिक महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सलाह के रूप में कुछ हस्तक्षेपों का प्रस्ताव करने का दायित्व लिया क्योंकि वे प्रतिकूल रूप से

प्रभावित वर्गों में से एक थे। इसे देखते हुए, आयोग ने 7 अप्रैल, 2020 को 'कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान भारत में आंतरिक महिला प्रवासियों' की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेश जारी किया।

अनुदेश में महिला प्रवासी कामगारों के लिए भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आश्रय और सुरक्षा से संबंधित दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इसे 10 प्रमुख मंत्रालयों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया।

9.8 महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु की सहभागिता से 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना'– विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यम शुरू करने की भावना से युक्त 5000 महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों की सहायता के लिए 6 सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा डिजिटल शिक्षा प्रायोजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलूरु की सहभागिता की। रा.म.आ. भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योग(SME) फोरम से भी जुड़ा है। यह फोरम संगठन लाभ के लिए नहीं अपितु जानकारी प्रदान करने एवं सलाहकार के रूप में सहभागी है तथा डिजिटल सहभागी के रूप में MyGov से जुड़ा है जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आधिकारिक तौर पर यह कार्यक्रम 4 मार्च, 2021 को लेह, लद्दाख में शुरू किया गया।

अध्याय 10

जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण

10.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम 1990 की धारा 10(1)(V) के अंतर्गत आयोग को सौंपे गए कार्यों के हिस्से के रूप में देश में जेलों/कारागार/अभिरक्षा गृह का निरीक्षण करता है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कारागार के निरीक्षण को अपने मुख्य क्षेत्र के रूप में माना है कि महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो और पर्याप्त सुधारात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएं। निरीक्षणों का संचालन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(डीएलएसए) और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किया जाता है। निरीक्षण दल जेलों में महिला कैदियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियाँ और सिफारिशें आगे की कार्रवाई लागू करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राज्य जेल अधिकारियों और जेल अधीक्षक को भेजी जाती हैं।

10.2 आयोग द्वारा तैयार किए निर्धारित प्रोफार्मा में जेलों से भी जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रोफार्मा में प्राप्त जानकारी का उपयोग गहन जांच और विश्लेषण के लिए किया जाता है, और इस जांच और विश्लेषण के आधार पर; आयोग द्वारा टिप्पणियों और सिफारिशों का मसौदा तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का अनुरोध संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है।

10.3 वर्ष 2020–21 में, आयोग को कोविड–19 महामारी के बीच जेलों/मनोरोग गृहों/स्वाधार गृहों के भौतिक निरीक्षण की योजना बनाने तक सीमित कर दिया गया था। इसलिए, आयोग ने जेलों और मनोरोग घरों के हितधारकों के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित करके कैदियों की भलाई सुनिश्चित की।

10.4 11 मई,2020 को राज्य के महानिदेशक/कारागार महानिरीक्षक के साथ एक ई–मीटिंग/वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर वार्डों में महिला कैदियों की रहने की स्थिति में सुधार के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई थी। ये सिफारिशें महामारी कोविड– 19 के दौरान जेल के वार्डों/बैरक की भीड़भाड़ (सशर्त जमानत/ पैरोल आदि पर रिहा किए गए कैदियों की संख्या), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (1) (ii) के तहत अंडर–ट्रायल के लिए जमानत के आवेदन,महिला वार्डों में साफ–सफाई, प्रसाधन सामग्री की आपूर्ति, वार्डों के अंदर सामाजिक दूरी के अभ्यास, मास्क, हाथ के दस्ताने और सैनिटाइजर की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आदि से जुड़ी थीं।

10.5 सभी कारावासों के महानिदेशकों को सलाह दी गई कि वे जेल अधीक्षकों पर दबाव डालने के लिए प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें कि महिला कैदी, चाहे विचाराधीन हों या दोषी, किसी

भी तरह से "दंडित" होने के लिए कारागार में नहीं हैं; बल्कि उन्हें उनकी अभिरक्षा में दिया गया है और इस भूमिका में उन्हें 'अभिभावक' के रूप में सेवा करनी होगी। इसलिए महिला बंदियों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अभिभावक के रूप में भी महानिदेशक न केवल जेल के भीतर बल्कि बाहर के लोगों द्वारा महिलाओं के रूप में उनके चरित्र हनन के किसी भी प्रयास से अपनी महिला कैदियों के स्वाभिमान, गरिमा और शील की रक्षा करेंगे।

10.6 आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य के महानिदेशक/महा निरीक्षक जेल को भेजी गईं:

i. जेलों में अधिक भीड़ न होने पर भी आवश्यकता है कि जेलों में महिलाओं के विचाराधीन मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (1) (ii) के तहत विशेष प्रावधान लागू करके अदालत के माध्यम से नियमित जमानत के लिए विचार किया जाए। कारागार प्राधिकारियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के परामर्श से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता के इस विशेष प्रावधान के तहत जेल में विचाराधीन महिलाओं की जमानत याचिकाएं स्थानांतरित की जाती हैं। केवल सशर्त जमानत या निश्चित अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह उपलब्ध प्रावधान को कमजोर करेगा।

ii. महिला वार्डों में उचित सामाजिक दूरी बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए पैरोल पर महिला दोषियों की रिहाई जल्द की जाए।

iii. वर्तमान महामारी की स्थिति में आवश्यकता के बावजूद अधिकांश जेलों के महिला वार्डों/बैरकों में व्यक्तिगत प्रसाधन सामग्री मानदंडों में बदलाव नहीं किया गया। मास्क और सैनिटाइज़र की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। महिला वार्डों/बैरकों के लिए बुनियादी सौंदर्य प्रसाधनों के अनुरूप प्रावधानों के साथ साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू की मात्रा बिना किसी देरी के बढ़ाने की जरूरत है।

10.7 इसी तरह, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 अगस्त, 2020 को सरकारी क्षेत्र के मनो–चिकित्सीय गृहों/अस्पतालों के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक ई–मीटिंग/वीडियो कांफ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें आयोग ने विभिन्न सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की। महामारी कोविड–19 के दौरान महिला रोगियों की रहने की स्थिति पर सम्मेलन में विचार–विमर्श के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की गईं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संबंधित राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और बैठक के सभी प्रतिभागियों को सूचित किया गया:

i. अध्यक्ष, रा.म.आ. ने अपने विवेकाधिकार में मानसिक बीमारी वाली महिलाओं की दुर्दशा और उनके प्रति परिवार की अज्ञानता पर ध्यान दिया। ज्यादातर मामलों में, उपचारित महिलाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और इसलिए, जिम्मेदारी अस्पताल के अधिकारियों की होती है। अस्पताल के अधिकारियों से सिफारिश की जाती है कि वे

महिला रोगियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) के तहत पंजीकृत कराएं और आधार कार्ड तैयार करवाएं ताकि उपचार के बाद फिर से समाज से जुड़ने पर वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

ii. GMHC त्रिश्शूर, RMH पुणे, RMH ठाणे, SMHI कोहिमा, आधुनिक मनोरोग अस्पताल अगरतला, मानसिक अस्पताल बरेली, मानसिक अस्पताल वाराणसी और SMHI देहरादून नामक **08** संस्थानों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेडिकल अटेंडेंट और नर्स के रिक्त पद देखे गए। अस्पताल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित विभाग को भेजे गए अपने पत्रों की प्रति आयोग को अग्रेषित करें ताकि उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके और महिला के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरना सुनिश्चित किया जा सके।

iii. आयोग ने पाया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड के कर्मचारी अपने पुराने कपड़े महिला रोगियों को दान करते हैं। इसलिए, महिला रोगियों के लिए कपड़ों के प्रावधान के मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाने की सिफारिश की जाती है और इसका जल्द से जल्द पालन किया जाए।

iv. मानसिक अस्पताल वाराणसी, उत्तर प्रदेश का भवन पुराना और जीर्ण–शीर्ण है, जो अस्पताल के मरीजों और कर्मचारियों के लिए असुरक्षित है। आयोग ने भवन के पुनर्गठन के लिए सिफारिश की है और अधिकारियों से इस उद्देश्य के लिए संबंधित विभाग को भेजे गए पत्र की प्रति अग्रेषित करने का अनुरोध किया है ताकि इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

v. सभी संस्थानों में मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकांश संस्थानों में ये कार्यक्रम इंडोर गेम्स और योग के रूप में होते हैं। हालांकि, मनोरंजक कार्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे रोगियों की सक्रिय भागीदारी को सुरक्षित रखें और उन्हें काफी समय तक व्यस्त रखें। कुछ मनश्चिकित्सीय गृहों में चिकित्सीय पद्धति के रूप में संगीत चिकित्सा होती है और इसे सभी मनश्चिकित्सीय गृहों द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है।

vi. कौशल विकास प्रशिक्षण न केवल रोगियों के इलाज में मदद करता है बल्कि रोगियों को उपचार के बाद आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करता है। मनोरोग गृह महिला रोगियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि यह पारंपरिक व्यापार/कौशल तक ही सीमित न रहे।

10.8 आयोग ने एक प्रश्नावली तैयार की है जिसमें सरकारी क्षेत्र के 44 मनोरोग गृहों से उन रोगियों के लिए हाफ–वे होम की कार्यात्मक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है जो ठीक हो चुके हैं या आंशिक रूप से ठीक हो चुके हैं और जिनका इलाज कम गहन देखभाल इकाई/सेट–अप में किया जा सकता है।

10.9 सितंबर, 2019 से फरवरी, 2020 की अवधि के दौरान यात्राओं की व्यक्तिगत रिपोर्ट, 40 आकांक्षी जिलों (देश के 14 राज्यों में फैले, यानी उड़ीसा, राजस्थान, असम, तेलंगाना, मणिपुर, छत्तीसगढ़, पंजाब, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) को माननीय सदस्यों द्वारा एक ही रिपोर्ट में समेकित किया गया था, जिसमें विभिन्न केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का सार दिया गया था। उनके द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों और सिफारिशों को संबंधित हितधारकों को भेजा गया था।

10.10 आयोग ने "सखी" – वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) से प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया और देश के सभी वन स्टॉप केन्द्रों को भेजा गया। वन स्टॉप केन्द्रों से जानकारी एकत्र करने का उद्देश्य उनके कामकाज का आकलन करना और तदनुसार सुझाव/सिफारिशें करना था।

10.11 आयोग ने देश में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गैर–सहायता प्राप्त महिला आश्रय गृहों के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के "स्वाधार गृह" जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना का हिस्सा नहीं है का सामाजिक अंकेक्षण करने का निर्णय लिया और निजी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृहों की जिलेवार सूची प्रदान करने के लिए मामले को नालसा और राज्य महिला आयोग के साथ उठाया गया। आयोग ने आश्रय गृहों के कामकाज के संबंध में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और महिलाओं की रहने की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा भी तैयार किया।

अध्याय 11

सूचना का अधिकार

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन और आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य विषयों के संबंध में स्पष्टता, पारदर्शिता और जबावदेही की अभिवृद्धि करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। इसमें आम जनता के कार्यक्षेत्रों की अधिक से अधिक जानकारी रखना भी सम्मिलित है।

11.2 आयोग का निरन्तर प्रयास रहा है कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नियमित अन्तराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए जिससे जनता कम प्रयास से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके। तद्नुसार, जहां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायतों की स्थिति उपलब्ध है और ऐसी शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रखने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के बारे में जो स्थिति है उसे अद्यतन किया है और यह भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा तैयार किए गए सभी विज्ञापनों को भी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों तक जानकारी का प्रचार सुनिश्चित हो सके।

11.3 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सूचना का अधिकार(आर.टी.आई) के सभी अनुरोधों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया जाए और अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक संबंधित प्राधिकारी को अंतरित किया जाता है।

11.4 वर्ष 2020–21 के दौरान सूचना के अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क. तिमाही–वार सूचना के अधिकार के आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान नीचे दिया गया है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारा 6(3) के अधीन अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही 1 (अप्रैल–जून, 2020)	16	18	133	0	16	113	38
तिमाही 2 (जुलाई–सितम्बर, 2020)	38	28	236	0	31	241	30

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारा 6(3) के अधीन अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसम्बर, 2020)	30	81	309	10	27	338	45
तिमाही 4 (जनवरी–मार्च, 2021)	45	36	268	10	32	284	23

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त प्रथम अपीलों का विवरण इस प्रकार है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारा 6(3) के अधीन अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)	41	लागू नहीं	26	0	0	65	2
तिमाही 2 (जुलाई–सितम्बर, 2020)	2	लागू नहीं	21	0	1	20	2
तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसम्बर, 2020)	2	लागू नहीं	29	0	1	27	3
तिमाही 4 (जनवरी–मार्च, 2021)	3	लागू नहीं	18	0	2	18	1

अध्याय 12

यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र

12.1 विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों के नियमों के अनुसार मानवोचित गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्य मानव अधिकार है। भारत में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न भाग है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से इस अधिकार का हनन होता है और महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की एक प्रभावी प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए कानून बनाया गया है और अन्य बातों के साथ साथ इसमें यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है।

12.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति (जो पहले आंतरिक शिकायत समिति के रूप में ज्ञात थी) का गठन किया है। 2020–2021 के दौरान, समिति की अध्यक्षता आयोग की सदस्य श्रीमती राजुलबेन एल देसाई ने की थी।

12.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतें और वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान आयोजित की गई कार्यशालाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटायी गई शिकायतों की सं.	नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं.	कार्यशाला या किए गए कार्यक्रमों की सं.	नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति
1.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	0**	लागू नहीं

**कोविड की वजह से कोई कार्यशाला नहीं हुई

अध्याय 13

मीडिया और आउटरीच कार्यक्रम

13.1 राष्ट्रीय महिला आयोग सोशल मीडिया पर एक सक्रिय भूमिका निभाता है और महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए न केवल जमीनी गतिविधियों के माध्यम से बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो वर्तमान समय में नई मुख्यधारा बन गई है। मीडिया और सोशल मीडिया में आयोग द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

13.2 सोशल मीडिया मध्यस्थों के साथ परामर्श

महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ साइबर हिंसा या साइबर VAWG (Violence against women and girls) दुनिया भर में समाज और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर प्रभावों के साथ एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है। समस्या की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 23 फरवरी, 2021 को साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ साइबर हिंसा का समाधान करने के लिए रणनीति तैयार करने पर एक परामर्श आयोजित किया। आयोग ने सोशल मीडिया मध्यस्थों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिन्होंने साइबर–वीएडब्ल्यूजी के बढ़ते मामलों और इन्हें कम करने के तरीकों पर चर्चा की। परामर्श में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और गूगल के जन नीति व्यावसायियों ने भाग लिया।

13.3 ट्विटर चैट और सोशल मीडिया अभियान

रा.म.आ. ने महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्विटर चैट और सोशल मीडिया अभियान चलाए हैं जिनमें लिंग आधारित हिंसा, मानव तस्करी और मातृ स्वास्थ्य शामिल हैं।

13.4 मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी के मुद्दे को उजागर करने के लिए सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डालने और मानव तस्करी से बचे लोगों की आवाज को सामने लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के साथ–साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाने के लिए 27 जुलाई से 30 जुलाई, 2020 तक तीन दिवसीय सोशल मीडिया अभियान चलाया। तीन दिवसीय ऑनलाइन अभियान हैशटैग #RoshniForWomen और #EndHumanTrafficking के तहत चलाया गया, जहां सूचना ग्राफिक्स, सूचनात्मक वीडियो और उत्तरजीवियों के प्रशंसापत्र के माध्यम से मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा की गई और अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा सहित इस उद्देश्य के लिए कार्यरत प्रसिद्ध हस्तियों के साथ ट्वीट चैट का आयोजन किया गया।

13.5 महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य

आयोग ने महिलाओं के सामने आने वाले मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक रचनात्मक ट्वीट चैट

का आयोजन किया। माननीय अध्यक्ष ने श्रोताओं से प्रश्न लिए और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर दिया।

13.6 लिंग आधारित हिंसा

महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा लिंग, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक है और इस मुद्दे को हल करने में विफलता के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कीमत देनी होगी। रा.म.आ ने 24 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 'लिंग आधारित हिंसा और संस्थागत सहारा' शीर्षक से अखिल भारतीय लाइव प्रश्नोत्तरी सत्र में भाग लिया। सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को कानूनी और सामाजिक प्रवचन दोनों में समाधानों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें घरेलू हिंसा से बचे लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध प्रणालीगत उपायों के बारे में सूचित कर लिंग आधारित हिंसा और इसके प्रभावों पर सामूहिक जागरूकता और समझ विकसित करना था ।

13.7 फेसबुक लाइव कार्यक्रम

आयोग सफलतापूर्वक इंटरनेट की गतिशीलता के अनुरूप रहा और कोविड–19 महामारी के कारण आयोग ने उत्पन्न नई जरुरतों को ध्यान में रखते हुए ट्वीट चैट और फेसबुक लाइव कार्यक्रम जैसे नए मीडिया टूल की ओर रुख किया है। आयोग ने महिला–केंद्रित मुद्दों जैसे मातृ स्वास्थ्य और बाल चिकित्सा पोषण, सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच आदि पर फेसबुक लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोग, विशेष फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा व्यापक पहुंच के लिए फेसबुक पर अपने वेबिनार का जीवंत–प्रसारण(लाइव स्ट्रीम) भी करता है।

13.8 महिलाओं का स्वास्थ्य और शारीरिक देखभाल

आयोग ने महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वर्चुअल चर्चा का आयोजन किया। प्रतिष्ठित पदाधिकारियों, विद्वानों, सरकार, स्वास्थ्य विभागों और व्यवसायिकों के साथ, आयोग ने एक व्यापक और सार्थक बातचीत की। विचार–विमर्श स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के महत्व, महिला स्वास्थ्य– सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास; कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे: संगठित और असंगठित क्षेत्र और महिला स्वास्थ्य– राज्य और शासन पर केंद्रित था।

13.9 उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना

यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की कुंजी है, रा.म.आ का उद्देश्य देश भर में महिलाओं के लिए एक स्थायी प्रभाव पैदा करना है, जिससे महिला उद्यमी उनके उद्यमशीलता के उपक्रमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक आसानी से पहुंच सकें। इसके लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, जो प्रबंधन, नवाचार और उद्यमिता में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाला एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है और भारत एसएमई फोरम, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भारत के सबसे बड़े गैर–लाभकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया और 5000 आकांक्षी महिला उद्यमियों की डिजिटल शिक्षा को समर्थन

और प्रायोजित करने के लिए सहयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। चयनित महिला उद्यमियों को कोर्स पूरा होने के बाद ज्ञान और मेंटरिंग पार्टनर द्वारा मेंटर और इनक्यूबेट होने का एक विशेष मौका मिलेगा। इस पाठ्यक्रम को 5 मार्च को लेह में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।

13.10 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसः महिलाओं के लिए पुरुष

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'महिलाओं के लिए पुरुष' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 मनाया। आयोग ने 10 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षमता में ठोस प्रयास करने वाले प्रतिष्ठित पुरुष व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का फेसबुक पर सीधा प्रसारण किया गया।

13.11 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ भारत

25, 26 और 27 नवंबर को महिलाओं और बालिकाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों, 'शारीरिक या वस्तुतः' पर आयोग ने 18 घंटे की ऑनलाइन चर्चा (3 दिन तक 6 घंटे प्रत्येक दिवस) का आयोजन किया। आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने के दृष्टिकोण, धारणाओं और तरीकों पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने के लिए सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, व्यावसायिकों और कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों और विद्वानों को एक साथ लाया।

13.12 सुरक्षित गर्भपात कानून

राष्ट्रीय महिला आयोग ने डॉ. सुचित्रा दलवी, एमडी, एमआरसीओजी के साथ एक फेसबुक लाइव का आयोजन किया, वे स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं और सुरक्षित गर्भपात कानून पर 20 से अधिक वर्षों से काम कर रही हैं। 7 अगस्त, 2020 को आयोजित फेसबुक लाइव में अवांछित गर्भधारण की घटनाओं को समझने, प्राकृतिक या जानबूझकर किए गए गर्भपात की घटनाओं को जानने, जिनसे एक सुरक्षित गर्भपात किया जा सकता है ऐसे तरीकों की व्याख्या करने; असुरक्षित गर्भपात और जटिलताओं पर तथा भारत में गर्भपात से संबंधित मौजूदा कानून और इस विषय से जुड़े मिथक और भ्रांतियां पर चर्चा की गई।

13.13 वी थिंक डिजिटल

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रा.म.आ. अपने कार्यक्रम 'वी थिंक डिजिटल' के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, जो फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से एक वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। आयोग ने देश भर में ऑनलाइन संसाधनों और शिकायत निवारण तंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वी थिंक डिजिटल के तीसरे चरण की शुरुआत की। कार्यक्रम का तीसरा चरण 4 मार्च, 2021 को लेह में शुरू किया गया था। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम में तीन विषय

शामिल हैं: डेटा गोपनीयता और सोशल मीडिया सुरक्षा, साइबर कानून, साइबर अपराध और निवारण, और साइबर नैतिकता और डिजिटल हित।

यह कार्यक्रम 18 जून, 2018 को पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे पहले सत्र के साथ शुरू किया गया था। कार्यक्रम ने अपने पहले चरण में 60,000 से अधिक प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाया। कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी, 2020 को शुरू किया गया था और सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 के अवसर पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। दूसरे चरण में 1,05,000 से अधिक प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने के लिए कुल 167 से अधिक वेबिनार आयोजित किए गए थे।

अध्याय 14

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

14.1 हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सर्वाधिक प्रचलित है। सामाजिक स्तर पर देश की आर्थिक क्षमता को उन्मुक्त करने और उत्पादन बढ़ाने तथा समावेशी विकास के लिए इन प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बैठना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और इसके साथ साथ नीरसता को कम करने की क्षमता रखता है। हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास करने और इसके साथ सामर्थ्यकारी वातावरण सृजित करने के लिए कुल मिलाकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के परिनियोजन को एक सक्षम साधन माना गया है। प्रज्ञावान समाज में महिलाओं को नियोजित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों और कौशल में भाग लेने की उनकी योग्यता को और विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे मुद्दों को गहराई तक समझ सकें और सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को अभिभूत कर सकें। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

14.2 राष्ट्रीय महिला आयोग प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय लेने की गति में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग करने में सबसे आगे रहा है। आयोग ने 2005 की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्रसंस्करण और शिकायतों का निपटान शुरू कर दिया था। भारतीय शिकायतकर्ता और साथ ही अप्रवासी भारतीय पति द्वारा परित्यक्त महिलाएं इस ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम हैं, यानी http://ncw.nic.in एक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ एक रसीद संख्या/फ़ाइल संख्या उत्पन्न की जाती है और शिकायतकर्ता को आबंटित की जाती है। यह प्रणाली व्यक्तिगत शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है। एक कदम आगे आयोग ने पीड़ितों की सुविधा और उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए एक 24x7 महिला हेल्पलाइन की अवधारणा की। कोई भी पीड़ित इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रक्रिया आगामी वर्ष में भी जारी रहेगी।

14.3 कोविड–19 महामारी के दौरान आयोग ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके सभी प्राप्त शिकायतों का ऑनलाइन संसाधन एवं उनका अनुवर्तन किया। आयोग ने महामारी के दौरान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श, वेबिनार और बैठकें आयोजित की।

14.4 वर्ष 2020–21 के दौरान एक ऑनलाइन पोर्टल ई–प्रस्ताव के माध्यम से शोध अध्ययन और वेबिनार/सेमिनार प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। कुल 1566 प्रस्ताव (1225 वेबिनार और 251 शोध अध्ययन) प्राप्त हुए और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किए गए, जिनमें से 149 को विशेषज्ञ समिति

द्वारा उचित जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था। सभी शोध और वेबिनार/सेमिनार प्रस्तावों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संसाधित और अंतिम रूप दिया गया था।

14.5 आयोग ने MyGov प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन क्विज (प्रश्नोत्तरी परीक्षा) "जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम" भी लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन क्विज में कुल 64,029 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

14.6 आयोग कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए यह फेसबुक इंडिया और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम चला रहा है।

अध्याय 15

सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

15.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

15.2 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए आयोग के राजभाषा प्रकोष्ठ में परामर्शदाता (रा.भा) एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री, जैसे साधारण आदेशों, पुस्तिका, संस्वीकृति, मैनुअल, मानक प्रपत्रों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टों आदि का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

15.3 हिन्दी के लिए किए जा रहे नियमित कार्यों के अलावा हिन्दी प्रयोग को बढावा देने के लिए हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोग द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हिन्दी प्रकोष्ठ मासिक संवादपत्र, विभिन्न प्रपत्रों, मार्गदर्शक दस्तावेजों/पुस्तिका एवं विभिन्न विषयों पर वेबिनार एवं शोध अध्ययन रिपोर्टों और आयोग की अन्य रिपोर्टों का अनुवाद कर रहा है।

15.4 आयोग में आंतरिक राजभाषा निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों में हिन्दी की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है।

अध्याय 16
वार्षिक लेखा
2020-21

राष्ट्रीय महिला आयोग
तुलन पत्र (गैर लाभ संगठन)
31 मार्च, 2021 तक

(राशि ₹)

पूंजीगत निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		सहायता अनुदान साधारण, पूंजीगत एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान सामान्य	कुल	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान	योग
पूंजीगत निधि	1	15,23,34,730.00	60,82,210.00	15,84,16,940.00	13,60,63,984.00	16,85,599.00	13,77,49,583.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-	-	-	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-	-	-	-	-
आस्थगित ऋण दायित्व	6	-	-	-	-	-	-
चालू दायित्व और प्रावधान	7	7,38,57,485.00	1,15,39,564.00	8,53,97,049.00	10,93,70,143.00	1,65,58,793.00	12,59,28,936.00
		22,61,92,215.00	**1,76,21,774.00**	**24,38,13,989.00**	**24,54,34,127.00**	**1,82,44,392.00**	**26,36,78,519.00**
आस्तियां							
नियत आस्तियां	8	13,39,28,200.00	-	13,39,28,200.00	14,98,29,598.00	-	14,98,29,598.00
निवेश - निर्धारित / अक्षय निधि से	9						-
अन्य निवेश	10	-	-	-	-	-	-
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11	9,74,41,007.00	1,24,44,782.00	10,98,85,789.00	10,08,99,304.00	1,29,49,617.00	11,38,48,921.00
विविध व्यय		-		-	-	-	-
							-
योग		**23,13,69,207.00**	**1,24,44,782.00**	**24,38,13,989.00**	**25,07,28,902.00**	**1,29,49,617.00**	**26,36,78,519.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां	25						

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण,एन.ई.आर. के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एनईआर	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-		-
अनुदान/सहायकी	13	13,26,60,073.00	7,18,17,902.00	13,55,58,611.00	7,48,12,446.00
फीस/अभिदान	14	-	480.00	-	5,224.00
निवेश से आय (निवेश पर आय, निधियों में अंतरित	15	-	-	-	
निर्धारि/अक्षय निधियोंसेआय)		-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
उपार्जित ब्याज	17	9,19,561.00	4,88,917.00	25,05,442.00	14,04,140.00
अन्य आय	18	50,67,670.00	1,40,260.00	1,02,61,816.00	1,35,013.00
पूर्व अवधि समायोजन		-	-	(1,47,02,009.00)	-
तैयार माल और कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) प्रगति पर है	19		-		-
			-	-	-
योग(A)		**13,86,47,304.00**	**7,24,47,559.00**	**13,36,23,860.00**	**7,63,56,823.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	3,49,05,452.00	4,22,40,409.00	3,39,28,186.00	4,12,53,248.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	(1,63,23,543.00)	2,58,10,539.00	10,22,76,622.00	3,76,74,878.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	8,79,58,120.00	-	9,91,44,589.00	-
ब्याज	23	-	-	-	-
अवक्षयण (वर्ष के अंत में कुल योग)		1,77,53,124.00	-	2,02,98,365.00	-
अवक्षयण(विगत अवधि)		-		38,050.00	-
विगत अवधि व्यय				-	-
नियत आस्तियों के विक्रय पर हानि		-	-	-	-
योग (B)		**12,42,93,153.00**	**6,80,50,948.00**	**25,56,85,812.00**	**7,89,28,126.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिशेष **(A-B)**		**1,43,54,151.00**	**43,96,611.00**	**(12,20,61,952.00)**	**(25,71,303.00)**
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण		-	-	-	-
अतिशेष(कम) होने के कारण समग्र/पूंजीगत निधि में अग्रनीत		**1,43,54,151.00**	**43,96,611.00**	**(12,20,61,952.00)**	**(25,71,303.00)**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्राप्तियां और भुगतान लेखा (गैर-लाभ संगठन)
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि ₹)

प्राप्ति	चालू वर्ष		विगत वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान, साधारण एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण एवं NER	सहायता अनुदान साधारण एवं सहायता अनुदान वेतन		सहायता अनुदान, साधारण एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण एवं NER	सहायता अनुदान साधारण एवं सहायता अनुदान वेतन
प्रारंभिक अतिशेष									
शेष नकदी	-	-	-	-	स्थापना व्यय(अनुसूची-26)	3,70,25,256.00	4,29,34,169.00	3,42,69,086.00	4,04,69,394.00
शेष बची डाक टिकट		2,78,868.00		2,99,541.00					
बैंक अतिशेष	2,51,60,872.00	1,17,71,910.00	1,37,21,816.00	25,58,699.00					
						95,08,902.00	2,95,68,613.00	5,78,22,335.00	3,56,47,396.00
					अनुसूची 27				
					पूर्व अवधि व्यय	-	-		
					विभिन्न परियोजनाओं के लिए				
प्राप्त अनुदान	13,92,43,000.00	6,91,13,000.00	14,97,78,000.00	8,39,41,000.00	निधियों के विरुद्ध किया गया	8,86,82,803.00	-	6,33,26,686.00	-
					धनप्रेषण (अनुसूची-29)	-	1,39,56,384.00	-	1,16,84,164.00
निवेश से आय					वेतन एवं लेखा अधिकारी महिला एवं	2,51,04,000.00	13,85,000.00	14702009	
अक्षय निधि	-	-	-	-	प्रतिभूति जमा राशि	2,99,500.00	30,000.00	4,02,500.00	-
					जमा प्राप्तियां	29,766.00			
					नियत				
					आस्तियों				
स्वनिधि	-	-	-	-	पर व्यय		-	-	-
					a) नियत आस्तियां	20,33,895.00	-	75,37,150.00	
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	b) प्रगति पर कार्य	-		-	
					MWCD को सहायता अनुदान वापस	15,08,663.00	8,35,714.00		
					अंतिम शेष				
प्राप्त ब्याज					नगद शेष	-		-	-
					शेष डाक टिकटें		13,300.00	-	2,78,868.00
बैंक में जमा	35,136.00	17,440.00	46,667.00	26,154.00	बैंक अतिशेष (अनु-30)	32,39,537.00	70,86,866.00	2,51,60,872.00	1,17,71,910.00
MOD (Sweep A/C) पर बैंक ब्याज	11,36,830.00	5,64,264.00	22,51,855.00	12,62,021.00					
ऋण एवं अग्रिम		-	3,47,02,000.00	-					
निवेश नगदीकरण	-	-	-	-					
	-	-	-	-					
अन्य आय									
सूचना का अधिकार		480.00		5,224.00					
विभिन्न आय	9,76,652.00	1,07,700.00	51,219.00	49,749.00					
विगत वर्ष विभिन्न आय	4,71,482.00		19,33,472.00	25,180.00					
धनप्रेषण (अनुसूची-29)		1,39,56,384.00	-	1,16,84,164.00					
प्रतिभूति जमा राशि	4,08,350.00	-	7,18,950.00	-					
देयताएं वापस लिखा			16,659.00						
राज्य चेक	-	-							
	16,74,32,322.00	**9,58,10,046.00**	**20,32,20,638.00**	**9,98,51,732.00**		**16,74,32,322.00**	**9,58,10,046.00**	**20,32,20,638.00**	**9,98,51,732.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 1- पूंजी निधि				
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	13,60,63,984.00	16,85,599.00	25,54,09,587.00	42,56,902.00
जोड़े- आरक्षित एवं अधिशेष से अंतरण	-	-	-	-
जोड़ें/(कटौती) :- आय एवं व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय(व्यय) का अतिशेष	1,43,54,151.00	43,96,611.00	(12,20,61,952.00)	(25,71,303.00)
		-		-
जोडे:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	19,16,595.00	-	27,16,349.00	-
		-		-
		-		-
वर्ष के अंत में अतिशेष	**15,23,34,730.00**	**60,82,210.00**	**13,60,63,984.00**	**16,85,599.00**

अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष

1) *पूँजीगत आरक्षित*

पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
घटाएं : पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची 1	-	-	-	-
कुल				

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 3- निर्धारित / अक्षय निधि			निरंक		
अनुसूची 4- प्रतिभूत ऋण और उधार			निरंक		
अनुसूची 5- अप्रतिभूत ऋण और उधार			निरंक		
अनुसूची 6- आस्थगित ऋण दायित्व			निरंक		
अनुसूची 7- चालू दायित्व और प्रावधान					
वर्तमान देनदारियां					
मार्च, 2021 के महीने के लिए संदेय वेतन		-	21,56,251.00	-	22,74,176.00
मार्च, 2021 के महीने के लिए संदेय प्रेषण		-	8,31,707.00	-	10,64,448.00
मार्च, 2021 के महीने के लिए संदेय बिल		1,29,282.00	9,47,778.00	2,13,509.00	8,83,248.00
डीईओ को मार्च, 2021 माह के लिए संदेय पारिश्रमिक		2,79,454.00	-	24,08,698.00	-
प्रतिभूति जमा		11,45,789.00	1,03,565.00	10,36,939.00	1,33,565.00
पुरानी चेक का दायित्व		-	-	-	-
मार्च,2011 के महीने के लिए बैंक शुल्क दायित्व		-	6,917.00	-	2,578.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को संदेय		33,05,689.00		46,88,649.00	
अव्ययित शेष राशि के लिए दायित्व वापसी योग्य		32,39,537.00	70,86,866.00	2,51,60,872.00	1,17,71,910.00
अव्ययित डाक टिकटों की शेष राशि के लिए दायित्व वापसी योग्य		-	13,300.00	-	2,78,868.00
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए उपबंध		-	1,50,000.00	-	1,50,000.00
संगठन/संस्था/एनजीओ को संदेय (A+B+C+D+F+H+I+J+K+M+N)		5,64,96,455.00	-	6,49,79,689.00	-
संगठन/संस्था/एनजीओ को संदेय राशि (NER)	E+G+L+O	92,61,279.00	-	1,08,81,787.00	-
CPFदेय			1,21,590.00	-	-
CPF			1,21,590.00		
देय अंशदान					
		7,38,57,485.00	**1,15,39,564.00**	**10,93,70,143.00**	**1,65,58,793.00**

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	A	**3,11,04,624**		**2,70,24,984**	
समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी चेन्ना-स्टू		599130		599130	
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद एसपी.एस		602280		738598	
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ओडिशा- Re Sty		720500			
एमिटी बिजनेस स्कूल एमिटी यूनिवर्सिटी-एसपी-एसटी		315600		315600	
एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ शोध अध्ययन		97650		292950	
अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय कोयंबटूर-Sp.St		80000		80000	
अमृता विश्व विद्यापीठम (विश्वविद्यालय) Sp.St Tamiln		-		154350	
बहिरी स्मारक महा विद्यालय महाराष्ट्र		552600		552600	
भारतीदासन विश्वविद्यालय महाविद्यालय-Sp.St.		-		57120	
भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान-Sp.St		421470		421470	
भारतीय स्त्री शक्ति मुंबई- Re. Sty G		540000		540000	
बीजे सरकार मेडिकल कॉलेज पुणे- Re.Sty		940000		-	
महिला अध्ययन केंद्र, असम-Sp.St		-		141120	
जम्मू का केंद्रीय विश्वविद्यालय-Re.Sty		609950		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर-Re.Sty		608850		-	
केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय - Res. Sty		711700		-	
पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय		91140		273420	
राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय-Sp.St		-		200340	
सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी एनएलयू दिल्ली-Sp.St		711900		711900	
Centre for the Study of Social Exc. & Incl.Poli.Sp		99600		99600	
महिला अध्ययन केंद्र अल्लागप्प विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन		232380		232380	
सेन्टर ऑफ स्टडीज़ फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर्स		-		101400	
छत्तीसगढ राज्य आयोग		7,50,000		-	
छायादीप समिति ग्राम राजखेता छत्तीसगढ- Sp St		-		158760	
ग्रामीण विकास के लिए ईसाई एजेंसी केरल SPSt		-		98070	
DAVस्नातकोत्तर महाविद्यालय उ.प्र.- Re.Sty		298800		298800	
मानव विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय-Re. Study		774900		774900	
पारिस्थितिकी विभाग, तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय-Sp. St.		256500		256500	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग आईआईटी खड़गपुर -Stu		630000		630000	
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग कर्नाटक Sp.		294600		294600	
समाजशास्त्र विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय-Sp. St.		296982		296982	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
समाजशास्त्र विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय-Sp. St.	268800		268800	
फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी-Sp.	-		140730	
गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उ.प्र-SpSt	-		126000	
गवर्नमेंट कॉलेज एमपी-Re. Study	541800		541800	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-Re.Sty	720500		-	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-Sp.St.	-		225540	
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब-Re.Sty	677499		-	
ग्रामीण विकास के लिए हरियाली केंद्र, जाकिर नगर दिल्ली-एसपी	122650		122650	
आईआईटी मद्रास, चेन्नई- Res.Sty	573300		573300	
भारतीय दलित अध्ययन संस्थान दिल्ली-Sp.St.	100000		100000	
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली-SP	847350		847350	
मानव विकास संस्थान दिल्ली-Sp.St	103800		310800	
जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई के लिए संस्थान-SP.St.	384600		384600	
आर्थिक विकास की निगरानी के लिए संस्थान केरल-Sp.	-		164430	
जबला एक्शन रिसर्च ऑर्गनाइजेशन	-		48615	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय विज्ञापन-अध्ययन	273420		273420	
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सामाजिक चिकित्सा केंद्र	1063755		1063755	
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (सीएसआरडी) SP.St	174720		174720	
JK Devlpmt Aciton Group J&K-Study	298200		298200	
कलासलिंगम विश्वविद्यालय आनंद नगर तमिलनाडु SP. St.	-		180600	
कर्नाटक राज्य अक्कमहादेवी महिला विश्वविद्यालय-R.St	286200		286200	
केरल महिला आयोग- Sp.St	-		493237	
K.E.Society राजारामबापू इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक महरी SPST	40000		40000	
कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु-Re. Study	285000		285000	
लेडी दोक कॉलेज केटी विलकॉक्स शिक्षाR Study	300000		300000	
अपोलो अस्पताल, दिल्ली के पास कानूनी सेवाएं	-		65200	
लियाकत अलि खां	-		40000	
लोयाला कॉलेज ऑफ सोशल साइंस केरल-स्टडी	99300		297900	
मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान तमिलनाडु-Sp.Sty	99750		299250	
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय पत्रिका विभाग.तमिलनाडु-Sp.	120000		120000	
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक-Sp.St	143380		143380	
महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान पुणे-Re Sty	940500		-	
मानवलोक कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र-Re.Sty	98700		296100	
सामाजिक विज्ञान के लिए मासूम सोसायटीSpcl Sudy)	-		38600	
मथुरा कृष्णा फाउंडेशन, बिहार	-		41200	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
मदर्स लैप चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन(Sp.St.)	-		15000	
मदर टेरिसा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	-		108360	
एम.एस. रमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्निक.बैंगलोर-R.Sty	550200		550200	
सुश्री शीला चौधरी	-		49200	
नबकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केंद्र	-		40000	
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कर	-		123788	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी-Sp.	1158000		915636	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उड़ीसा-Re.Sty	7,20,000		-	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एसटीडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची-Sp.	340750		340750	
पश्चिम बंगा युवा कल्याण मंच, Kolkatta	-		38640	
पेरियार विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग तमिलनाडु Sp	80000		80000	
पांडिचेरी विश्वविद्यालय -Res.Sty	598200		598200	
प्रिंसिपल जेपियर इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई-Sp.S	-		171600	
प्रोफेसर विजया लक्ष्मी, निदेशक, यूजीसी केंद्र उदयपुर	-		42600	
पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर विमेन तमिलनाडु-Re. Std	367350		367350	
रमा देवी महिला विश्वविद्यालय ओडिशा-Re Stdy	528600		528600	
रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात-Sp.St.	-		64260	
ग्रामीण संगठन सामाजिक सुधार Sp.St	-		128520	
सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसायटी तमिलनाडु-Sp.St	249000		249000	
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल	3,00,000		3,00,000	
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल	-		48258	
श्रीनिवास बहू उद्देशीय संस्था महाराष्ट्र-Sp.St	-		196245	
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय-Re St	902500		-	
बेघर महिलाओं का स्थितिजन्य विश्लेषण	-		150000	
S.N.D.T महिला विश्वविद्यालय मुम्बई-R.Sty	267750		267750	
सोसायटी फॉर यूनिवर्सल वेलफेयर जयपुर-Sp.St.	-		50820	
सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु-Sp.St	79800		79800	
श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज-Sp. Sp.	266550		266550	
सेंट जोसेफ कॉलेज कर्नाटक- Re.Sty	907500		-	
सूरज संस्थान जयपुर -Sp.St	-		100000	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा-Re.Sty	719998		-	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS)-Sp.St	-		2084040	
विश्वविद्यालय महिला अध्ययन विभाग भारथिअर विश्वविद्यालय-Std	89400		268200	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, चंडीगढ Re.S		759700		-	
हैदराबाद विश्वविद्यालय एपी- Re. Sty		904000		-	
कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर-Sp.St		1320750		710250	
लखनऊ विश्वविद्यालय यूपी-अध्ययन		194820		194820	
उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा-Sp.St		-		544950	
महिला अध्ययन केंद्र Sp.St.		-		236500	
महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालय कोलकाता Sp		-		86730	
महिला अध्ययन और विकासकर्ता, Kochi		-		116400	
एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग	**B**	**-**		**1,95,000**	
गुजरात राज्य महिला-नेटवर्किंग आयोग		-		75000	
असम राज्य महिला आयोग		-		120000	
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	**C**	**9,92,075**		**18,28,404**	
एसीपी/मुख्यालय/डीडीओ, एसपीयूडब्ल्यूसी नानकपुरा-क्षमता भवन		-		112140	
एसीपी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर राजेंद्र नगर-कैपेसी		80000		80000	
अपर डीजीपी (प्रशिक्षण) एवं निदेशक बीपीएसपीए ओडिशा- कैप बिल्डिंग		135000		135000	
सेंटर फॉर डेवेलपमेंट पोल्स साइंस एंड मांगमट राजस्थान पुलिस-Ca		150000		150000	
सामाजिक सुरक्षा और लिंग-क्षमता के लिए केंद्र		-		152869	
डीजीपी पंजाब चंडीगढ- न्यायपालिका की क्षमता निर्माण		150000		150000	
निदेशक पुलिस अकादमी मुरादाबाद-क्षमता बिल्ड		-		56700	
आईजीपी (प्रशिक्षण) एवं निदेशक राजा बहादुर वेंकट रामहैद कैप		-		150000	
कर्नाटक पुलिस अकादमी-क्षमता भवन		150000		150000	
महाराष्ट्र राज्य आयोग - क्षमता निर्माण		-		63000	
महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान-पंजाब		150000		150000	
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, अंडमान और निकोबार- कैपा बुइस		150000		150000	
प्राचार्य, केटीडीएस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, त्रिपुरा		-		171000	
राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी एपी पुलिस-क्षमता		-		42000	
एसपी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुडुचेरी-कैपेसिटी ब्यूज		27075		27075	
निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी-निर्माण भवन		-		88620	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	D	67,14,775		99,54,575	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		-		30000	
अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसायटी गुवाहाटी-एलएपी		-		23800	
अभिनव विकास मंच बिहार-एलएपी		-		50000	
आगरा ग्रामीण विकास पंचायत संघ- LAP		-		50000	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूपी-LAP		45000		45000	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP		1,47,500		-	
अंकुर सामाजिक सेवाभावी संस्था-महाराष्ट्र-LAP		-		50000	
अन्नामाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एंड साइंस त्रिपाठी-LAP		41500		41500	
अन्नामलाई विश्वविद्यालय,तमिलनाडु LAP		-		45000	
AP-LAP		-		50000	
आशा विकास संस्थान, उदयपुर		-		30000	
असम राज्य आयोग -LAP Non NER		300000		-	
गृह विज्ञान और उच्चतर शिक्षा के लिए अविनाशीलिंगम संस्थान LAP		-		45000	
अय्या नादर जानकी अम्मल कॉलेज तमिलनाड़- LAP		45000		45000	
बाबा फरीद कॉलेज बठिंडा-LAP		45000		45000	
वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान-LAP		42375		42375	
भगिनी मंडल चोपडा कॉलेज ऑफ सोशल वर्कLAP		45000		45000	
भारथियार विश्वविद्यालय श्री जीवीजी विशालाक्षी कॉलेज तमिलनाडु LAP		-		44500	
भारत उदय संस्थान- राजस्थान-LAP		-		50000	
भारतीय ध्यानवर्धनी लोकविकास, महाराष्ट्र-LAP		-		15000	
बिहार महिला महिला आयोग-LAP		400000		400000	
बीपीएस महिला विश्वविद्यालय हरियाणा-LAP		45000		45000	
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय-LAPG		45000		45000	
छत्तीसगढ राज्य महिला आयोग		-		30000	
चेंबूर सर्वांकश शिक्षाशास्त्र महाविद्यालय LAP		45000		45000	
छत्रपति शाहू संस्थान बिजनेस एजुकेशन महाराष्ट्र -LAP		-		45000	
क्राइस्ट, बेंगलुरु -LAP		43000		43000	
CIT					
डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ - LAP		50000		50000	
ग्रामीण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यपंक्ति कर्नाटक LAP		-		50000	
दलित महिला रचनात्मक परिषद, अहमदाबाद, गुजरात		-		15000	
शिक्षा विभाग भारतीय विश्वविद्यालय TN LAP		45000		45000	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण -LAP		-		50000	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
डॉ वीरेंद्र स्वरूप, व्यावसायिक अध्ययन,उ.प्र. LAP	-		45000	
एमराल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी AP LAP	30750		30750	
एक्सेल इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाइ LAP	-		45000	
विधि संकाय एएमयू (केंद्रीय विश्वविद्यालय) LAP	44000		44000	
गांधी सेवा संस्थान, छत्तीसगढ	-		15000	
गोवा राज्य आयोग -LAP	300000		300000	
सरकार कॉलेज एपी-LAP	45000		45000	
सरकार दिग्विजय कॉलेज छत्तीसगढ-LAP	44450		44450	
सरकार कमला देवी रति पीजी गर्ल्स-LAP	44450		44450	
सरकार रानी अवंती बाई लोधी कॉलेज छत्तीसगढ-LAP	44450		44450	
ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार	-		15000	
जी टी एन आर्ट्स कॉलेज तमिलनाडु-LAP	-		40000	
गुजरात स्टेट कमीशन फॉर वीमेन-LAP	-		250000	
गुरु नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स पंजाब-LAP	-		45000	
हरि श्री नई दिल्ली -LAP	-		50000	
हरियाणा राज्य महिला आयोग-LAP	800000		800000	
हेल्पफुल सोसाइटी, दिल्ली-LAP	-		50000	
होलीक्रॉस कॉलेज तमिलनाइ LAP	-		45000	
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP	500000		500000	
इंदर गणेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिची-LAP	45000		45000	
इस्माइलसाहब मुल्ला लॉ कॉलेज महाराष्ट्र-LAP	-		45000	
जम्मू कश्मीर राज्य महिला आयोग-LAP	50000		50000	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान	-		45000	
संयुक्त महिला कार्यक्रम, नई दिल्ली	-		30000	
कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय -LAP	45000		45000	
केरल राज्य महिला आयोग-LAP	250000		250000	
KLES आर्ट्स एंड कॉम.कॉलेज कर्नाटक-LAP	-		45000	
केएलई सोसायटी जगद्गुरु गंगाधर कॉलेज, कर्नाटक, LAP	-		45000	
कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज,तमिलनाइ-LAP	-		45000	
क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव, नासिकLAP	40000		85000	
के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय गुरुग्राम -LAP	45,000		45,000	
लेकसिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान	-		30000	
लाल बहादुर शास्त्री इंस्टिट्यूट ऑफ़ मांगमट द्वारका-LAP	45000		45000	
विधि विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय बठिंडा LAP	-		40000	
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय-LAP	-		50000	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय रोहतक-LAP	45000		45000	
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नागपुर-LAP	-		45000	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय LAP	45000		45000	
मल्लबपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी प.बं.	-		30000	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा-LAP	-		15000	
मानव कल्याण संस्थान, देहरादून	-		30000	
मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटक-LAP	30000		30000	
मरुधरा संस्थान जयपुर-LAP	-		250000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, बसवारा	-		15000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति,उदयपुर	-		15000	
मिजोरम राज्य आयोग LAP	600000		-	
मूलजी जैथा कॉलेज, समाजशास्त्र विभाग महाराष्ट्र-LA G	-		45000	
मुक्त भारती शिक्षा समिति राजस्थान LAP	-		50000	
नंदा इंजीनियरिंग कॉलेज इरोड तमिलनाडु-LAP	-		45000	
नवोदय प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर कर्नाटक-LAP-	-		45000	
नवादागर छत्तीसगढ़-LAP	-		50000	
नेमगोंडा दादा पाटिल निगथ कला और वाणिज्य महाविद्यालय LAP	-		43500	
महिलाओं के लिए निर्मला कॉलेज तमिलनाडु-LAP	45000		45000	
उड़ीसा राज्य महिला आयोग	-		50000	
ओपी जिंदल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़-LAP	45000		45000	
पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर कॉलेज ऑफ आर्ट LAP	-		45000	
पीपुल्स कॉलेज महर्षि-LAP	45000		45000	
प्रगति महिला भौउद्देशिया, महाराष्ट्र LAP	-		25000	
प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मांगमट एमपी-LAP	-		45000	
पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस.तमिलनाडु-LAP	-		45000	
पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर विमेन तमिलनाडु-LAP	-		45000	
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी, दिल्ली-LAP	-		15000	
पंजाब राज्य महिला आयोग -LAP	150000		-	
पुष्पा केकतिया चैरिटेबल ट्रस्ट	-		15000	
राचेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	-		12500	
राजापुर ग्राम्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान-LAP	-		100000	
राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूरी- LAP	44000		44000	
राजस्थान राज्य महिला आयोग-LAP	200000		200000	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
रामचंद्र कॉलेज ऑफ इंजी. एपी-LAP	50000		50000	
रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी केएलई सोसाइटीLAP	45000		45000	
रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय UP-LAP	50000		50000	
ग्रामीण विकास ट्रस्ट तमिलनाडु-LAP	-		25000	
गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण संगठन, उड़ीसा	-		15000	
शंकर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कमीशन तमिलनाडु -LAP	-		45000	
सरस्वती कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महर्षि-LAP	45000		45000	
सरबंगिन उन्नयन समिति, असम	-		20000	
सत्यवती कॉलेज दिल्ली- LAP G	45000		45000	
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय.-LAP	-		44000	
शाहजी लॉ कॉलेज, कोल्हापुरी- LAP	48300		48300	
शारदाबाई पवार महिला कला, वाणिज्य और विज्ञान.LAP	-		45000	
शिव शंकर सेवा संस्थान - राजस्थान- LAP	-		50000	
श्री अमोलक जैन विद्या प्रसारक मंडल महाराष्ट्र LAP	-		45000	
श्री देवी सिंह शिक्षा संस्थान UP-LAP	45000		45000	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति, अलवर	-		15000	
श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु-LAP	45000		45000	
श्री कृष्ण महाविद्यालय-महाराष्ट्र-LAP	45000		45000	
श्री लक्ष्मी ग्रामीण विकास एवं शिक्षा सोसायटी,AP LAP	-		15000	
श्री राधा कृष्ण सेवा समिति-LAP	-		50000	
सोसवा ट्रैनिंग एंड प्रमोशन पुणे-LAP	-		50000	
एसपी कॉलेज सिरोही राजस्थानी-LAP G	-		44000	
श्री नारायण ट्रेनिंग कॉलेज केरल- LAPG	45000		45000	
श्रीकृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, MP	-		15000	
सेंट एन कॉलेज फॉर विमेन मेहदीपट्टनम तेलंगाना-LAP	45000		45000	
सेंट जॉर्ज कॉलेज अरुविथुरा केरल LAP	45000		45000	
सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तमिलनाडु LAP	45000		45000	
सेंट पॉल कॉलेज केरल-LAP	45000		45000	
सुरेश शर्मा फाउंडेशन राजस्थान-LAP	-		100000	
स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय महर्षि-LAP	45000		45000	
स्वामी स्वतंत्रानंद मेमोरियल कॉलेज पंजाब LAP	-		45000	
तमिलनाडु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय.-LAP G	45000		45000	
तमिलनाडु राज्य आयोग-LAP	-		600000	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
महिला एवं बाल विकास सोसायटी और सेवा दिल्ली		-		30000	
दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय-LAP		-		100000	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग,LAP		50000		125000	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP		700000		700000	
वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु-LAP G		45000		45000	
उच्च प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई- LAP		45000		45000	
विद्या भूषण युवा मंडल -LAP		-		75000	
विज्ञान शिक्षा केंद्र, हरियाणा		-		30000	
विश्वेश्वरैया कम्युनिटी कॉलेज उदयपुर-LAP		45000		45000	
विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी तमिलनाडु-LAP		45000		45000	
विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्स एंड साइंस फॉर विमेन -LAP		45000		45000	
यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र LAP		-		45000	
योगी वेमना विश्वविद्यालयAP- LAP G		-		45000	
युवा संघर्ष समिति हरियाणा(LAP)		-		45000	
विधिक जागरुकता कार्यक्रम NER	**E**	**15,40,800**		**38,46,300**	
अमात्सारा शिलांग LAP NER		-		330000	
अरुणाचल प्रदेश राज्य आयोग. (LAP NER)		360000		360000	
डीरा ग्राम वन प्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश		-		20000	
जिला समाज कल्याण कार्यालय, असम		-		56500	
सरकार डिग्री कॉलेज त्रिपुरा-LAP NER		46800		46800	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर-L		60000		60000	
इत्तेहाद सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, असम-LAP		-		20000	
कृष्णाकांता हदिकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम LAP NER		-		60000	
मणिपुर विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन केंद्र इम्फाल-LAP G		54000		54000	
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, NER		-		-	
मिजोरम राज्य महिला आयोग, NER LAP		480000		480000	
नंदिनी वेलफेयर सोसाइटी असम-LAP NER		-		30000	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमती शंकर, असम, NER		-		40000	
रोटरी क्लब शिलांग-LAP NER(L)		-		510000	
ग्रामीण क्षेत्र सर्वोदय सर्वहारा-मणिपुर-LAP		-		120000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग-LAP NER		540000		540000	
संगीत नाट्य, मणिपुर-LAP NER		-		60000	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
तिनसुकिया कॉमर्स कॉलेज असम LAP NER	-		54000	
त्रिपुरा विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केंद्र-LAP NER	-		45000	
त्रिपुरा महिला आयोग, अगरतला(NER)LAP	-		960000	
PMLA(प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग) "धन शोधन निवारण अधि F	**-**		**1,65,000**	
दलित उत्थान राष्ट्रीय बालिका समिति,UP-PMLA	-		30000	
जन समाधान सेवा संस्थान-UP-PMLA	-		30000	
नरेंद्रदेव एजुकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र	-		15000	
प्रतिभा , UP, PMLA	-		90000	
संगोष्ठी सम्मेलन NER G	**16,55,317**		**33,44,100**	
अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज-S/CNER G	75,000		-	
महिला अध्ययन केंद्र, असम	-		30000	
मानव संसाधन और अर्थशास्त्र विकास केंद्र इंफाल	25000			
ग्रामीण अधिकारिता एवं विकास संगठन केंद्र S/C NER	25000			
पुन: अधिकारिता नागरिक गठबंधन, मणिपुर S/C N	-		200000	
राजनीति विज्ञान विभाग देबूगढ विश्वविद्यालय	-		30000	
डूमडूमा कॉलेज असम- S/C NER	177000		177000	
जनरेशन वेलफेयर सोसाइटी-S/C NER	25000			
ह्यांग मेमोरियल कृषि उद्योग और शिक्षा.AP S/C NER	-		30000	
इंदिरा गांधी सरकार कॉलेज अरुणाचल प्रदेश-S/C NER	-		177000	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय-मणिपुर S/C N	151000		151000	
ईश्वरंभ समिति संघ -S/C NER	-		30000	
काकोजन कॉलेज जोरहाट असम-S/C NER	-		91500	
कृष्णा कांता हांडीकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम-S/C NE	-		95000	
लिबरल कॉलेज इंफाल- S/C NER G	-		177500	
मणिपुर राज्य महिला आयोगS/C	75000		85000	
मणिपुर उत्थान केंद्र-S/C NER	25000		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग-S/C	130000		286000	
मिजोरम राज्य आयोग-NER(S/C)	50000		-	
मिजोरम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्कूल ऑफ ईएमआईएस- S/C NE	-		200000	
नागालैंड राज्य महिला आयोग S/C NER	-		333500	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
नाओतौमई ग्रामीण विकास संघ (एनआरडीए) मणिपुर- S/C NER		-		200000	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी असम S/C G		-		127400	
नई एकीकृत ग्रामीण प्रबंधन एजेंसी (S/C)		-		30000	
न्यू विजन क्रिएटिव सोसाइटी विलेज एंड पोस्ट एरा.असम		-		30000	
उत्तर पूर्व नेटवर्क, असम-S/c NER		-		135000	
पृथिमारी कॉलेज असम-S/C NER		1,22,500		1,22,500	
राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश-S/C NER		25,000		-	
रजिस्ट्रार, मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम-S/C NER		25,000		-	
ग्रामीण महिला उत्थान एसो. असम -S/C NER		1,47,500.00		1,47,500.00	
शंकरदेव कॉलेज मेघालय-S/C NER		25,000.00		-	
एससीएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर असम- S/C NER		-		1,08,000.00	
सिक्किम राज्य आयोग		2,22,700		1,72,700	
सिक्किम विश्वविद्यालय-S/C NER		25,000		-	
सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति फाउंडेशन इंफाल S/C N		25,000		-	
सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एजुकेशन, मणिपुर		25,000		-	
दक्षिण एशिया बांस फाउंडेशन-S/C NER		-		30000	
सैंट एडमंड्स कॉलेज शिलांग-S/C NER		25000		-	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई S/C NER		229617		-	
महिला अध्ययन केंद्र डिब्रूगढ विश्वविद्यालय असम-S/C NE		-		1,47,500	
राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी सम्मेलन	H	-		**1,20,000**	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया-S/C		-		90000	
सोसाइटी फॉर कम्युनिटी एक्शन एपी-S/C NL		-		30000	
संगोष्ठी सम्मेलन क्षेत्रीय स्तर	I	-		**1,20,000**	
सामाजिक न्याय के लिए अखिल भारतीय समाज-S/c		-		-	
नव भारत रूरल एंड एजुकेशनल सोसाइटी AP-S/C		-		60000	
श्री राजे शिव छत्रपति महाराष्ट्र-S/C R		-		60000	
संगोष्ठी सम्मेलन राज्य स्तरीय	J	-		**2,10,000**	
एआर फाउंडेशनAP-S/C		-		30000	
बांकुरा मानस सोशल वेलफेयर सोसाइटी,WB-S/C		-		30000	
बारबेरिया चेतना सत्संग प.बं.-S/C		-		30000	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
लोक सेवा संस्थान- S/C राज्य स्तरीय)		-		30000	
प्रगति संस्थान राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी S/C		-		30000	
स्वाबलंबन HP- S/C		-		30000	
वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसाइटी AP-S/C		-		-	
संगोष्ठी सम्मेलन अन्य	K	**1,71,91,212**		**1,24,96,085**	
ACP/DDO/SPUWC नानकपुरा a-S/C Exp		-		375000	
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय एपी-S/C		-		1,27,500	
एक्शनएड एसोसिएशन दिल्ली-S/c		25,000		-	
अधिकार, उडिसा-S/C		-		70,100	
आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश-S/C		-		1,24,500	
अखिल मानव सेवा परिषद-S/C		-		13950	
अक्खा महादेवी महिला विश्वविद्यालय कर्नाटक-S/C		-		1,18,250.00	
अखिल भारतीय स्थानीय -S		25,000.00		-	
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली-S/C		-		30000	
ऑल वूमेन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु-S/C		57000		57000	
एमिटी इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मेसी UP-S/C G		25000		-	
एमिटी लॉ स्कूल, U.P.(Sem/Con)		25000		153750	
एमिटी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़		-		107500	
एमिटी यूनिवर्सिटी पटना- S/C		25000		-	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग-S/C		200000		20000	
अरुणोदय एजुकेशनल एंड रूरल डेवल्पम सोसाइटी -S/C		-		29624	
आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी-S/C		25,000		1,27,500	
आश्रय संस्था महाराष्ट्र- S/C		25,000		-	
एटीएसपीएम आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज महाराष्ट्र-S/C		-		1,27,500	
ए वीरिया वंदयार मेमोरियल कॉलेज-S/C		25,000		-	
अवध एजुकेशनल सोसायटी लखनऊ-S/C		-		30000	
भारथिअर विश्वविद्यालय महिला तमिलनाडु विभाग-S/C		25,000.00		-	
भारथिअर विश्वविद्यालय तमिलनाडु-S/C		25,000.00		-	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, U.P.(S/C)		-		15000	
भारतीय महिला सेवा संघ गुजरात- S/C G		-		96650	
मास कम्युनिटी एंड जर्नल्स के भास्कर संस्थान Up-S/c		-		120000	
बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन गाजियाबाद-S/C		-		97030	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
बीएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इको, महाराष्ट्र-S/C	-		84500	
बीएन पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस-S/C	25,000		1,15,000	
बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल गवर्नमेंट आर्ट एंड साइंस Coll.Ker-S	-		114500	
उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीएमएपीओ) MP-S/C	1,19,350		1,19,350	
सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सबाल्टर्न स्टडी रांची-S/	-		1,14,450	
सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू-S	-		1,11,000	
महिला अध्ययन केंद्र,उदयपुर	-		90000	
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, शिमला S	123000		123000	
छत्रपति शाहू महाराज बहुदेशीय महाराष्ट्र-S/C	-		52125	
छतीसगढ राज्य महिला आयोग-S/C	527500		395000	
सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद-S/C G	-		87000	
देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र-S/C	-		115000	
वाणिज्य विभाग एएमयू अलीगढ- S/C	127500		127500	
प्रबंधन अध्ययन विभाग प्रबंधन स्कूल पांडिचेरी विश्वविद्यालय S/	-		1,40,000	
अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान अध्ययन विभाग S/C	-		1,52,500	
पुलिस उपायुक्त एसपीयूडब्ल्यूसी मालवीय नगरा-S/C	9,68,382		-	
विकासशील देश अनुसंधान केंद्र DU-S/C	-		90000	
देव हरि जन कल्याण सेवा समिति UP-S/C	-		87500	
डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय WB-S/C	-		107500	
निदेशक माया फाउंडेशन चंडीगढ़-S/C	-		90000	
डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय.-S/C	25000		-	
डॉ. बी.आर. सामाजिक विज्ञान अम्बेडकर विश्वविद्यालय.MP-S/C	25000		-	
डॉ. बो इंदिराबाई भास्करओ पाठक महिला कला S/C	-		121500	
दुआर्शानी सरमिक संघ, उड़ीसा	-		9000	
शैक्षिक और ग्रामीण विकास सोसायटी, तमिलनाडुS/C	-		29000	
एमरल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एमएनजीएमटी स्टडीAP S/C	25,000		-	
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा-S/C	-		90000	
ज्ञान सुधा एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद	-		15000	
शासकीय महाविद्यालय अनंतपुर AP-S/C G	136000		136000	
सरकार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे-S/C	25000		-	
सरकार डिग्री कॉलेज ताड़ीपत्री AP-S/C	-		128750	
गुजरात राज्य महिला आयोग-S/C	70000		80000	
गुरु गोविंद सिंह खालसा महाविद्यालय पंजाब-S/C G	126000		126000	
Gगवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे-S/C	25000		-	
हंसराज कॉलेज विश्वविद्यालय-S/C	-		1,43,500	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
हरियाणा राज्य आयोग-S/C G	20,000		20,000	
हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय, झुंझुनू				
हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय, झुंझुनू	-		90000	
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी-S/C	-		146223	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोगS/C	3,60,050		-	
एचएमयू हाशमी लॉ कॉलेजUP-S/C	-		112000	
एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड- S/C	-		130000	
होली क्रॉस कॉलेज नागरसिल, तमिलनाडु-S/C	1,00,000		1,00,000	
मानव संसाधन उन्नति कल्याण दिल्ली-S/C	-		30000	
IIM बैंगलुरु- S/C	45,00,000		-	
IIPA दिल्ली- S/C	1,39,500		1,39,500	
भारतीय युवा कल्याण संस्थान, महाराष्ट्र	-		15000	
वैमानिकी इंजीनियरिंग संस्थान तेलंगाना-S/C	25000		-	
श्रमिकों के लिए एकीकृत जनजातीय विकास	-		30000	
जन समाज कल्याण ग्रामोद्योग विकास सेवा UP S/C	-		96750	
जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी तेलंगाना-S/	-		88500	
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय MP, S/C	25000		-	
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली- S/C G	-		107500	
जीवन प्रकाश ट्रस्ट गुजरात-S/C	-		30000	
झारखण्ड राज्य आयोग-S/C	-		30000	
जेएमजे कॉलेज फॉर विमेन तेनाली AP-S/C	-		150000	
काकरपर्ती भावनानारायण कॉलेज-S/C G	25000		-	
कालिंदी कॉलेज दिल्ली के पूर्वी पाटन नगर विश्वविद्यालय-S/C	-		1,10,000	
कराशाक अनुसूचित जाति एवं जनजाति: M.P S/C	-		1,45,000	
कर्नाटक राज्य अखामहादेवी महिला विश्वविद्यालय-S/C	25,000		-	
काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र-S/C	-		71,250	
क्रांति वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटक S/C	-		60000	
कृषि महिला मंडली नवा, एपी	-		30000	
कुमारशा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, WB	-		15000	
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल-S/C G	25,000		-	
कुंवर सिंह कॉलेज पीडब्ल्यूडी कॉलेज बिहार-S/C	25,000		-	
लक्ष्मी नारायण कॉलेज ओडिशा-S/C G	-		1,31,500	
एलकेवीडी कॉलेज तेजपुर बिहार-S/C	25,000		-	
मद्रास क्रिसियन कॉलेज चेन्नई-S/C G	25,000		-	
सामाजिक कार्य स्कूल,मद्रास -S/C G	-		92500	
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई-S/C	-		117000	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं **NER** पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान **NER**	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वि.वि. वाराणसी S/C	155000		130000	
मामो कॉलेज केरल -S/C	25,000		-	
माता मन्ती समाज सेवा संस्थानबिहार-S/C	-		49700	
माया फाउंडेशन चंडीगढ़-S/C	-		30000	
मेडिवर्ल्ड एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली-S/C G	-		137500	
मेघालय राज्य आयोग-S/C Non NER	111300		-	
मदर टेरेसा महिला महाविद्यालय तमिलनाडु-S/C	-		182375	
एमएस भगत और सीएस सोनावल लॉ कॉलेज सरदार पटेल विश्वविद्यालय S	-		1,07,000	
राष्ट्रीय विधि वि.वि.. MP-S/C	-		134900	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगालS/C	111000		111000	
नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च झारखंड-S/	25000		-	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एसटीडी एंड रीसा इन लॉ एनयूएसआरएल रांची-S/C	-		1,60,000	
नवरासम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर विमेन, तमिलनाडु-S/C	-		1,05,000	
एनएडब्ल्यूओ, सी/ओ डॉ. पाम राजपूत महिला संसाधन, चंडीगढ़	-		200000	
ओडिशा राज्य महिला आयोग-S/C	176000		-	
आयोजन सचिव, 33वां अपराध विज्ञान सम्मेलन जम्मू-कश्मीर	-		90000	
पहल वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा-S/C	-		30000	
शांति सुलह मंत्रालय आंध्र प्रदेशS/C	-		30000	
पिंपरी छिंदवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे-S/C G	25000		-	
पी.के.आर.आर्ट्स कॉलेज फॉर विमेन तमिलनाडु- S/C	25,000		-	
प्रभात कुमार कॉलेज WB-S/C G	25,000		-	
प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान ट्रस्ट MP-S/C	25,000		-	
प्रिंसिपल कौंगू इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु-S/C	25,000		-	
प्राचार्य एम.पी. सरकार स्नातकोत्तर कॉलेज, राजस्थान	-		30000	
पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर विमेन तमिलनाडु-S/C	-		60,000	
पुइचेरी महिला आयोग-S/C G	-		1,00,000	
पंजाब राज्य महिला आयोग-S/C	1,50,000		-	
पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला- S/C	-		1,11,500	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान, राजस्थान	-		30000	
रामपुर समाज सेवा समिति - S/C G	-		1,42,500	
रशीदा बेगम महिला महाविद्यालय अमरोहा S/C	-		1,00,500	
आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुंबई	-		30000	
सद्भावना समन्वय संस्थान UPS/C	-		45000	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सखी केंद्र-S/C	-		60000	
समाज कल्याण फाउंडेशन-S/C	-		97,500	
समर्पण ट्रस्ट मंडली गुजरात- S/C	25000		-	
सम्मति सामाजिक समिति, म.प्र.	-		15000	
संजीवनी भुवनेश्वर	-		9000	
शंकर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स तमिलनाडु-S/C	25,000		-	
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति उत्तरा-S/C	-		30000	
सतत् बस्ती विकास केंद्र दिल्ली-S/C G	-		145000	
एसबी कॉलेज ऑफ लॉ, उत्तर प्रदेश- S/C	-		100500	
कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय S	25000		-	
स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा-S/C	50000		-	
शाहजी लॉ कॉलेज कोल्हापुरी-S/C	25000		-	
शिवाजी कॉलेज विश्वविद्यालय- S/c	25,000		-	
शोभित विश्वविद्यालय, गंगोह, आदर्श संस्थान क्षेत्र उत्तर प्रदेश S/C	-		1,18,250	
श्री गिरिराज जी महाराज शिक्षा, UP-S/C	-		30000	
सिल्दा स्वास्ति उन्नयन समिति, मेदिनीपुर, पश्चिम बगाल	-		30000	
सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति फाउंडेशनS/C	-		1,00,000	
सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, हैदराबाद	-		15000	
एसपी कॉलेज सिरोही राजस्थान-S/C G	25000		-	
श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज-S/C	-		67,500.00	
सृजन संस्थान इलाहाबाद-S/C	75000		75000	
एसटी एन्स कॉलेज फॉर विमेन हैदराबाद, तेलंगाना-S/C	25,000		-	
स्टार यूथ एसोसिएशनAP-S/C	-		10000	
सेंट ग्रेगोरियस कॉलेज केरल-S/C	-		85500	
सेंट पॉल कॉलेज केरल-S/C	-		92,750	
सुजीत शिक्षा समिति राजस्थान-S/C	-		142500	
सुरुचि कला केंद्र, बिहार-S/C	-		30000	
सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट तमिलनाडु-S/C	62500		62500	
एस.वी.एजुकेशनल सोसायटीAP-S/C	-		30000	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय S/C G	25000		-	
स्वामी स्वतंत्रानंद मेमोरियल कॉलेज पंजाब-S/C	-		120000	
स्वास्तिक महिला विकास संस्थान UP-S/C	-		137500	
तमिलनाडु राज्य महिला आयोग S/C	302708		220208	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई-S/C		971646		-	
तेलंगाना राज्य महिला आयोग -S/C		6,00,000		-	
तेलंगाना राज्य महिला आयोगAP-S/C		-		20000	
पुलिस आयुक्त पुणे-S/C		-		30000	
द होली फेथ एजुकेशनल देवल्पमट सोसाइटी-AP-S/C		-		50000	
TISS मुंबई-जम्मू और कश्मीर परियोजना-S/C		5596776		-	
TISS हिंसा मुक्त होम दिल्ली योजना.-S/C		1,00,000		-	
5 वर्षीय लॉ कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय.S/C		-		104900	
उत्कल यूथ एसोसिएशन फॉर सोशल डेवेलपमेंट UP S/C		-		44750	
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय- S/C G		-		115000	
उत्तराखंड राज्य आयोग-S/C G		50000		20000	
विद्या कला संस्थान, U.P		-		15000	
विकास भारती सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरातS/C		25000		-	
विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशनUP S/C G		-		120000	
पश्चिम बंगाल महिला आयोग-S/C		-		60000	
योगेश्वरी महाविद्यालय महाराष्ट्र-S/C		105000		105000	
योगी वर्माना विश्वविद्यालयAP-S/C		-		117500	
योर स्टोरी मीडिया प्रा. लिम.-S/C		-		600000	
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन NER	L	**49,56,902**		**25,83,127**	
असम विश्वविद्यालय- Sp.St.NER		267000		398040	
महिला अध्ययन केंद्र डिब्रूगढ विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन NE		610000		-	
चंद्रप्रभा सैकियानी सेंटर फॉर विमेन, असम		285000		285000	
व्यवसाय प्रशासन विभाग असम विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन-NER		717750		-	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वालफेयर एसोसिएशन, असम NER		-		36600	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर		289800		289800	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर NER		-		37065	
जन समृद्धि समिति, इंफाल, मणिपुर		-		32350	
मेघालय राज्य महिला आयोग - Sp Std (NER)		-		182364	
मिजोरम राज्य महिला आयोग-Sp.St.NER		-		492000	
मोजोरम विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग, आइजवाल-Sp.St		-		300000	
ओमेओ कुमार दास इंस्टिट्यूट ए सोशल चेज		-		48000	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
राजीव गांधी विश्वविद्यालय एपी-Re. Sty NER		1869902		-	
सिक्किम राज्य महिला आयोग-SP.St.Ner		-		61908	
टेटसो कॉलेज नागालैंड- Re.Sty NER		497450		-	
विवेकानंद केंद्र संस्कृति संस्थान असम		420000		420000	
विधिक समीक्षा	**M**	**4,93,769**		**6,56,115**	
डीन, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय		-		236906	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय - कानून की समीक्षा		134528		116528	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी बांग्ला-रेव ऑफ़ लॉ		146991		127431	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक- लॉ जी की समीक्षा		175250		175250	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी		17000		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली- S/C		20000			
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण	**N**	**-**		**1,22,09,526**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज		-		10665270	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) -पंचायती		-		1544256	
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण-NER	**O**	**11,08,260**		**11,08,260**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना		1108260		1108260	

वेतन एवं लेखा आयोग

सदस्य सचिव

(राशि ₹)

अनुसूची 8- स्थायी संपत्ति

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
1) भूमि	35,53,443	-	35,53,443	
2) फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,00,59,062	-	1,10,59,364	
3) मशीनरी और उपकरण	3,62,26,235	-	4,15,39,705	
4) कम्प्यूटर	14,72,187	-	22,42,477	
5) वाहन	21,33,423	-	19,91,319	
6) पुस्तक एवं प्रकाशन	43,243	-	64,838	
7) भवन	8,04,40,607		8,93,78,452	
	13,39,28,200	**-**	**14,98,29,598**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 8- स्थायी संपत्ति

(राशि रुपयों में)

	सकल ब्लॉक					अवक्षय				शुद्ध ब्लॉक	
	प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	कटौती	समायोजन	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष पर (*)	परिवर्धन पर	कटौती पर	अंत में कुल मूल्यह्रास	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
										-	
स्थायी संपतियाँ										-	
भूमि	35,53,443			-	35,53,443.00	-	-	-	-	35,53,443.00	35,53,443
भवन	8,93,78,452	-	-	-	8,93,78,452.00	89,37,845.00		-	89,37,845.00	8,04,40,607.00	8,93,78,452
उपस्कर एवं मशीनरी	4,15,39,705	10,00,535.00	-	-	4,25,40,240.00	62,30,956.00	83,049.00		63,14,005.00	3,62,26,235.00	4,15,39,705
वाहन	19,91,319	5,18,590.00	-	-	25,09,909.00	2,98,698.00	77,788	-	3,76,486	21,33,423	19,91,319
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,10,59,364	1,15,755.00	-	-	1,11,75,119.00	11,05,936.00	10,121.00		11,16,057.00	1,00,59,062.00	1,10,59,364
कम्प्यूटर	22,42,477	2,76,290.00	64,869.00		24,53,898.00	8,96,991.00	84,720.00		9,81,711.00	14,72,187.00	22,42,477
पुस्तकें एवं प्रकाशन	64,838	5,425.00	-	-	70,263.00	25,935.00	1,085.00	-	27,020.00	43,243.00	64,838
चालू वर्ष का कुल	**14,98,29,598**	**19,16,595**	**64,869**	**-**	**15,16,81,324**	**1,74,96,361**	**2,56,763**	**-**	**1,77,53,124**	**13,39,28,200.00**	**14,98,29,598**

मूल्यह्रास गणना

फर्नीचर एवं फिक्सचर

	8,666.00		
2020-21 (सितंबर,20 तक) में रु. 86655 की खरीद पर पूर्ण मूल्यह्रास लगाया गया			
	1,455		
वर्ष 2020-21 के लिए 29100/- रुपये पर आधा मूल्यह्रास लगाया गया			
कुल	**10,121**		

कम्प्यूटर

रुपये 147310 पर कुल मूल्यह्रास		58924	
128980 रुपये पर आधा मूल्यह्रास		25796	
कुल मूल्यह्रास		**84,720.00**	

मशीनरी

		16,018	
1,06,789 रुपये की खरीद 2020-21 (सितंबर,20 तक) पर पूर्ण मूल्यह्रास लगाया गया			
		67,031	
वर्ष 2020-21 के लिए 893746/- रुपये पर आधा मूल्यह्रास लगाया गया			
कुल मूल्यह्रास		**83,049**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 9 अंकित/अक्षय निधि से निवेश				निरंक	
अनुसूची 10 अन्य निवेश				निरंक	
अनुसूची 11 चालू संपत्ति, लोन, अग्रिम					
A. *चालू सम्पतियां*					
1) सूची			3,27,481.00		8,14,321.00
2) हाथ में नकद (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		-	-	-	-
3) हाथ में डाक टिकट			13,300.00		2,78,868.00
4) बैंक बैलेंस:-					
	अनुसूचित बैंकों के साथ:				
	बचत खातों पर	32,39,537.00	70,86,866.00	2,51,60,872.00	1,17,71,910.00
5) ऋण, अग्रिम और अन्य राशि वसूली योग्य नकद या में प्रकार या मूल्य प्राप्त करने के लिए:-		-	-	-	-
6) प्रीपेड व्यय			-		-
7) मार्च, 2021 के महीने के लिए अर्जित ब्याज		66,676.00	-	4,11,868.00	-
8) विविध देनदार		1,50,000.00	-	1,50,000.00	-
	A	**34,56,213.00**	**74,27,647.00**	**2,57,22,740.00**	**1,28,65,099.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
B.	***ऋण और अग्रिम***				
	सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)	**B** **7,30,50,498.00**		**5,39,18,746.00**	
	कर्मचारियों को अग्रिम(X+Y+Z)	**2,300.00**		**-**	
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन (X)	2,300.00		-	
	मृदुल भट्टाचार्या	2,300.00		-	
	आर.सी.मिश्रा	-		-	
	विनोद कुमार, LDC	-		-	
	नीलम, परामर्शदाता	-		-	
	विज्ञापन के लिए अग्रिम	**1,18,15,201.00**		**1,18,15,201.00**	
	लेखा अधिकारी DAVP, विज्ञापन (Adv.)	1,15,09,064.00		1,15,09,064.00	
	संपादक रोजगार समाचार विज्ञापन	55,037.00		55,037.00	
	PAO M/oसूचना और प्रसारण	1,51,100.00		1,51,100.00	
	संस्कृत भारती दिल्ली	1,00,000.00		1,00,000.00	
	रोजगार समाचार	-		-	
	श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम	**3,75,96,450.00**		**3,83,31,556.00**	
	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	76,31,100.00		76,31,100.00	
	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम- एवी ऑडियो विजुअल	11,97,291.00		11,97,291.00	
	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम- एवी ऑडियो विजुअल	1,22,72,292.00		1,57,33,386.00	
	प्रसार भारती	1,64,95,767.00		1,37,69,779.00	
	संगठन/राज्य आयोग/एनजीओ को अग्रिम	**16,53,489.00**		**18,53,489.00**	
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन				
	स्वरलिपि स्वागत बिल्डिंग, मुंबई	-		-	
		2,00,000.00		2,00,000.00	
	आंध्र प्रदेश राज्य आयोग				
	गुजरात राज्य महिला आयोग	94,170.00		94,170.00	
	हरियाणा राज्य महिला आयोग	1,00,000.00		1,00,000.00	
	जम्मू-कश्मीर राज्य महिला आयोग	-		-	
	तमिलनाडु राज्य महिला आयोग	-		2,00,000.00	
	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	12,59,319.00		12,59,319.00	

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सम्मेलन के लिए अग्रिम	**7,41,168.00**		**5,18,500.00**	
एस्टेट के सहायक निदेशक-S/C Adv	30,000.00		30,000.00	
बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड-Adv Sem	3,00,000.00		3,00,000.00	
उप निदेशक बागवानी	1,07,310.00		-	
इंडियन इंटरनेशनल सेंटर	66,528.00		-	
इंडिया अहेड न्यूज Pvt. Ltd	-		1,00,000.00	
प्रवासी भारतीय केन्द्र	88,500.00		88,500.00	
ITDC	-		-	
सहायक निदेशक,एस्टेट	1,48,830.00		-	
विधिक समीक्षा के लिए अग्रिम	**8,18,290.00**		**8,00,000.00**	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात	1,00,000.00		1,00,000.00	
राष्ट्रीय विधि विद्यालय, उड़ीसा	18,290.00			
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बैंगलुरु	700000.00		700000.00	
विधिक जागरुकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम	**20423600.00**		**600000.00**	
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, JNU Campus	600000.00		600000.00	
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(NALSA)	19823600.00			
पंचायती राज क्षमता निर्माण के लिए अग्रिम	**0**		**-**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान			0	
अन्य अग्रिम	**0.00**		**-**	
CPWD (अग्रिम)			-	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.35.00.31)	C		**49,88,135.00**	**-**	**55,518.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**49,76,982.00**		**44,365.00**
कार्यालय व्यय			**47,703.00**	**-**	**10,000.00**
आर.सी.मिश्रा			14,039.00		-
बर्नाली शोम, अवर सचिव			-		10,000.00
मृदुल भट्टाचार्या			33,664.00		-
यात्रा व्यय			**2,19,914.00**	**-**	**33,000.00**
कर्मचारियों को अग्रिम					
रेखा शर्मा, अध्यक्षा			0.00		5000.00
बामर और लॉरी			2,19,914.00		-
श्यामला के. कुंदर, सदस्य			-		25,000.00
नेहा सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक			-		3,000.00
वरुण छाबड़ा, परामर्शदाता			-		-
पेट्रोल के लिए अग्रिम			**1,365.00**		**1,365.00**
बी.एस.रावत			1365.00		1365.00
कार्यालय व्यय के लिए अग्रिम			**47,08,000.00**		**-**
BRPL			4,18,000.00		-
NBCC					
सर्विस लिमिटेड			42,90,000.00		-
OMCA			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार एडवांस			11,153.00		11,153.00

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सहायता राशि NER(2235.02.103.71.01.31)	D	**2,08,66,370.00**		**2,12,19,658.00**	-
संगठनों/राज्य आयोगों/गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम		**41,34,252.00**		**29,77,750.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन(NER)		**25,68,252.00**		**25,77,750.00**	-
सामाजिक कल्याण निदेशक, मेघालय सरकार		4,40,000.00		4,40,000.00	-
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, असम		-		-	-
पाण्डीचेरी महिला आयोग		5,00,000.00		5,00,000.00	-
प्रमुख सचिव, त्रिपुरा सरकार		2,50,000.00		2,50,000.00	-
राज्य महिला आयोग, अरुणाचल प्रदेश		1,00,000.00		1,00,000.00	
राज्य महिला आयोग, मणिपुर		2,18,000.00		2,18,000.00	
राज्य महिला आयोग,मिजोरम		51,000.00		51,000.00	
मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय		34,750.00		34,750.00	
दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर		74,502.00		84,000.00	
रोटरी क्लब शिलांग		9,00,000.00		9,00,000.00	-
विधिक जागरुकता कार्यक्रम(NER)		**15,66,000.00**		**4,00,000.00**	-
रोटरी क्लब शिलांग- NER		4,00,000.00		4,00,000.00	-
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)		11,66,000.00			
विज्ञापन के लिए अग्रिम (NER)		**44,28,428.00**		**44,28,428.00**	
लेखा अधिकारी DAVP		13,44,231.00		13,44,231.00	
प्रचार भारती		30,84,197.00		30,84,197.00	

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्यसहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदानएवं सामान्य सहायता अनुदान	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
श्रव्य दृश्य और प्रचार के लिए अग्रिम (NER)		**1,23,03,690.00**		**1,38,13,480.00**	
लेखा अधिकारी DAVP		8,47,900.00		8,47,900.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम		67,34,210.00		82,44,000.00	
प्रसार भारती(BCI)		4721580.00		4721580.00	
योग E (B+C+D)		**9,39,16,868.00**	**49,88,135.00**	**7,51,38,404.00**	**55,518.00**
सुरक्षा जमा राशि	**F**	**67,926.00**	**29,000.00**	**38,160.00**	**29,000.00**
योग A+E+F		**9,74,41,007.00**	**1,24,44,782.00**	**10,08,99,304.00**	**1,29,49,617.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय	निरंक		निरंक	

अनुसूची 13 अनुदान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं साधारण
1) केन्द्र सरकार				
अनुदान	13,45,76,668.00	7,18,17,902.00	13,82,74,960.00	7,48,12,446.00
घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान राशि	19,16,595.00	-	27,16,349.00	-
कुल अनुदान	**13,26,60,073.00**	**7,18,17,902.00**	**13,55,58,611.00**	**7,48,12,446.00**

अनुसूची 14- शुल्क/सदस्यता

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं साधारण	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-	-	-
3) आर.टी.आई. शुल्क	-	480.00	-	5,224.00
		-		-
		480.00		**5,224.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राशि

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं साधारण
अनुसूची-15 निवेश से आय		निरंक		निरंक
अनुसूची -16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		निरंक		निरंक

अनुसूची 17 अर्जित बयान

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
1) बचत बैंक खाते पर				
a) शेड्यूल बैंक के साथ	41,768.00	22,208.00	49,486.00	27,733.00
b) MOD(Sweep A/C) से ब्याज	8,77,793.00	4,66,709.00	24,55,956.00	13,76,407.00
2) HBA से ब्याज	-	-	-	-
3) CPF से अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4) FDR से अर्जित ब्याज	-	-	-	-
	9,19,561.00	**4,88,917.00**	**25,05,442.00**	**14,04,140.00**

अनुसूची 18 अन्य आय

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं साधारण	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
1) पुनरांकित देयताएं	37,25,653.00	32,560.00	83,28,344.00	60,082.00
2) विविध आय	9,02,285.00	1,07,700.00	-	49,751.00
3) विगत अवधि में विविध आय	4,39,732.00	-	19,33,472.00	25,180.00
	50,67,670.00	**1,40,260.00**	**1,02,61,816.00**	**1,35,013.00**

वेतन एवं लेखा आधिकारी

सदस्य सचिव

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.
अनुसूची 19- तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	निरंक		निरंक	
a)बंद स्टॉक		निरंक		निरंक
b) कम: प्रारंभिक स्टॉक		निरंक		निरंक
कुल वृद्धि/(कमी) (a-b)				-

अनुसूची -20 स्थापना व्यय

(₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
1	वेतन				
	अध्यक्षा एवं सदस्य (16026686-1224522{Payable})	-	1,48,02,164.00	-	1,61,90,559.00
	अधिकारी (14397460-905927{Payable})	-	1,34,91,533.00	-	1,14,54,507.00
	स्टाफ (9984155-857509{Payable})	-	91,26,646.00	-	80,93,965.00
2	भत्ता	3,18,02,642.00	-	2,91,45,647.00	-
	मार्च महीने के लिए संदेय मजदूरी	2,79,454.00		21,97,698.00	
3	अन्य निधियों में योगदान:-				
	LSC /PC	-	17,10,518.00	-	15,89,319.00
4	पेशेवर शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	28,02,618.00	-	23,62,543.00	-
	मार्च महीने के लिए संदेय व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	20,738.00		2,22,298.00	
5	CGHS संदेय		-		5,86,274.00
6	CPF अंशदान संदेय		1,21,590.00		-
7	मार्च, 2021 के महीने के लिए देय वेतन		21,56,251.00		22,74,176.00
8	मार्च, 2021 के महीने के लिए देय विप्रेषण		8,31,707.00		10,64,448.00
		3,49,05,452.00	**4,22,40,409.00**	**3,39,28,186.00**	**4,12,53,248.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
विज्ञापन व्यय	54,932.00	-	5,56,86,855.00	-
प्रिंटिंग	3,26,625.00	-	12,51,294.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	39,22,366.00	-	43,19,285.00	-
विशेष अध्ययन	50,000.00	-	9,09,126.00	-
कानूनी समीक्षा	5,79,862.00	-	3,12,196.00	-
श्रव्य-दृश्य प्रचार-स्पॉट, वृत्तचित्र फिल्में आदि	35,14,194.00	-	2,68,87,443.00	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण		-		-
कार्यालयीन व्यय	-	2,23,64,010.00	-	2,67,75,176.00
मरम्मत एवं रखरखाव	-	2,58,177.00	-	28,51,984.00
टेलीफोन	-	10,90,618.00	-	4,96,115.00
यात्रा व्यय	-	8,56,892.00	-	58,37,905.00
ऑडिट फीस	-	1,50,000.00	-	1,50,000.00
बैंक चार्ज	-	48,045.00	-	45,446.00
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	-	7,83,693.00	-	8,75,691.00
किराया, दरें और कर	-	-	-	2,76,480.00
मुकदमा/अभियोग	-	-	-	1,93,500.00
चिकित्सा	-	2,59,104.00	-	2,35,913.00
पूर्व अवधि समायोजन	(2,64,68,924.00)	-	(8,320.00)	(63,332.00)
श्रव्य दृश्य प्रचार-स्पॉट, वृत्तचित्र फिल्म आदि एनईआर	15,09,790.00	-		-
विज्ञापनNER	-	-	1,29,00,684.00	-
विधिक जागरुकता प्रोग्राम NER	-	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन NER	1,87,612.00	-	18,059.00	-
विशेष अध्ययन NER	-	-	-	-
	(1,63,23,543.00)	**2,58,10,539.00**	**10,22,76,622.00**	**3,76,74,878.00**

वेतन एवं लेखा आधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 22- व्यय अनुदान, सब्सिडी आदि।

(राशि ₹)

	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन	सहायता अनुदान साधारण एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान साधारण एवं वेतन
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)				
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	24,95,000.00	-	1,02,31,018.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	4,81,32,351.00	-	6,06,67,693.00	-
विशेष अध्ययन	2,60,06,192.00	-	1,34,14,945.00	-
कानूनी समीक्षा	1,49,120.00	-	8,38,418.00	-
राज्य आयोगों और टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग	-	-	23,44,731.00	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	-	-	22,30,693.00	-
A	**7,67,82,663.00**	-	**8,97,27,498.00**	-
सहायता अनुदान NER(2235.02.103.71.01.31) के तहत				
विधिक जागरुकता प्रोग्राम एन.ई.आर.	-	-	6,67,500.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	37,80,498.00	-	80,04,591.00	-
विशेष अध्ययन NER	73,12,400.00	-	4,45,000.00	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण -NER	82,559.00	-	3,00,000.00	
B	**1,11,75,457.00**	-	**94,17,091.00**	
योग **(A+B)**	**8,79,58,120.00**	-	**9,91,44,589.00**	

अनुसूची 23 ब्याज	निरंक	निरंक

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति और भुगतान का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 26- स्थापना व्यय

(राशि ₹)

		चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		साधारण सहायता अनुदान	वेतन में सहायता अनुदान	सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदान
1	वेतन				
	अध्यक्षा एवं सदस्य	-	4,12,23,651.00	-	3,88,80,075.00
	अधिकारी				
	स्टाफ				
2	भत्ता	3,40,00,340.00	-	3,17,22,855.00	-
3	CPF को योगदान				
	अन्य				
	निधियों में				
4	योगदान:-				
	LSC	-	17,10,518.00	-	15,89,319.00
	PC				
5	वृत्तिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	30,24,916.00	-	25,46,231.00	-
		3,70,25,256.00	**4,29,34,169.00**	**3,42,69,086.00**	**4,04,69,394.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

अनुसूची 27- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि ₹)

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	***सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)***		
	विज्ञापन व्यय	14,37,892.00	35,83,120.00
	मुद्रण	3,26,625.00	12,51,294.00
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन	41,53,166.00	43,16,181.00
	विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	50,000.00	9,09,126.00
	कानूनी समीक्षा	5,74,519.00	2,65,829.00
	श्रव्य दृश्य		
	प्रचार	27,79,088.00	3,21,58,165.00
	पूर्व संदत्त प्रकाशन व्यय	-	-
	महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	-	-
	राज्य महिला आयोग और टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग	-	23,44,731.00
	नुक्कड़ नाटक और स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर सरकारी संगठनों को निधियां	-	-
	A	**93,21,290.00**	**4,48,28,446.00**
2	***Under Grant-In-Aid General (2235.02.103.35.00.31)***		
	कार्यालयीन व्यय	2,59,99,847.00	2,64,76,993.00
	मरम्मत एवं रखरखाव	2,46,188.00	11,70,865.00
	टेलीफोन	10,94,147.00	4,94,207.00
	यात्रा व्यय	10,47,719.00	57,95,525.00
	लेखापरीक्षा फीस	1,17,440.00	1,48,380.00
	बैंक प्रभार	43,706.00	51,884.00
	पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट	7,86,321.00	8,05,516.00
	किराया, शुल्क और कर	-	2,76,480.00
	चिकित्सा	2,33,245.00	2,34,046.00
	अभियोग	-	1,93,500.00
	B	**2,95,68,613.00**	**3,56,47,396.00**

3 ***सहायता अनुदान NER(2235.02.103.71.01.31)***

(राशि ₹)

विशिष्टियां		चालू वर्ष	विगत वर्ष
विज्ञापन			
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		1,87,612.00	28,309.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन		-	-
ऑडियो विशुअल प्रचार		-	1,29,65,580.00
प्रिंटिंग		-	-
	C	**1,87,612.00**	**1,29,93,889.00**
अनुदान के तहत कुल व्यय - सहायता सामान्य और NER (A+C)		**95,08,902.00**	**5,78,22,335.00**
अनुदान के तहत कुल व्यय - सहायता सामान्य (2235.02.103.35.00.31) (B)		**2,95,68,613.00**	**3,56,47,396.00**

अनुसूची 28- विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान

(राशि ₹)

सामान्य सहायता अनुदान (2235.02.103.71.01.31)		
विधिक समीक्षा	2,27,57,663.00	76,05,150.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	3,82,34,061.00	3,85,69,837.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	1,66,20,696.00	84,91,499.00
PMLA	-	-
महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण		12,38,618.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण		
राज्य महिला आयोग और टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग		
राज्य महिला आयोग और टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग	-	-
विधिक समीक्षा	74,560.00	4,19,209.00
नुक्कड़ नाटक और स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर सरकारी संगठनों को फंड	-	-
D	**7,76,86,980.00**	**5,63,24,313.00**
सहायता अनुदान NER(2235.02.103.71.01.31)		
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	22,64,642.00	16,37,322.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	46,69,416.00	49,01,691.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	39,79,206.00	1,78,000.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम-NER	82,559.00	2,85,360.00
E	**1,09,95,823.00**	**70,02,373.00**
सहायता अनुदान एवं NER (D+E) के लिए कुल व्यय	**8,86,82,803.00**	**6,33,26,686.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

प्रेषण

अनुसूची-29

(राशि ₹)

शीर्ष परिवर्धन	चालू वर्ष Addition	चालू वर्ष प्रेषित राशि	विगत वर्ष परिवर्धन	विगत वर्ष प्रेषित राशि
सामान्य भविष्य निधि	43,96,352.00	43,96,352.00	31,70,446.00	31,70,446.00
अग्रिम GPF				
लाइसेंस फीस	2,05,199.00	2,05,199.00	2,37,760.00	2,37,760.00
आयकर	57,42,801.00	57,42,801.00	60,45,973.00	60,45,973.00
सी.जी.एस.एस.	47,850.00	47,850.00	1,73,750.00	1,73,750.00
सी.जी.ई.जी.आई.एस.	10,200.00	10,200.00	9,490.00	9,490.00
गृह निर्माण अग्रिम	1,80,000.00	1,80,000.00		
HBA पर ब्याज				
MCA + (Intt.)	9,500.00	9,500.00	11,400.00	11,400.00
त्यौहार अग्रिम	-	-	-	-
कम्प्यूटर अग्रिम	-	-	-	-
CPF सदस्यता	1,53,023.00	1,53,023.00	1,44,617.00	1,44,617.00
EPF	25,618.00	25,618.00	-	-
दान	1,700.00	1,700.00	-	-
PM Care	11,96,636.00	11,96,636.00	-	-
TDS	9,22,494.00	9,22,494.00	12,77,364.00	12,77,364.00
GST पर TDS	4,19,420.00	4,19,420.00	4,70,151.00	4,70,151.00
NPS	78,472.00	78,472.00	1,17,349.00	1,17,349.00
CPF अग्रिम	1,00,000.00	1,00,000.00	-	-
विविध				
वसूली/लाभ	1,51,088.00	1,51,088.00	-	-
अधिक भुगतान की वसूली	1,20,159.00	1,20,159.00	-	-
LIC	-	-	-	-
अन्य वसूली-जेएएसए, मासिड फंड, वॉल्यूम सीपीएफ और जल प्रभार	1,95,872.00	1,95,872.00	25,864.00	25,864.00
योग	**1,39,56,384.00**	**1,39,56,384.00**	**1,16,84,164.00**	**1,16,84,164.00**

अनुसूची-30

बैंक राशि का विवरण

	सहायता अनुदान	साधारण एवं वेतन सहायता अनुदान	कुल बैंक राशि
1 इंडियन बैंक	32,39,537.00	70,86,866.00	1,03,26,403.00
			1,03,26,403.00

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूची –24 वित्तीय लेखों का भाग

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (अलाभकारी संगठन और समरूप संस्थान) के लिए निर्धारित प्रारूप में उपार्जन(accrual) के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और 31.03.2021 तक शेष राशि शून्य है।

3. अचल परिसंपत्तियाँ

3.1 अचल परिसंपत्ति में अधिग्रहण की कुल लागत है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व–संचालन व्यय, पूंजीकृत संपत्ति के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

3.2 अचल संपत्तियों में रा.म.आ. को उपहार में दी गई/दान में दी गई पुस्तकें शामिल हैं और पूंजीकरण बुक वैल्यू के आधार पर है।

4. मूल्यह्रास

4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

5. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

5.1 सरकारी अनुदानों का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूची–25 लेखों का भाग

लेखांकन पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 आयोग के प्रति ऋण के रूप में माने गए दावे – रु 2,64,68,924 (गत वर्ष रु. शून्य)

1.2 निम्नलिखित की बाबतः

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

– आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

– आयोग के साथ भुनाए गए बिल – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगेः

– आयकर – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

– विक्रय कर – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

– नगरपालिका कर – रुपये शून्य (पिछले साल रु. शून्य)

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों की ओर से किए दावों की बाबत जिनका आयोग द्वारा विरोध किया गया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वर्ष 2018–19 के लिए तुलन–पत्र में रु.1,47,02,000/– की राशि, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप दिखाई गई है जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वापस कर दिया गया है और वह राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसलिए पूंजी प्रतिबद्धता को 'शून्य' माना गया है।

3. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

सामान्य व्यावसायिक क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य प्राप्तियों पर आधृत होता है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर होती है।

4. कर–निर्धारण

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

5. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

5.1 लागत, बीमा और माल भाड़ा(सी.आई.एफ)आधार पर परिकलित आयातों का मूल्यः

तैयार माल की खरीद	– शून्य
कच्चा माल और घटक (पारवहन सहित)	– शून्य
पूंजीगत सामान	– शून्य
स्टोर, पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	– शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्ययः

(क) यात्रा	– शून्य
(ख) विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं/बैंक को धन–प्रेषण और ब्याज भुगतान	– शून्य
(ग) अन्य व्यय	– शून्य
बिक्री पर कमीशन	– शून्य
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	– शून्य
विविध व्यय	– शून्य

5.3 आमदनीः

एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	– शून्य

6. **वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति महालेखा नियंत्रक (सीजीए) कार्यालय द्वारा आयोग के लिए निर्धारित प्रारूप पर आधारित है।**

7. मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान(ग्रेच्युटी) तथा कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभों के प्रति कोई दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। इस संस्था में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है,सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं या अस्थायी/आकस्मिक/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारी हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन देय नहीं है।

8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग को निधि प्रदान करता है। मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.	विवरण	सामान्य सहायता अनुदान, पूंजीगत आस्ति सृजन और एनईआर (राशि रुपए में)	वेतन एवं सामान्य सहायता अनुदान (राशि रुपये में)
1	वर्ष के आरंभ में अनुदान की अव्ययित शेष राशि	2,51,60,872	1,17,71,910
2	वर्ष के आरंभ में हाथ में नकदी की अव्ययित शेष राशि	—	—
3	वर्ष के आरंभ में हाथ में अप्रयुक्त डाक टिकटों की राशि	—	2,78,868
4	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	13,92,43,000	6,91,13,000
5	वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित शेष राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	32,39,537	70,86,866
6	वर्ष के अंत में हाथ में नकदी अव्ययित शेष राशि	—	—
7	वर्ष के अंत में हाथ में अप्रयुक्त डाक टिकटों की राशि	—	13,300

9. पैरा नंबर ए.1 की संदेहजनक गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) लेखा परीक्षा 2019–20 के अवलोकन का अनुपालन संबंधित संगठन/संस्थानों/गैर–सरकारी संस्थाओं से प्राप्त होने वाले उपयोग प्रमाण पत्र, संतोषजनक रिपोर्ट, बिल आदि जैसे आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति की बहुत कम संभावना के कारण उन्हें देय राशि को नामे करके 2008–09 से 2016–17 तक की अवधि के लिए रुपये 2,64,68,924/– की पूर्व अवधि समायोजन राशि को जमा करके समान राशि आकस्मिक देयता को अंतरित की गयी है। तदनुसार, समान राशि को वर्तमान देयता के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

10. संदेहजनक गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) लेखा परीक्षा 2019–20 का अवलोकन पैरा नंबर 2 में अनुलग्नक नवंबर 2020 से संकलित किया गया है। आयोग ने आतिथ्य भत्ते को अग्रिम के रूप में लेना शुरू कर दिया है और इसे उपयोगिता प्रमाण पत्र के माध्यम से समायोजित किया है।

11. संदेहजनक गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) लेखा परीक्षा 2019–20 के अनुलग्नक के पैरा नं 4 के अवलोकन का अनुपालन अनुसूची–22 में संगोष्ठी सम्मेलन के तहत 5,832/– रुपये की राशि डेबिट करके और – अनुसूची 21(अन्य प्रशासनिक व्यय समान राशि से) में व्यय, अनुदान, सब्सिडी आदि में शीर्ष संगोष्ठी, सम्मेलन से इस राशि को घटाकर किया गया है।

12. अनुसूची 1 से 30 संलग्न हैं जो वर्ष 2020–21 के लिए तुलन–पत्र और आय और व्यय खाते का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अध्याय 17

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19 (2) के तहत हमने तारीख 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते की संलग्न बैलेंस शीट की लेखा परीक्षा की है। प्रबंधन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली इन वित्तीय विवरणियों के लिए उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुपालन के संबंध में लेखांकन बदलाव से जुड़ी टिप्पणियाँ निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता), और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के लिए निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने लेखापरीक्षा, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारें में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में परीक्षण के आधार पर, सबूतों की जांच करना और राशियों और खुलासे का समर्थन करना शामिल है।

   एक लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे वक्तव्यों के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

   iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

तुलन पत्र

ए. देयताएं

ए .1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) रु. 8.54 करोड़

ए.1.1 उपर्युक्त में 55.97 लाख रुपये शामिल हैं – टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) को देय। NCW और TISS ने एक पायलट प्रोजेक्ट "हिंसा मुक्त घरः एक महिला का अधिकार" शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और परियोजना को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 111.94 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई थी। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 30/03/2021 को TISS को 55.97 लाख रुपये की राशि जारी की गई, भले ही बजट वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित था। इसके खिलाफ, रा.म.आ ने बैलेंस शीट में 55.97 लाख रुपये की देनदारी दर्ज की और आय और व्यय खाते में 111.94 लाख रुपये का खर्च डेबिट किया, भले ही देयता और व्यय वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित था।

इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020–21 के लिए देयता राशि को 55.97 लाख रुपये अधिक बताया गया, परियोजना (वर्तमान संपत्ति) के लिए पूर्व–भुगतान खर्चों को 55.97 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए व्यय राशि को 111.94 लाख रुपये अधिक बताया गया।

ए.1.2 3.98 लाख रुपये के समयबाधित चेक खातों में वापिस नहीं लिखे गए थे। "इसके परिणामस्वरूप देनदारियों और चालू परिसंपत्तियों (बैंक बैलेंस) को 3.98 लाख रुपये से कम कर दिया गया है।

बी. आस्तियां

बी.1 वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) 10.99 करोड़ रुपये

बी.1.1 उपर्युक्त में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के पास बिजली कनेक्शन के लिए 6,75,000 रुपये और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए 83,523 रुपये की सुरक्षा जमा राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू संपत्ति को 7,58,523 रुपये से कम और पूंजी कोष को उसी राशि से कम करके दिखाया गया है।

सी. सहायता अनुदान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को रुपये 2083.56 लाख का अनुदान मिला। इसमें पिछले वर्ष के 369.33 लाख रुपये के सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि थी, जिसमें से 288.33 लाख रुपये की राशि मंत्रालय को वापस कर दी गई थी। इसकी आंतरिक रसीद 37.18 लाख

रुपये थी। कुल 2201.74 लाख रुपये में से, एनसीडब्ल्यू ने रुपये 103.26 लाख के अव्ययित अनुदान को छोड़कर 2098.48 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया था।

डी. प्रबंधन पत्र

कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इसके साथ अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है:

(ए) जहां तक यह 31 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के मामलों की स्थिति के तुलन–पत्र से संबंधित है और

(बी) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से

महानिदेशक लेखापरीक्षक

(HW& RD), नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.11.2021

उपाबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा पर्याप्त नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा केवल मार्च 2015 तक रा.म.आ. की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि:

ए) आयोग के गठन के 20 साल से अधिक समय बाद भी भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं।

बी) वैधानिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा के रूप में प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009–10 से 2015–16 की अवधि की लेखापरीक्षा के रूप में 21 पैरा बकाया थे।

सी) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली भी कमजोर थी क्योंकि 2014–15 से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है। ये पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताए गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

डी) व्यय के दौरान संपर्क रजिस्टर और सहायता अनुदान रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। नियंत्रण रजिस्टर और एलटीसी रजिस्टर का रखरखाव किया गया था लेकिन वह टैली सॉफ्टवेयर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।

3. संपत्ति के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

संपत्ति का वास्तविक सत्यापन 31.03.2020 तक किया गया है।

4. सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

सूची का वास्तविक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया है।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, रा.म.आ.के साथ प्रतिनियुक्ति पर काम कर रही सुश्री बर्नाली शोम, अवर सचिव के अंशदायी भविष्य निधि में 1,21,590 रुपये की राशि का अंशदान मार्च 2021 तक छह महीने से अधिक समय से देय था।

निदेशक (AMG–II)

उपाबंध

उपाबंध-I

आयोग की संरचना

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग की संरचनाः

1. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, दिनांक 07.08.2018 से
2. श्रीमती कमलेश गौतम, सदस्य, दिनांक 19.11.2018 से
3. श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, दिनांक 26.11.2018 से
4. श्रीमती श्यामला एस. कुंदर, सदस्य, दिनांक 07.03.2019 से
5. डॉ. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, दिनांक 08.03.2019 से
6. श्रीमती मीता राजीवलोचन, सदस्य–सचिव, दिनांक 08.01.2020 से

उपाबंध-II

संगठनात्मक चार्ट

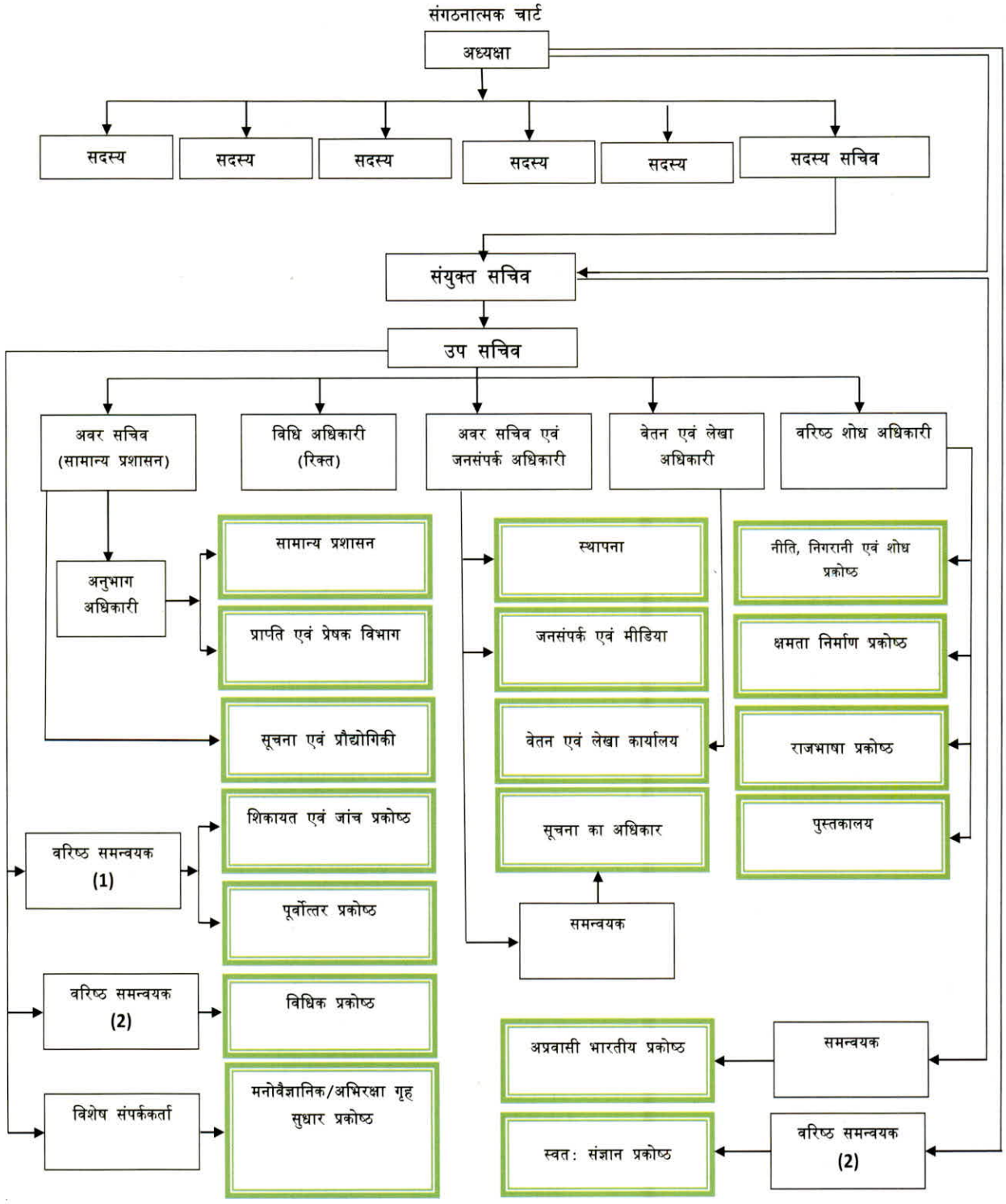

उपाबंध-III

वर्ष 2020–2021 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय/विचार–विमर्श के मामले

दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को आयोजित आयोग की 203वीं बैठक

1. आयोग ने मेसर्स एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विस प्रा. लिमिटेड एजेंसी की सेवाओं को उन्हीं नियमों और शर्तों पर 01.04.2020 से 01 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

2. आयोग ने समीक्षा की और मैसर्स एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण और इंटीरियर हेतु शेष भुगतान जारी करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने दिनांक 01.03.2020 को पावर वॉक आयोजित करने की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

4. एक स्टाफ कार की अनुपयोगिता के कारण सरकारी–ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से आधिकारिक उपयोग के लिए आयोग ने नई मारुति सुजुकी "सियाज" वाहन की खरीद की समीक्षा की और कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

5. आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग में हाउसकीपिंग और अन्य तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस लिमिटेड को अनुबंध अवधि को 09/04/2020 से 08/10/2020 तक छह महीने के विस्तार के लिए पूर्व–कार्योत्तर अनुमोदन की समीक्षा की और मंजूरी दी।

6. आयोग ने कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान भारत में आंतरिक महिला प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी करने की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

7. आयोग ने देश भर में पहचाने गए क्षेत्रों में अंतर–राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने की मंजूरी दी, क्योंकि विशेष रूप से प्रवासी महिला कामगारों से संबंधित कोई राष्ट्रीय नीति या योजना नहीं है। आयोग श्रम कानूनों में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रमुख विशेषज्ञ (राष्ट्रीय स्तर) के साथ सहयोग करेगा और परामर्श आयोजित करने के लिए प्रत्येक चुने गए क्षेत्रों में ज्ञान केंद्रों की शुरुआत करेगा।

8. आयोग ने लॉकडाउन अवधि के दौरान शिकायतों के निवारण के लिए विशेष पहल की और रणनीति बनाई जो इस प्रकार है:

   i. वृद्ध लोगों की मदद के लिए कार्य बल(टास्क फोर्स)

ii. लॉक डाउन के दौरान घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर

iii. लॉकडाउन के बीच शिकायत से निपटने की रणनीति – आयोग ने पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और लॉक डाउन के दौरान भी आयोग की वेबसाइट यानी www.nic.in के माध्यम से शिकायतों के पंजीकरण और प्रसंस्करण के लिए अपनी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायत पर काम करना और संसाधित करना जारी रखा था।

9. आयोग ने विश्वविद्यालय छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं पर तथ्यान्वेषी जांच समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की। शिकायत एक शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी। जांच समिति की सिफारिशों को अनुपालन के लिए हितधारकों को भेजा गया था।

28 मई, 2020 को आयोजित आयोग की 204वीं बैठक

1. आयोग ने जम्मू और कश्मीर के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग की यात्रा रिपोर्ट की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों से निपटने में विशिष्ट कमियों पर सुझाई गई सिफारिशों को अपनाया। टिप्पणियों और सिफारिशों को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया।

2. आयोग ने 11 मई, 2020 को महा निदेशक/महा निरीक्षकों(कारावास) के साथ ई–मीटिंग/वीडियो के कार्यवृत्त की पुष्टि की और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य के महा निदेशक/महा निरीक्षकों (कारावास) को भेजी गई सिफारिशों की पुष्टि की।

3. आयोग ने सभी वन स्टॉप सेंटर से प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्रोफार्मा और मेल के माध्यम से देश के 683 कार्यरत वन स्टॉप केंद्रों को भिजवाने की पुष्टि की।

4. आयोग ने जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई द्वारा प्रस्तुत ''तमिलनाडु और पांडिचेरी में निजी क्षेत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन पर एक अध्ययन'' शीर्षक वाली रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन किया। रिपोर्ट की प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई है।

5. आयोग ने गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर को लिखित में सूचित करने का निर्णय लिया कि ''अंडरस्टैंडिंग जेंडर, कास्ट एंड द सिंबलिक इकोनॉमिक्स ऑफ वायलेंसः ए स्टडी इन द बुद्ध डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा'' शीर्षक वाली रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, आयोग द्वारा तीसरी किस्त उचित रिपोर्ट प्राप्त होने तक जारी नहीं की जा सकती है

6. आयोग ने विचार–विमर्श किया और कार्यसूची मद 'कृषि क्षेत्र में महिलाओं' को स्थगित करने का निर्णय लिया। सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे कार्यसूची मद को देखें और सदस्यों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद आयोग की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

7. आयोग ने 'महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की सहायता के लिए प्रभावी तरीकों' पर परामर्श के कार्यवृत्त

की पुष्टि की और परियोजना पर आगे की कार्रवाई करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी– 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –एमएसएमई के सहयोग से 'महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की सहायता की।

22 जून, 2020 को आयोजित आयोग की 205वीं बैठक

1. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक लेखों की समीक्षा की और उन्हें स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद, इसे महानिदेशक, लेखा परीक्षा केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली के कार्यालय को भेजा जाना है।

2. आयोग ने सिक्किम में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर एक अध्ययन के संचालन के लिए सिक्किम राज्य महिला आयोग को धनराशि जारी करने की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने "कृषि क्षेत्र में महिलाएं: एक बेहतर भूमिका की सुविधा पर परामर्श" पर वेबिनार की चर्चा से उभरे कार्यवृत्त और इसकी सिफारिशों की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

4. आयोग ने सभी वन स्टॉप सेंटर से प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्रोफार्मा की पुष्टि की और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए मेल के माध्यम से देश के 683 कार्यरत वन स्टॉप केंद्रों को भिजवाने की मंजूरी दी।

24 जुलाई, 2020 को आयोजित आयोग की 206वीं बैठक

1. आयोग ने श्रीमती राजुलबेन एल देसाई, सदस्य द्वारा गुजरात राज्य की अपनी यात्रा के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और संबंधित सदस्य द्वारा की गई विशिष्ट गतिविधियों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन निम्नानुसार प्रदान किया:

   i. जिला विधि महाविद्यालय दीसा, बनासकांठा के अपने दौरे के दौरान "केंद्र/राज्य सरकार की महिला कल्याण योजना" शीर्षक विषय पर चर्चा।

   ii. हेमचन्द्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, जिला पाटन, गुजरात में "महिला सुरक्षा और साइबर अपराध" पर कानून में निहित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा,

   iii. नडियाद,गुजरात में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण योजनाओं– महिलाओं के कानूनी अधिकार और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम (पोश/POSH),घरेलू हिंसा अधिनियम और अन्य महिला अधिकारों के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर विचार–विसर्श किया गया।

   iv. सोनावाला लॉ कॉलेज, नडियाद द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।

   v. गुजरात राज्य युवक बोर्ड, गांधीनगर द्वारा आयोजित महिला अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिंग भेदभाव और सामाजिक कानूनी मुद्दों पर विचार–विमर्श।

2. आयोग ने निम्नानुसार समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

   i. रा.म.आ. भवन में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में,मेसर्स सत्य ओम सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के अनुबंध का 3 महीने 09/05/2020 से 08/08/2020 तक की अवधि के लिए विस्तार

   ii. एयर कंडीशनर के वार्षिक रखरखाव के लिए मेसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध को 5 महीने अर्थात 15/04/2020 से 14/09/2020 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया।

   iii. रा.म.आ. में डीएलवाई टैक्सी किराए पर लेने के लिए मेसर्स आरके मोटर्स के साथ अनुबंध का विस्तार 3 महीने अर्थात 1 मई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए किया गया।

   iv. मैसर्स अंगद कार रेंटल से 5 डीएलवाई टैक्सी किराए पर लेने के लिए 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2022 तक यानि 2 साल की अवधि के लिए अनुबंध किया गया।

3. आयोग ने 31/03/2021 तक के लिए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) के साथ 7 राज्यों (असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु) में हिंसा मुक्त गृह पायलट परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन किया था। इस अवधि से आगे कोई विस्तार नहीं किया गया।

4. आयोग ने दिल्ली में हिंसा मुक्त गृह पायलट परियोजना के तहत दिल्ली पुलिस को पहली किस्त जारी करने की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी।

5. आयोग ने 7 राज्यों (असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु) के लिए हिंसा मुक्त गृह पायलट परियोजना के बजट अनुमानों की समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दी।

दिनांक 25.08.2020 को आयोजित आयोग की 207वीं बैठक

1. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में वेबिनार आयोजित करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 12 मई, 2021 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वेबिनार और अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद धनराशि जारी करने के लिए 10 वेबिनार के लिए कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

2. आयोग ने क्रिश्चियन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट (CARD) द्वारा प्रस्तुत "वायनाड जिले में पुलपल्ली ग्रामपंचायत के विशेष संदर्भ के साथ आदिवासी महिलाओं के बीच पोषण संबंधी मुद्दों का आकलन" शीर्षक वाली रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान जारी करने को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी।

3. आयोग ने आर्थिक विकास की निगरानी और शेष भुगतान जारी करने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन "केरल में महिलाओं के भूमि अधिकार सीमांत समुदायों पर विशेष ध्यान देने के साथ" स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी।

4. आयोग ने 17 जुलाई, 2020 को आयोजित 'विवाह की आयु और मातृत्व की समीक्षा' के मुद्दे पर विचार–विमर्श के आधार पर रिपोर्ट की समीक्षा की और उसे कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और इसे दिनांक 10 अगस्त, 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र द्वारा भिजवाया गया।

5. आयोग ने एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड के पिछले वर्ष के संतोषजनक कार्य प्रदर्शन और वार्षिक आधार पर अलग से अनुमोदन के अधीन तीन साल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में सिविल, इलेक्ट्रिकल और आईटी उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) और व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) हेतु कार्योत्तर अनुमोदन की समीक्षा की और मंजूरी दी।

6. आयोग ने एक महिला द्वारा लड़के को जन्म देने की शिकायत के संबंध में जांच समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की लेकिन होली क्रॉस अस्पताल, कुनकुरी, छत्तीसगढ़ अस्पताल के अधिकारियों ने इस तथ्य से इनकार किया और बताया कि वह गर्भवती भी नहीं थी। जांच समिति ने शिकायत की मौके पर जांच की। जांच समिति की रिपोर्ट की टिप्पणियों और सिफारिशों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए जांच समिति की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ और गृह मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श किया गया ।

7. आयोग ने महिलाओं की तस्करीः उभरती चुनौतियाँ, बाधाएं और पुनर्वास प्रावधान और संबंधित मंत्रालयों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के विषय पर वेबिनार के कार्यवृत्त पर विचार–विमर्श किया और अनुमोदन प्रदान किया।

8. आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के संचालन के लिए लागत मानदंड शुरू करने के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

9. आयोग ने गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान वेबिनार आयोजित करने के लिए ऑनलाइन प्रस्तावों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 12.05.2020 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया और विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित 101 वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की और व्यय का 50 प्रतिशत अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी करने के निर्देश के साथ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

11.09.2020 को आयोजित आयोग की 208वीं बैठक

1. 'मेट्रो शहरों में पूर्वोत्तर महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान और उन्हें सशक्त बनाना' विषय पर आयोजित वेबिनार की रिपोर्ट को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 29.07.2020 को आयोजित वेबिनार का उद्देश्य पूर्वोत्तर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले पूर्वाग्रहों/भेदभावों पर विचार–विमर्श करना था। वेबिनार के परिणामस्वरूप समस्याओं और सिफारिशों की व्यापक समझ प्राप्त कर क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ तैयार की जा सकती हैं। श्री किरेन रिजिजू (MoS, युवा मामले मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय) ने माननीय मुख्य अतिथि के रूप में वेबिनार की शोभा बढ़ाई। उनके साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र

विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विशेष पुलिस बल (SPUNER) के वरिष्ठ प्रतिनिधि, राज्य समाज कल्याण विभागों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महिला आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य उल्लेखनीय पैनलिस्टों सहित वकील, शिक्षाविद, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल थे।

2. आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में दस्तावेजी आधार पर विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित 15 वेबिनार आयोजित करने की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने 20 अगस्त, 2020 को आयोजित मनश्चिकित्सीय गृहों के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोग की ई–बैठक/वीडियो सम्मेलन के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

4. आयोग ने गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (एनईआर) में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के संचालन के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को निधियां जारी करने की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

5. आयोग ने 21 अगस्त 2020 को आयोजित 'भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध' पर वेबिनार के कार्यवृत्त की पुष्टि की और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषित की गई।

आयोग की 209वीं बैठक 12.10.2020 को आयोजित

1. आयोग ने – लिंग, जाति और हिंसा के प्रतीकात्मक अर्थशास्त्र को समझनाः – विषय पर गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान अध्ययन की पुष्टि की – उड़ीसा के बुद्ध जिले में अध्ययन के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और भुगतान जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रषित की गई।

2. आयोग ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 17 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/E-Coord/2019 के तहत स्टाफ कार की अनुपयोगिता के कारण आधिकारिक उपयोग के लिए GeM के माध्यम से मारुति सुजुकी "डिजायर" वाहन की खरीद के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

3. आयोग ने मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल द्वारा प्रस्तुत "मिजोरम के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य" नामक शोध अध्ययन की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया।

4. आयोग ने परी (People Against Rape in India) के संस्थापक के मामले में रा.म.आ. में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच समिति की सिफारिशों की समीक्षा की, शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि आईएमजी वेंचर्स कंपनी, मुख्यालय चंडीगढ़ के संस्थापक द्वारा देश भर में कई लड़कियों के साथ यौन–उत्पीड़न और मानसिक हमले किए गए हैं। आयोग ने जांच समिति की रिपोर्ट को पुलिस महानिदेशक, चंडीगढ़ के साथ पत्र दिनांक 22 सितंबर, 2020 के माध्यम से जांच समिति की रिपोर्ट की टिप्पणियों और सिफारिशों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए साझा किया।

18.11.2020 को आयोजित आयोग की 210वीं बैठक

1. आयोग ने 29 सितंबर 2020 को रा.म.आ. द्वारा आयोजित "मातृ और बाल पोषण" पर वेबिनार के

कार्यवृत्त की पुष्टि की और इसे महिला एवं वाल निकास मंत्रालय को प्रेषित किया।

2. आयोग ने 8 राज्यों (अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम) के जिलों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए 'कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' के शुभारंभ की समीक्षा की। रा.म.आ. ने नालसा को गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के संचालन के लिए भुगतान जारी करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

3. आयोग ने ''निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारीः पूर्वोत्तर क्षेत्र'' विषय पर 24.09.2020 को आयोजित एक आभासी संगोष्ठी (वेबिनार) की समीक्षा की ताकि यह समझा जा सके कि निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक साझेदारी महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है और उसे कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। वेबिनार में सुश्री अगाथा संगमा(सांसद,लोकसभा), राज्य समाज कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों ने भाग लिया था। अन्य प्रख्यात पैनलिस्टों में उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, शिक्षाविद, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल थे।

4. सामाजिक सूचना प्रणाली में एसिड अटैक के मामलों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोग ने नोडल अधिकारियों के साथ 22 अक्टूबर, 2020 को आयोग की ई–मीटिंग/वीडियो कॉन्फ्रेंस के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

5. आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के संबंध में शिकायत पर जांच समिति की सिफारिशों की समीक्षा की और समिति की सिफारिशों को पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र और मुख्य सचिव, महाराष्ट्र के साथ साझा किया।

18.12.2021 को आयोजित आयोग की 211वीं बैठक

1. वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान गैर–उत्तर पूर्व क्षेत्र के संबंध में आयोग ने "साइबर सुरक्षा– विशेषतः महिला उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर स्पेस के तहत चुनौतियां" विषय पर अध्ययन के लिए 5 प्रस्तावों और – "महिला मानसिक स्वास्थ्य " विषय पर अध्ययन के लिए 6 प्रस्तावों की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

2. आयोग ने वर्ष 2020–21 के लिए गैर–उत्तर पूर्व क्षेत्र के संबंध में ''साइबर सुरक्षा–विशेषतः महिला उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर स्पेस के तहत चुनौतियां'' पर दो शोध प्रस्तावों और ''महिला मानसिक स्वास्थ्य'' पर एक शोध प्रस्ताव की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने *''राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)–लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशन''* पर आयोजित वेबिनार के कार्यवृत्त की समीक्षा कर अनुमोदन प्रदान किया। यह वेबिनार लड़कियों के बीच सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत जेंडर को मुख्यधारा में लाने, जेंडर न्यूट्रल टीचिंग को प्रोत्साहित करने और 'जेंडर–इनक्लूजन फंड' पर ध्यान केंद्रित कर सभी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान पहुंच से संबंधित था। वेबिनार के कार्यवृत्त को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सभी प्रतिभागियों को परिचालित किया गया।

4. आयोग ने जमानत पर चल रहे आरोपियों से सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को जान से मारने की कथित धमकी के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के नेतृत्व में एक टीम ने 03/12/2020 को रेवाड़ी का दौरा किया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि की गई और आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई।

15.01.2021 को आयोजित आयोग की 212वीं बैठक

1. आयोग ने 8 राज्यों (अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम) के जिलों को कवर करने के लिए गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए 'कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' के शुभारंभ की समीक्षा की।

2. "महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)" पर विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से संबंधित कामकाजी महिलाओं पर प्रचलित कानूनों के प्रभाव की पहचान करने के लिए आयोग ने श्रम विभाग, राज्य महिला विभाग, राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधियों, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वकील और शिक्षाविदों के परामर्श से वी.वी. गिरि नैशनल लेबर इंस्टीट्यूट द्वारा उक्त विषय पर समेकित और संकलित रिपोर्ट की पुष्टि की। भारत में कामगार महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए संबंधित राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालयों (NLUs) एवं वी.वी. गिरि नैशनल लेबर इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोग ने गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, आसाम और तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए।

3. घरेलू हिंसा– महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा, प्रवासी कामगार महिलाओं विषयों पर शोध अध्ययन आयोजित करने के लिए आयोग ने 11 (ग्यारह) प्रस्तावों की समीक्षा कर, गैर–पूर्वोत्तर से 6 और उत्तर पूर्व से 5 प्रस्तावों के चयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान धन की उपलब्धता के आधार पर सशर्त प्रशासनिक अनुमोदन दिया।

4. आयोग ने 31.01.2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाने के साथ–साथ कोविड–महिला योद्धाओं ''द रियल हीरोज'' को सम्मानित किया।

16.02.2021 को आयोजित आयोग की 213वीं बैठक

1. आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया ''यूपी के बदायूं में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, क्रूरताः 2 गिरफ्तार, एसएचओ निलंबित'' दिनांक 06.01.2021 की कई समाचार रिपोर्ट में दिखाई दिया। आयोग ने मामले की जांच के लिए तथ्यान्वेषी दल का गठन किया है। आयोग ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित की।

2. आयोग ने टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई के सहयोग से पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए मॉड्यूल विकसित किए और इन्हें 28.11.2016 को आयोजित आयोग की बैठक में अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईडीपीआर), हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत प्रभाव आकलन रिपोर्ट सहित अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की गई और अनुमोदित किया गया। जीएफआर–12ए में संतोषजनक उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय

का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त होने पर खातों का निपटान किया जाएगा।

3. रा.म.आ. भवन के विभिन्न प्रकोष्ठों और अनुभागों में स्थापना के लिए आयोग ने मेसर्स डी सेल्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली को 23 डोम और 2 बुलेट कैमरों और एक्सेसरीज की खरीद के आदेश देने के लिए समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

4. आयोग ने ''मानसिक स्वास्थ्य के बिना महिलाओं का स्वास्थ्य या कल्याण नहीं'' पर वेबिनार के कार्यवृत्त की समीक्षा की और अनुमोदन प्रदान किया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सभी प्रतिभागियों को परिचालित किया।

17 मार्च, 2021 को आयोजित आयोग की 214वीं बैठक

1. आयोग ने 25 और 27 नवंबर, 2020 के बीच आयोजित ''इंडिया अगेंस्ट एब्यूज ऑन वीमेन'' के संबंध में वेबिनार की सिफारिशों/टिप्पणियों की समीक्षा और अनुमोदन किया और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सभी प्रतिभागियों को परिचालित करने का निर्णय लिया।

2. आयोग ने दिनांक 01.02.2021 को हुई राज्य महिला आयोगों के साथ हुई संवादात्मक बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की और निर्णय लिया कि निजी आश्रय गृहों (गैर सहायता प्राप्त)/समाज कल्याण विभाग/राज्य महिला आयोग की सूची राज्य के संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाए।

3. आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के संविदात्मक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा की समीक्षा की और कार्यान्वयन अनुमोदन किया।

4. नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों–जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख से प्राप्त शिकायतों से निपटने और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाओं की विकास गतिविधियों को भी देखने के लिए आयोग ने एक नया प्रकोष्ठ जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख – 01.04.2021 से बनाने का निर्णय लिया ।

5. आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों का निपटान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के सहयोग से हिंसा मुक्त घर– एक महिला का अधिकार पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया।

6. आयोग ने इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए छह सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसका नाम है, ''उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना'' भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर के सहयोग से कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर 4 मार्च, 2021 को लॉन्च किया गया था और MyGov PORTAL पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

उपाबंध-IV

वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तपोषित वेबिनारों का विवरण

क्र.	संगठन का नाम	विषय
1	किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
2	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इन्दौर,मध्यप्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – समस्याएं एवं चुनौतियाँ
3	महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा सामाजिक कार्य संकाय, वडोदरा, गुजरात	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
4	नॉर्थकैप विश्वविद्यालय, गुडगाँव, हरियाणा	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
5	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मंधार, रायपुर छत्तीसगढ़	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
6	आचार्य स्नातक अध्ययन संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक	प्रवासी महिला कामगार – समस्याएं एवं चुनौतियाँ
7	गौतम बुद्ध महिला कॉलेज,दुर्गा बाड़ी, गया बिहार	घरेलू हिंसा – महिलाओं के खिलाफ हिंसाः परामर्श द्वारा सहायता
8	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी, उत्तर प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – समस्याएं एवं चुनौतियाँ
9	प्रगति पथ फाउंडेशन, पहाड़िया, वाराणसी–221007	प्रवासी महिला कामगार – समस्याएं एवं चुनौतियाँ
10	प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
11	भारती कला निकेतन शिक्षा समिति,महादेव नगर राज श्री सदन तरंग रोड, देवरिया, उत्तर प्रदेश	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता

क्र.	संगठन का नाम	विषय
12	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रोहिणी,उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
13	वैमानिकी इंजीनियरिंग संस्थान, मेडचाल, तेलंगाना	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
14	भरथियार विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन विभाग कोयंबटूर, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
15	पिंपरी चिंचवाड़ प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पुणे प्राधिकरण, निगडी, पिंपरी–चिंचवाड़,महाराष्ट्र	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
16	डॉ. वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – कानून और नीतिगत उपायों के जमीनी स्तर पर प्रभाव को लागू करने/विश्लेषण करने की चुनौतियाँ
17	MDSD बालिका महाविद्यालय, अंबालाशहर, हरियाणा	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
18	अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान जनकपुरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली	प्रवासी महिला कामगार – समस्याएं और चुनौतियाँ
19	शासकीय प्रौद्योगिकी एवं शोध महाविद्यालय, अवसारी (खुर्द) अम्बेगांव, जिलारू पुणे, महाराष्ट्र	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
20	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
21	मामो कॉलेज, मनस्सेरी मुक्कम, कोषिकोड़, केरल	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
22	ट्राइडेंट एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
23	समर्पण ट्रस्ट, मंडली, तह. बेचराजी, मेहसाणा, गुजरात	प्रवासी महिला कामगार – समस्याएं एवं चुनौतियाँ
24	एन.आई.टी. रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता

क्र.	संगठन का नाम	विषय
25	रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, रोहिणी, दिल्ली,	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
26	एक्शन एड एसोसिएशन, नई दिल्ली	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
27	करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर डॉ अनुपम मन्हास डिपार्टमेंट ऑफ लॉ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
28	विकास भारती सेवा चौरिटेबल ट्रस्ट मंडली, तालुकाः चानस्मामेहसाणा, गुजरात	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और सेहत
29	रॉयनगर सोसाइटी फॉर यूथ दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल	प्रवासी महिला श्रमिक – महिला प्रवासी श्रमिक और श्रम कानूनः अंतराल की पहचान करना और उपचारात्मक उपायों की खोज करना
30	ह्यूमन यूनिक मोमेंट डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन पिपलानी, भोपाल, मध्य प्रदेश	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
31	अखिल भारतीय समाज कल्याण संस्थान बकरगंज, बारीपथ पटना, पटना, बिहार	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
32	तमिलनाडु राज्य महिला आयोग कलशा महल, चेपौक, चेन्नई, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा – महिलाओं के खिलाफ हिंसाः परामर्श द्वारा सहायता
33	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) कृषि महाविद्यालय कुंडेश्वर रोड टीकमगढ़ (म.प्र.)	प्रवासी महिला कर्मचारी – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
34	बरहामपुर विश्वविद्यालय, भांजा बिहार, उड़ीसा, स्नातकोत्तर विधि विभाग, बरहामपुर विश्वविद्यालय, भांजा बिहार, उड़ीसा	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
35	महिला ग्राम विकास शिक्षा प्रसार समिति, सावन, नीमच, मध्य प्रदेश	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
36	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
37	एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न

क्र.	संगठन का नाम	विषय
38	गुरहट्टा महिला जन कल्याण संस्थान, पटना सिटी, पटना, बिहार	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
39	के.आर.एम.डी.ए.वी. कॉलेज, नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब	अप्रवासी भारतीय विवाह – अप्रवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय निजी कानूनों के साथ घरेलू कानूनों का सामंजस्य स्थापित करना, जिसमें पूर्व–विवाह समझौते ऐसे विवाहों में मुद्दों को हल करने में मदद कर सकते हैं।
40	राजगिरी आउटरीच सर्विस सोसाइटी कलमश्शेरी कोच्चि, एर्नाकुलम केरल	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
41	एमिटी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	घरेलू हिंसा – महिलाओं के खिलाफ हिंसाः परामर्श द्वारा सहायता
42	सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
43	गुरु नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स, श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
44	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
45	हैदराबाद विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, हैदराबाद	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
46	कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, बिहार	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
47	कचरिया चंद्रावत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, तहसीलः मल्हारगढ़ मन्दसौर, मध्य प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याए एवं चुनौतियाँ
48	एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
49	स्कूल ऑफ लॉ, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
50	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़, विष्णुपुरी नांदेड़, महाराष्ट्र	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता

क्र.	संगठन का नाम	विषय
51	एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
52	शहरी और पर्यावरण क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
53	ग्रामोदय शिक्षा संस्थान कैम्पस– धीरू भाई अंबानी विद्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
54	के.वी.एन.नाइक शिक्षण प्रसारक संस्थान, कला और वाणिज्य महाविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
55	मां गौरिया शिक्षण एवं प्रशिक्षण सोसायटी, दुर्ग, छत्तीसगढ़	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
56	एल.के.वी.डी. कॉलेज, पूसा रोड, रहीमाबाद, समस्तीपुर, बिहार	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
57	किरूबा एजुकेशनल एंड चौरिटेबल ट्रस्ट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
58	महुदिया श्री ज्ञानदेव शिक्षण समिति, नीमच, मध्य प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
59	एमिटी विश्वविद्यालय, बेली रोड, पटना, बिहार	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
60	एमराल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कोडंदरामपुरम, तिरुपति, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
61	योगी वेमना विश्वविद्यालय, कडपा, आंध्र प्रदेश	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
62	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
63	पसुम्पोन मुथुरामलिंगम थेवर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मदुरै, तमिलनाडु	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
64	पेरियार विश्वविद्यालय, पेरियार, सेलम, तमिलनाडु	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता

क्र.	संगठन का नाम	विषय
65	श्री रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कोयंबतूर, तमिलनाडु	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
66	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई,	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
67	सामाजिक विकास संस्थान, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
68	श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, पलनी, कोयंबत्तूर, तमिलनाडु	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
69	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ताम्बरम, चेन्नई, कांचीपुरम, तमिलनाडु	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
70	वनिता ज्योति महिला संगम, महबूबनगर, तेलंगाना	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
71	एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान	घरेलू हिंसा – महिलाओं के खिलाफ हिंसाः परामर्श द्वारा सहायता
72	मद्रास विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय,चेन्नई, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
73	सेक्रेड हार्ट कॉलेज (स्वायत्त), तिरुपत्तूर, तमिलनाडु	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
74	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयंबत्तूर, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
75	आचार्य स्नातक अध्ययन संस्थान, आचार्य डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन रोड, बैंगलोर, कर्नाटक	अप्रवासी भारतीय विवाह – अप्रवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय निजी कानूनों के साथ घरेलू कानूनों का सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि पूर्व–विवाह समझौते ऐसे विवाहों में मुद्दों को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं।
76	समुदाय और ग्रामीण शैक्षिक समाज, तेनाली, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी प्रभावशीलता
77	प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,ग्वालियर, मध्य प्रदेश	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
78	बी.एल. अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विलेपार्ले, मुंबई उपनगरीय, महाराष्ट्र	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न

क्र.	संगठन का नाम	विषय
79	एसपी कॉलेज, सर्वधाम परिसर,सिरोही, राजस्थान	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
80	कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, इरोड, तमिलनाडु	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
81	सेंट एन महिला महाविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं और चुनौतियाँ
82	शंकर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, कोयंबत्तूर, तमिलनाडु	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
83	कर्नाटक राज्य अक्कमहादेवी महिला विश्वविद्यालय, विजयपुर, कर्नाटक	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
84	केबीएन महाविद्यालय, विजयवाड़ा–1,कृष्णा, आंध्र प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
85	मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, आंतरिक शिकायत समिति, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
86	शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,रिंग रोड, राजा गार्डन, नई दिल्ली	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
87	अनुसंधान संस्थान राजगिरी, कोच्चि, एरणाकुलम, केरल	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
88	नोबल महाविद्यालय, राजाखेड़ी, मकरोनिया सागर, मध्यप्रदेश	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
89	शाहजी विधि महाविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	प्रवासी महिला श्रमिक – महिला प्रवासी श्रमिक और श्रम कानूनः अंतराल की पहचान करना और उपचारात्मक उपायों की खोज करना
90	मानव विज्ञान विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई, तमिलनाडु	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
91	प्रथम समाज सेवी संस्था, कानपुर रोड, इटावा, उत्तर प्रदेश	साइबर अपराध – डिजिटल स्पेस में महिलाओं का उत्पीड़न
92	राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां

क्र.	संगठन का नाम	विषय
93	बीएन पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, आनंद, गुजरात	साइबर अपराध – महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधः सावधानियां और रणनीतियां
94	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चेतगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	प्रवासी महिला कामगार – प्रवासी महिला कामगारः समस्याएं एवं चुनौतियाँ
95	ए. वीरिया वंदयार मेमोरियल श्री पुष्पम कॉलेज, पूंडी, तंजावुर, तमिलनाडु	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
96	आशा की किरण फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश	महिला मानसिक स्वास्थ्य – भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता
97	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़	महिला मानसिक स्वास्थ्य – कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण
98	प्रभात कुमार महाविद्यालय, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	प्रवासी महिला कामगार – कानून और नीतिगत उपायों के जमीनी स्तर पर प्रभाव को लागू करने/विश्लेषण करने की चुनौतियाँ

उपाबंध-V

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययनों का विवरण

क्र.	संगठन का नाम	विषय
1	प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान (UIET) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	साइबर सुरक्षा– विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर स्पेस के तहत चुनौतियां– पंजाब राज्य में महिला उपयोगकर्ताओं के खिलाफ साइबर अपराधों की जांच
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110026	साइबर सुरक्षा– विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर स्पेस के तहत चुनौतियां– महिलाओं के लिए साइबर स्पेस में चुनौतियां: 2020–21 में दिल्ली और एनसीआर के चुनिंदा क्षेत्र का एक अध्ययन
3	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	गुजरात राज्य में विशेषतः महिला उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में साइबर स्पेस के तहत साइबर सुरक्षा और चुनौतियां
4	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, कर्नाटक	साइबर सुरक्षा– साइबर स्पेस के तहत विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं के लिए चुनौतियां– साइबर सुरक्षा और महिलाएं: साइबर अपराध के समापन एवं समाधान में जागरुकता की भूमिका
5	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय,सांबा, जम्मू और कश्मीर	साइबर सुरक्षा– साइबर स्पेस के अंतर्गत चुनौतियाँ विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं के लिए
6	सेंट जोसेफ महाविद्यालय (स्वायत्त), बैंगलोर, कर्नाटक	भारत के महानगरों में अंतरंग साथी हिंसा (आईपीवी) से बचे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर एक अध्ययन
7	जादवपुर विश्वविद्यालय, परगना, कोलकाता	घरेलू हिंसा का मुकाबला करने के सामाजिक–कानूनी आयामः घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू करने में चुनौतियां
8	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ग्रीन कैंपस, दुडरहामा, जम्मू और कश्मीर	कश्मीर में घरेलू हिंसाः महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा

क्र.	संगठन का नाम	विषय
9	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय,कासरगोड, केरल	महिला मानसिक स्वास्थ्य– मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड–19 का प्रभावः केरल में महिलाओं में सामान्य मानसिक विकारों पर एक अध्ययन
10	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, उडीसा	शहरी उडीसा में कामकाजी महिलाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्देः पालन–पोषण, घरेलू हिंसा, यौनाचार संबंधी मनोचिकित्सा और व्यवसाय के साथ अंतर–संबंध
11	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	महिला मानसिक स्वास्थ्य– कश्मीर में महिलाओं में मनोवैज्ञानिक संकट के जोखिम और सुरक्षात्मक कारक
12	डॉ. नितिन नागनाथ अभिवंत, मनश्चिकित्सा विभाग, पुणे, महाराष्ट्र	महिला मानसिक स्वास्थ्य– पुणे जिले में महिला मानसिक स्वास्थ्य पर एक अध्ययन
13	महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान से संबद्ध श्री सिद्धिविनायक महिला महाविद्यालय, कर्वेनगर, पुणे,महाराष्ट्र	महिला मानसिक स्वास्थ्य– मूल्यांकन और तर्कसंगत भावनात्मक सोच आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से कोविड समय में पुलिस और प्रशासन में महिला कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करना
14	किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ, यूपी	महिला मानसिक स्वास्थ्य– उत्तर प्रदेश राज्य में किसी एक स्थान पर किए गए महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का सामयिक अध्ययन
15	हैदराबाद विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, तेलंगाना	कोविड–19 महामारी के दौरान प्रवासी महिला स्वच्छता कार्यकर्ताओं की भूमिका और कार्य योगदानः बेंगलुरु और हैदराबाद, भारत के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में एक अध्ययन
16	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब	महिला प्रवासी कामगार– कोविड–19 महामारी के बाद प्रवासी श्रमिकों का प्रवास, आजीविका और सामाजिक संरक्षणय पंजाब में मुद्दों और चुनौतियों का एक अध्ययन
17	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय विष्णुपुरी, नांदेड़, महाराष्ट्र	गन्ना काटने वाली प्रवासी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा और सामाजिक कमजोरियाँः महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से एक अन्वेषण
18	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,कटक, उड़ीसा	महिला प्रवासी कामगार– उड़ीसा में महिला प्रवासी कामगारों के सामाजिक संरक्षण पर अध्ययन

फोटो संग्रह

कोविड महिला योद्धाओं का अभिनंदन

राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा

राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड महिला योद्धाओं को उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

राज्य महिला आयोगों की ओर से पधारे/उपस्थित अध्यक्षगण

स्थापना दिवस के अवसर पर अध्यक्ष महोदया का संबोधन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021

रा.म.आ. के "महिलाओं के लिए पुरुष" समारोह में वक्तव्य देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुख्यमंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी

समारोह के अवसर पर अध्यक्ष महोदया का संबोधन

रा.म.आ. द्वारा आमंत्रित गणमान्य व्यक्तिगण

बालिकाओं की शिक्षा पर नाटक का प्रदर्शन

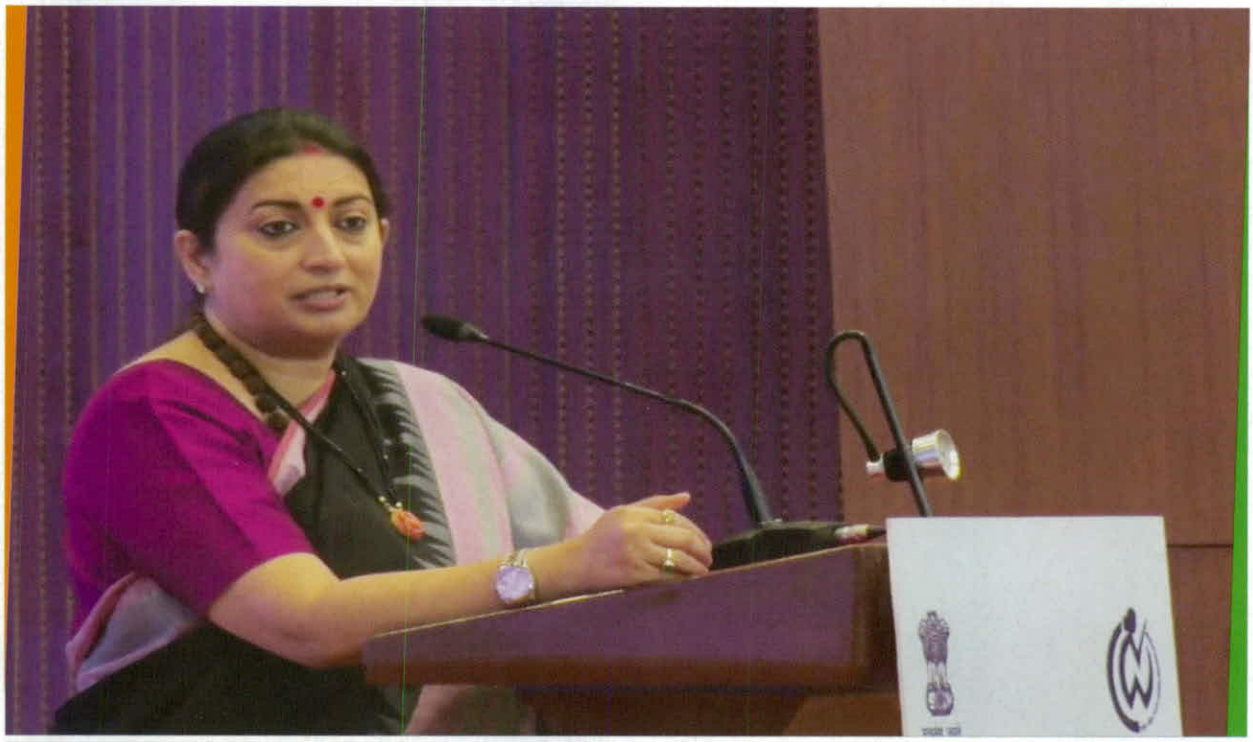

समारोह में संबोधित कर रही हैं केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी

राज्य महिला आयोगों के साथ बैठक में माननीय अध्यक्ष

राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों के साथ बैठक में परस्पर विचार–विमर्श

राज्य महिला आयोगों के साथ बैठक में माननीय अध्यक्षा

लेह में **"उद्यमवृत्ति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण"** कार्यक्रम की शुरुआत

माननीय अध्यक्ष महोदया ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सहभागिता से "आंतरिक परिवाद समिति, जे,एन,यू" द्वारा "कार्यस्थल में महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न" पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

महिला सुरक्षा में पुलिस की भूमिका पर पुलिस महानिरीक्षक से विचार–विमर्श करती हुई (20 जनवरी 2021) रा.म.आ. की अध्यक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदया ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की एवं राज्य में महिलाओं के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया (20 जनवरी 2021)

अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की आंतरिक शिकायत समिति के साथ बैठक की और रा.म.आ.के सहयोग से आयोजित ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)'' पर एक कार्यशाला (25 मार्च 2021) की अध्यक्षता की।

अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा ने कश्मीर के गैर सरकारी संगठनों और सखी वन स्टॉप सेंटर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीके पर चर्चा की।

अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा ने रा.म.आ के सहयोग से कश्मीर विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) पर एक कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के अंतर्गत 50 कॉलेजों/महाविद्यालयों की समितियों ने भाग लिया और अपने प्रश्नों को उठाया। (13 फरवरी 2021)

महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए अध्यक्षा रेखा शर्मा ने आज जम्मू में एक महिला जन सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपस्थित थे। रा.म.आ. टीम ने 30 मामलों का संज्ञान लिया (9 फरवरी 2021)

लेह में स्थानीय महिला उद्यमियों ने लॉन्च में भाग लिया

लेह में रा.म.आ. के 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर लद्दाख के संसद सदस्य श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल

पोषण माह 2021 का जश्न मनाने के लिए रा.म.आ. वेबिनार आयोजित किया गया

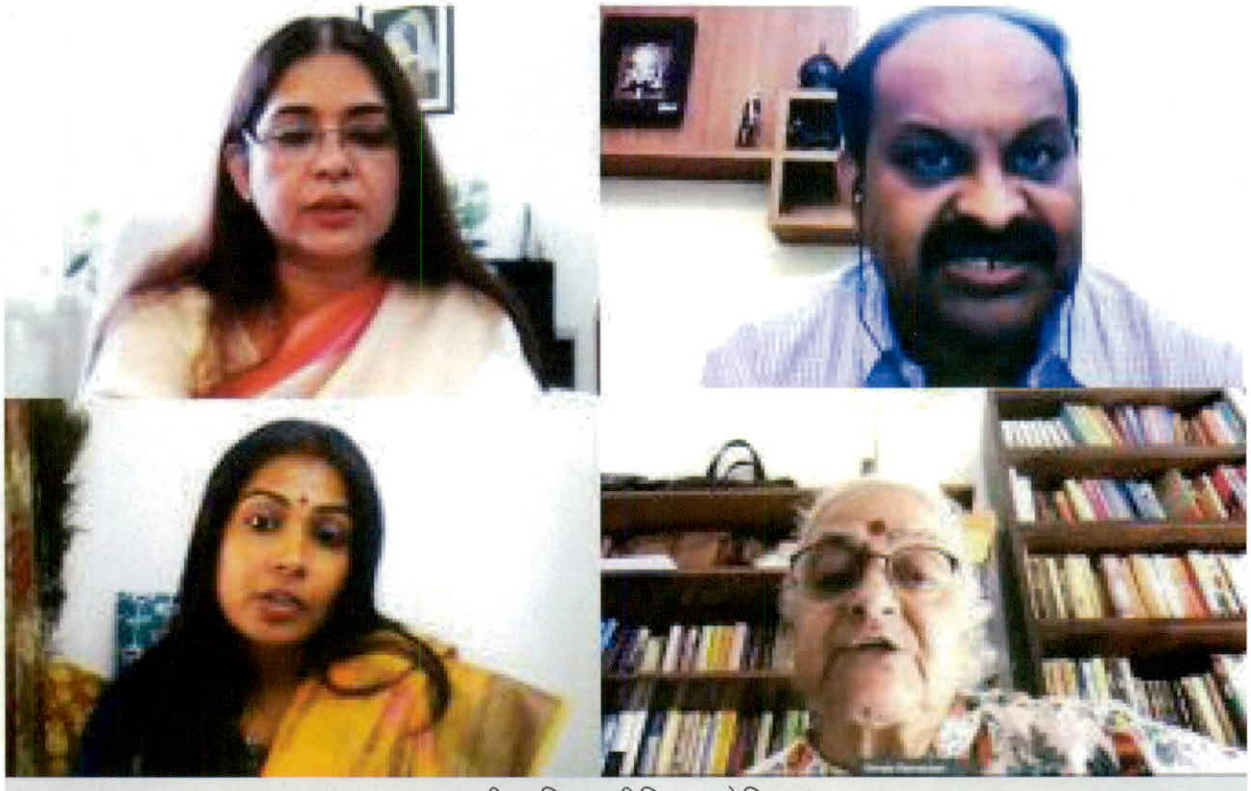

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वेबिनार

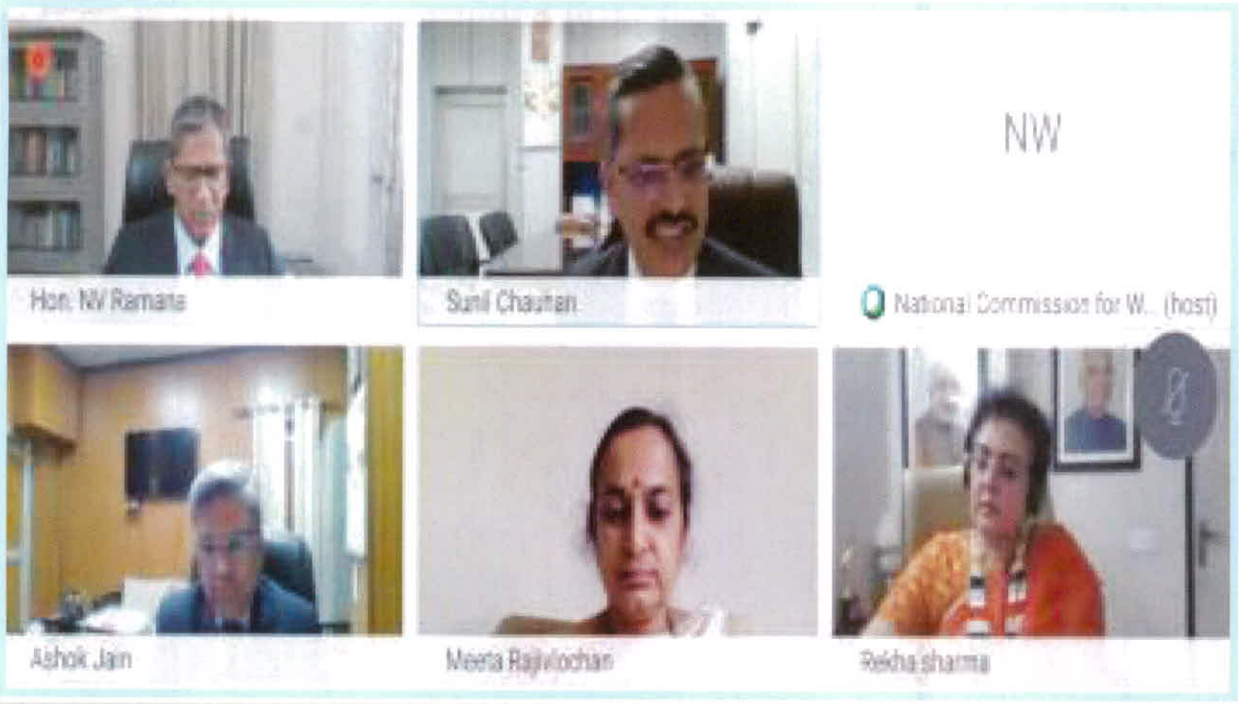

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के साथ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

नालसा के सहयोग से आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर

मंडला, मध्य प्रदेश

नीमच, मध्य प्रदेश

पन्ना, मध्य प्रदेश

शिवपुरी, मध्य प्रदेश

टीकमगढ़, मध्य प्रदेश

सावरदे, महाराष्ट्र

अकोला, महाराष्ट्र

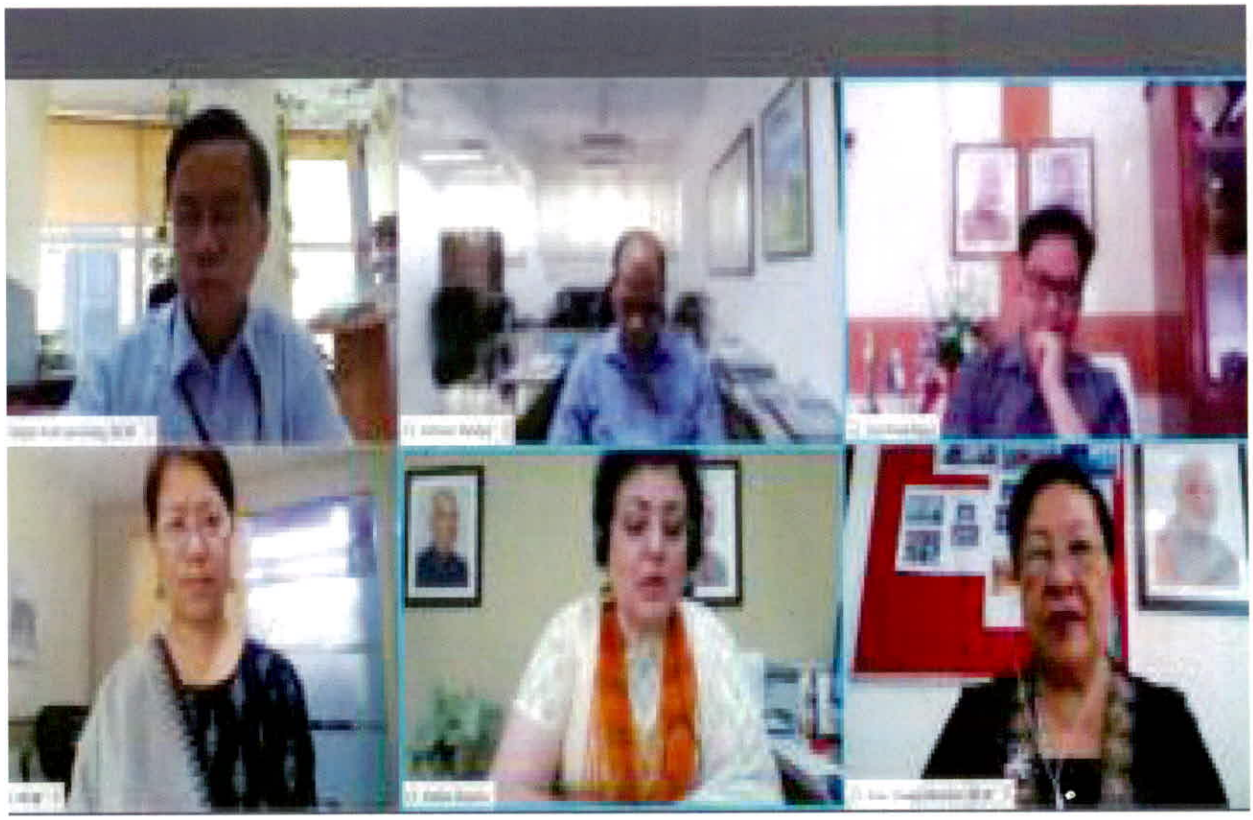

महानगरीय शहरों में उत्तर पूर्वी महिलाओं की समस्याओं पर वेबिनार

रा.म.आ. के मेगा वेबिनार में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू

'महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा–यह पुरुषों का मुद्दा है' विषय पर संगोष्ठी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'महिलाओं के शोषण के खिलाफ भारत' शीर्षक से 18 घंटे की आभासी चर्चा का आयोजन किया

'कैसे महिलाओं का ऑनलाइन शोषण नियंत्रण से बाहर हो गया है' विषय पर संगोष्ठी

टिप्पणी

टिप्पणी

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025
वेबसाइट : http://ncw.nic.in